





भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

स्वस्थ जीवन के लिए सुरक्षित खाद्य



वार्षिक रिपोर्ट 2010-11








क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	अवलोकन	1
2.	अधिदेश और संरचना — प्राधिकरण, सीएसी, वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनल्स	04
3.	महत्वपूर्ण उपलब्धियां	16
4.	कोडेक्स मामले	23
5.	प्रयोगशालाएं	24
6.	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	26
7.	प्रशासन और मानव संसाधन	29
8.	आयातित खाद्य-पदार्थों की संरक्षा	37
9 .	सूचना शिक्षा एवं संचार (आईईसी) (i) जागरूकता एवं संचार (ii) सूचना प्रौद्योगिकी	39
10.	परिणाम संरचना दस्तावेज (2010—11), एसईवीओटीटीएएम	41
11.	परामर्शी	53
12.	वार्षिक लेखा 2010—11	54





1. अवलोकन

वर्ष 2010—11 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा खाद्य संरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 को प्रचालनशील बनाए जाने के तात्कालिक लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाए जाने का वर्ष था। प्रारूप एफएसएस नियमावली तथा विनियमावली अधिसूचित की गईं तथा पणधारकों से प्राप्त आख्याओं के आधार पर अंतिम प्रारूप तैयार किया गया तथा सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। एफएसएस अधिनियम की शेष धाराएं, धारा 22 में जीन—संशोधित खाद्य संबंधी प्रावधान के अपवाद को छोड़कर, 29 जुलाई, 2010 को अधिसूचित की गईं। इस अधिनियम में केंद्रीय सरकार में तथा राज्य सरकार दोनों में, इसके कार्यान्वयन हेतु पूर्णतया नई संरचना की व्यवस्था दी गई है।

केंद्रीय स्तर पर, प्राधिकरण, केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी), वैज्ञानिक समिति और भिन्न विषयों से संबंधित 08 वैज्ञानिक पैनल पहले ही गठित किए जा चुके हैं तथा कार्यशील हैं। अनेक राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्तों की नियुक्ति कर चुके हैं तथा पदनामित अधिकारियों, खाद्य संरक्षा अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों तथा अपील न्यायाधिकरणों की नियुक्ति की प्रक्रिया में हैं। एफएसएसएआई राज्य और संघ क्षेत्र सरकारों द्वारा तैयारी हेतु सभी कदम उठाए जाने विशेषकर अभ्यर्थियों के चयन तथा सांविधिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को अंतिम रूप दिए जाने हेतु अनुसरण कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप, अधिकांश राज्य और संघ राज्य क्षेत्र नियमावली अधिसूचित किए जाने के पश्चात ऐसे कार्यकर्ताओं की नियुक्ति अल्पाविध में करने हेतु तैयार हैं। राज्यों को, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, कार्यशालाओं, पदनामित कार्यालयों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा खाद्य संरक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा एफएसएस विनियमावली के अधीन नई लाइसेंसिंग प्रणाली की मुख्य विशेषताओं के बारे में सुग्राही बनाया गया है।

एफएसएस पद्धित में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा निभाई जाने वाली निर्णायक भूमिका को महसूस करते हुए, 50 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा प्रत्यायन, जो नए कानून के तहत अनिवार्य बन चुका है, प्राप्त किए जाने के लिए उनकी आवश्यकताओं के आकलन हेतु एक अंतराल विश्लेषण संचालित किया गया। प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए कानून की अपेक्षाओं की समयबद्ध ढंग से पूर्ति हेतु संबंधित राज्यों के साथ जानकारी साझा की गई है। इसके अतिरिक्त खाद्य संरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा प्रत्यायन मानकों का प्रारूप तैयार किए जाने का कार्य पृथकतः प्रगति पर है।

एफएसएस अधिनियम में आयातित खाद्य की संरक्षा संबंधी प्रावधान प्रचालनशील बनाया जाना वर्ष की प्रमुख घटना थी। पणधारकों के साथ (सीमाशुल्क, नौपत्तन प्राधिकरण, सीमाशुल्क अभिकर्ताओं, अन्य निर्यातक संघों



के साथ) चेन्नई, कोलकाता, मुंबई तथा दिल्ली में परामर्श तथा सुग्राहीकरण की अनेक बैठकों के पश्चात, एफएसएसएआई ने इन नौपत्तनों में पहुंचकर सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा संदर्भित प्रेषणों के संबंध में खाद्य परीक्षण कार्य प्रारंभ कर दिए। ऐसे आयातित खाद्य नमूनों के परीक्षण में किसी भी बाधा से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाएं पैनलबद्ध की गईं।

वैज्ञानिक पैनलों तथा वैज्ञानिक समिति ने वर्ष के दौरान पूर्ण गंभीरता के साथ कार्य प्रारंभ किया तथा वैज्ञानिक और मानक निर्माण के अनेक विषयों पर विचार—विमर्श किया, जिनमें आंशिक हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल और कैफीनयुक्त पेयों में विपक्ष वसा अम्लों (टीएफए) हेतु प्रारूप मानक शामिल हैं। आगे खाद्य विज्ञापन में स्व—नियंत्रण, खान—पान प्रतिष्ठानों में खाद्य संरक्षा, आयातित खाद्य संरक्षा विनियमावली, खाद्य संरक्षा मानक विनियमावली, प्रत्यायन और प्रमाणन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत, आहार अनुपूरकों पर नियंत्रण कुछ अन्य विषय हैं, जिनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन), हैदराबाद को खेसरी दाल के उपभोग के स्वास्थ्य प्रभावों के अध्ययन तथा भारतीयों द्वारा प्रसंस्कृत और गैर प्रसंस्कृत खाद्य के उपभोग आकलन के अध्ययन हेतु अनुसंधान परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), बेंगलुरू को पंचायतों के लिए खाद्य संरक्षा योजना हेतु सांचा विकसित करने की परियोजना सपुर्द की गई है और भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान (आईआईपीएच), हैदराबाद द्वारा पदनामित अधिकारियों, खाद्य संरक्षा अधिकारियों एवं खाद्य संचालकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यचर्या विकसित करने में एफएसएसएआई को सहायता प्रदान की जाएगी।

खाद्य संरक्षा केंद्रों तथा उत्कृष्टता केंद्रों के प्रतिष्ठापन हेतु अभिकरणों की पहचान करने; खाद्य संरक्षा निगरानी संरचना विकसित करने; स्कूलों में संरक्षित खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत विकसित करने और सचल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की विरचना करने हेतु अभिरूचियों की अभिव्यक्तियां भी आमंत्रित की गई हैं। क्षेत्र अधिकारियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत और निरीक्षण नियम—पुस्तिकाएं विकसित की जा रही हैं, जो खाद्य प्रतिष्ठानों तथा खाद्य व्यवसाय परिचालकों का भी निरीक्षण करेंगे।

एफएसएसएआई के कर्मचारियों हेतु सेवा के नियम सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए गए। कुल नौ नियमों में से छह नियम अनुमोदित किए जा चुके हैं। इस अधिनियम की धारा 90 के अधीन एफएसएसएआई स्थानांतरित अधिकारियों के विभिन्न संवर्गों के एकीकरण का कार्य शेष सेवा नियमों के अनुमोदन के पश्चात प्रारंभ किया जाएगा। एफएसएसएआई के लिए 355 पद मंजूर किए गए हैं, जिसके लिए भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन पदों को भरने की प्रक्रिया पहले एफएसएसएआई में अवशोषण हेतु इच्छुक स्थानांतरित अधिकारियों के समायोजन द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

खाद्य तेल संबंधी आदेशों को छोड़कर एफएसएस अधिनियम की अनुसूची में वर्णित आदेशों तथा विभिन्न अधिनियमनों के अधीन लाइसेंस तथा निरीक्षण कार्य, पीएफए अधिनियम के तहत अन्य सभी प्रवर्तन कार्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा निष्पादित किए जाने जारी रहेंगे। वर्ष के दौरान अपदूषण तथा अपिमश्रण की प्रतिवेदित अथवा संभावित आशंका के संबंध में सलाह दी गई थी।

इस प्रकार विभिन्न अधिनियमों तथा अब तक निरस्त नहीं किए गए आदेशों के अधीन कार्यों का निर्वहन जारी रखते हुए, एफएसएसएआई द्वारा एफएसएस अधिनियम के कार्यान्वयन की दिशा में विभिन्न कदम उठाए गए। तथापि, क्षितिज पर कुछ नई चुनौतियां, विशेष रूप से नए मानक बनाने के साथ साथ विद्यमान मानकों की समीक्षा करने, नई जिम्मेदारियों के लिए केंद्रीय और राज्य तंत्र तैयार करने, प्रयोगशालाओं के उन्नयन एवं उपभोक्ताओं, खाद्य व्यवसाय प्रचालकों, खाद्य संचालकों इत्यादि में जागरूकता पैदा करने की चुनौतियां सामने हैं।





2. अधिदेश और संरचना

प्राधिकरण, सीएसी, वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनल्स

खाद्य संरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 का लक्ष्य बहु-स्तरीय, बहु-विभागीय नियंत्रण से एकल कमान पंक्ति की ओर बढ़ने द्वारा खाद्य संरक्षा और मानकों के साथ संबंधित सभी मामलों के लिए एकल संदर्भ बिंदु प्रतिष्ठापित करना है। इस प्रभाव हेतु, यह अधिनियम एक पृथक सांविधिक प्राधिकरण — भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिक्रण का प्रतिष्ठापन करता है।

एफएसएस अधिनियम, 2006 के प्रारंभन के पश्चात विभिन्न केंद्रीय अधिनियम तथा आदेश निरस्त हो जाएंगे

- (1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954
- (2) फल उत्पाद आदेश, 1955
- (3) मीट खाद्य उत्पाद आदेश, 1973
- (4) वनस्पति तेल उत्पाद (नियंत्रण) आदेश, 1947
- (5) खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश, 1998
- (6) विलायक निष्कर्षित तेल, वि–तेलीकृत आहार तथा खाद्य आटा (नियंत्रण) आदेश, 1967
- (7) दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1972 इत्यादि

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का प्रतिष्ठापन

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) केंद्रीय सरकार द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से प्रतिष्ठापित किया गया है तथा इसको एफएसएस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग और निर्दिष्ट कायों का निष्पादन करेगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एफएसएसएआई का प्रशासनिक मंत्रालय है। भारतीय एफएसएसएआई की संरचना खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव पदस्तर वर्ग में होता है। प्राधिकरण का भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) में एक अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुख्यालय दिल्ली में होगा।

एफएसएसएआई को एफएसएस अधिनियम, 2006 द्वारा निम्नलिखित कार्य निष्पादित करने हेतु अधिदेशित किया गया है:

- खाद्य वस्तुओं के लिए मानक और मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करने हेतु विनियमों की रचना और इस प्रकार अधिसूचित विभिन्न मानकों के प्रवर्तन की उपयुक्त प्रणाली विनिर्दिष्ट करना।
- खाद्य व्यवसायों के लिए खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणन में संलग्न प्रमाणन संरथाओं के प्रत्यायन हेतु तंत्र और मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करना।
- प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन तथा प्रत्यायित प्रयोगशालाओं की अधिसूचना हेतु प्रक्रिया और मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करना।
- केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को खाद्य संरक्षा तथा पोषण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में नीति तथा नियमों के बनाने संबंधी मामलों में वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
- खाद्य उपभोग, जैविक जोखिम की घटना तथा विद्यमानता, खाद्य में अपदूषक, खाद्य उत्पादकों में विभिन्न अपदूषकों के अवशेष, उभरते जोखिमों की पहचान तथा त्वरित सतर्क प्रणाली लागू करने संबंधी डेटा संग्रहीत और सम्मिश्रित करना।
- सम्पूर्ण देश में सूचना नेटवर्क सृजित करना ताकि जनता, उपभोक्ता, पंचायतों इत्यादि को खाद्य संरक्षा तथा चिंता के मुद्दों पर त्वरित, विश्वसनीय तथा उद्देश्यपूर्ण सूचना प्राप्त हो सके।
- खाद्य व्यवसाय में संलग्न अथवा संलग्न होने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराना।

(सीईओ) सदस्य सचिव के रूप में तथा 22 अन्य सदस्य होते हैं। यह त्रयमासिक आधार पर बैठक आयोजित करता है तथा इस वर्ष के दौरान 4 बैठकें संचालित की गईं। सीईओ एफएसएसएआई को मत देने का अधिकार नहीं होता है।



सदस्य:

अध्यक्ष :

सदस्य सचिव:

पदेन सदस्य धारा 5 (1) (क) के अधीन

जेएस (कृषि)

जेएस (वाणिज्य)

जेएस (उपभोक्ता मामले)

जेएस (खाद्य प्रसंस्करण)

जेएस (स्वास्थ्य)

जेएस (विधायिका)

जेएस (मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम)

सदस्य:

खाद्य उद्योग के दो प्रतिनिधि लघु स्तर उद्योग से बृहद स्तर उद्योग से उपभोक्ता संगठनों के दो प्रतिनिधि तीन प्रख्यात खाद्य प्रौद्योगिकीविद / वैज्ञानिक राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के पांच प्रतिनिधि किसान संगठनों के दो प्रतिनिधि

खुदरा संगठनों का एक प्रतिनिधिकेंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी)

एफएसएसएआई की केंद्रीय सलाहकार समिति में सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य संरक्षा आयुक्त, खाद्य खोग, कृषि, उपभोक्ता, अनुसंधान निकाय तथा खाद्य प्रयोगशालाओं का प्रतिनिधि और संबंधित मंत्रालयों रे आमंत्रिती शामिल होते हैं।

समिति का प्राथमिक अधिदेश प्राधिकरण को कार्य कार्यक्रम, कार्य प्राथमिकीकरण, संभावित जोखिमों की पहचान और ज्ञान की पूलिंग के बारे में सलाह देना है। वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें संचालित की गई थीं।

वैज्ञानिक समिति

सदस्य:

- प्रो. निर्मल कुमार गांगुली, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के सलाहकार
- 2. डा. अशोक चेंगप्पा, कुलपति, जीकेवीके बेंगलुरू
- 3. डा. अशोक पी. पटेल, प्रधान वैज्ञानिक एवं एक्ट. हेड, डेरी प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल
- 4. डा. एम एस मित्यांत, पीएचडी (कृषि रसायनी) स्वतंत्र सलाहकार, पीड़कमार अवशेष तथा अपदूषक विशेषज्ञ, बेंगलुरू
- 5. डा. के सी बंसल, समन्वयक, पराजीन—विकास पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नेटवर्क, राष्ट्रीय पादप जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
- 6. डा. जगदीश एवस पाई, पीएचडी (खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) विशेषज्ञ कार्यात्मक खाद्य, न्यूट्रास्युटिकल्स, भारतीय प्रोटीन खाद्य एवं पोषणात्मक विकास संघ, मुंबई
- 7. अध्यक्ष, वैज्ञानिक पैनल कार्यात्मक खाद्य, न्यूट्रास्युटिकल्स, आहार उत्पाद और अन्य समरूपी उत्पाद
- नमूना तथा विश्लेषण विधि पर वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष
- 9. खाद्य संयोजी, फ्लेवरिंग, प्रसंस्करण सहायता तथा खाद्य के साथ संपर्क में सामग्री
- 10. खाद्य चेन में अपदूषकों पर वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष
- 11. जीववैज्ञानिक खतरों पर वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष
- 12. कीटनाशकों तथा प्रतिजैविक अवशेषों पर वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष
- 13. लेबलिंग तथा दावों / विज्ञापनों पर वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष

14. जीन-संशोधित जीवों तथा खाद्यों पर वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्ष

कार्य:

- (i) वैज्ञानिक समिति खाद्य प्राधिकरण को वैज्ञानिक अभिमत उपलब्ध कराने हेतु जिम्मेदार होगी तथा लोक सुनवाई आयोजित करने हेतु, जहां आवश्यक है, शक्तियों की धारक होगी।
- (ii) वैज्ञानिक समिति वैज्ञानिक अभिमत का सांतत्य सुनिश्चित करने और विशेष रूप से कार्य प्रक्रियाएं अपनाने तथा वैज्ञानिक पैनल की कार्यविधियों के सामंजस्य के संबंध में आवश्यक सामान्य समन्वय हेतु जिम्मेदार होगी।
- (iii) वैज्ञानिक पैनल की सक्षमता के भीतर पड़ने वाले वैज्ञानिक समिति एक से अधिक वैज्ञानिक पैनल की सक्षमता के भीतर पड़ने वाले बहु—क्षेत्रीय मुद्दों पर और किसी भी वैज्ञानिक पैनल की सक्षमता के भीतर नहीं पड़ने वाले मुद्दों पर अभिमत उपलब्ध कराएगी।
- (iv) जबकभी आवश्यक होगा, तथा विशेषरूप से, किसी भी वैज्ञानिक पैनल की सक्षमता के भीतर नहीं पड़ने वाले विषयों पर, वैज्ञानिक समिति कार्य समूहों का गठन करेगी और ऐसे मामलों में, यह कार्य समूहों द्वारा वैज्ञानिक अभिमत स्थापित किए जाने पर उन कार्य समूहों की विशेषज्ञता का लाभ उठाएगी।

वैज्ञानिकों का पैनल (8 पैनल)

(1) फंक्शन फूड्स, न्यूट्रास्यिटिक्ल्स, आहार एवं अन्य समान उत्पादों के लिए पैनल :

सदस्य:

- 1. डॉ. वी. प्रकाश निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर।
- 2. डॉ. डी.बी अन्नथा नारायण, पीएच.डी (फार्मेसी) स्वतंत्र सलाहकार, विशेषज्ञ न्यूट्रास्यूटिक्ल्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बंगलौर।
- 3. सुश्री अंजू अग्रवाल, आहार विशेषज्ञ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
- 4. डॉ. बी.सी. घोष, प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, बंगलीर।
- 5. डॉ. के. माधवन नायर, वैज्ञानिक-ई, राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन), हैदराबाद
- 6. डॉ. शांतिकुमार नायर, पीएच.डी (सामग्री विज्ञान) कोलंबिया यूनिवर्सिटी, नैनो प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ

- अमृता विश्वविद्यापीठ्म (यूनिवर्सिटी) के अनुसंधान के डीन, कोचि।
- 7. प्रो. बी. शशिधर राव, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, बायोकैमिस्ट्री विभाग, यूसीएस उसमानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।
- 8. डॉ. विलास रामराव श्रीहट्टी, पीएच.डी (रसायन), स्वतंत्र सलाहकार, विशेषज्ञ फंक्शनल फूड्स एवं न्यूट्रास्यूटिक्ल्स, वसा और तेल, मुंबई।
- 9. श्री कुमार भाटिया, प्रमुख सलाहकार, (फसलोत्तर प्रबंधन एवं विपणन) कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 10. डॉ. एन. आनंदावली, पीएच.डी, खाद्य सूक्षम जीवविज्ञान विशेषज्ञ उपाध्यक्ष (तकनी.) एफएओ / यूएन खाद्य सुरक्षा सलाकार / ऑडिटर, मैसर्स फूड सेफटी सॉल्यूशंस इंटरनेशनल, कोचिन।
- 11. डॉ. अनूरा विश्वनाथ कुरपद, डीएनबी (शरीरविज्ञान) डीन, सेंट जॉन अनुसंधान संस्थान, बंगलौर।
- 12. डॉ. पी.डी. द्विवेदी, वैज्ञानिक ईआई, खाद्य विषविज्ञान प्रभाग, भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, पोस्ट बॉक्स सं. 80, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
- 13. डॉ. पर्था राय, सहायक प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, आईआईटी, रूड़की

(॥) नमूना एवं विश्लेषण विधि के लिए पैनल

सदस्य:

- 1. डॉ. सुशील कुमार सक्सेना, निदेशक, राष्ट्रीय विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनंद, गुजरात।
- 2. डॉ. राकेश कुमार, खंडल, पीएच.डी रसायन विश्लेषणात्मक विशेषज्ञ, श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।
- 3. डॉ. पीतम चंद्रा, सहायक महानिदेशक (प्रो. इंजी.), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
- 4. डॉ. एन.वी रामा राव, पीएच.डी रसायनशास्त्र, विश्लेषणात्मक विशेषज्ञ, अध्यक्ष, विमता लैब्स लिमि., हैदराबाद
- 5. डॉ. वंसथा मुथुस्वामी, पूर्व वरिष्ठ उप—महानिदेशक एवं प्रभाग प्रमुख बेसिक मेडिकल साइंसेज तथा स्वास्थ्य एवं पोषण रिप्रोडिक्टव प्रभाग, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (सेवानिवृत्त)



- 6. डॉ. ए.के. दीक्षित, प्रधान वैज्ञानिक (कीटनाशक अवशिष्ट), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), पूसा इंस्ट्टयूट, नई दिल्ली।
- 7. डॉ. दीपक भाजेकर, पीएच.डी (औद्योगिकी सूक्ष्मजैविकी) प्रोपराइट एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, माइक्रो कैम लेबोरेटरी, मुंबई।
- 8. डॉ. एम.एन मंजूनाथ, वैज्ञानिक 'एफ', खाद्य सुरक्षा एवं विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर।
- 9. डॉ. एम.के. कुंडू, सलाहकार, पूर्व-एडिबल ऑयल किमश्नर, भारत सरकार, नई दिल्ली
- 10. डॉ. दिपांकर सिन्हा, प्रोफेसर, ऑल इंडिया इंस्ट्टियूट ऑफ हाइजिन एवं पब्लिक हेल्थ, कोलकाता।
- 11. सुश्री. शोभा हेगड़े, स्वतंत्र सलाहकार, पैनलबद्ध प्रमाणन निर्धारक, मुंबई (भारतीय मानक ब्यूरो से सेवानिवृत्त)
- 12. डॉ. रंजन शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल।
- 13. डॉ. जोनलगढ़ा पदमजा, वैज्ञानिक 'सी' खाद्य एवं औषध विषविज्ञान अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, आईसीएमआर, हैदराबाद

(III) फूड एडिटिव्स, फ्लेवरिंग एवं खाद्य पदार्थ के संपर्क में प्रसंस्करण साधन एवं सामगी के लिए पैनल

सदस्य:

- 1. डॉ अमरिंदर सिंह बावा, निदेशक, रक्षा खाद्य शोध प्रयोग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, मैसूर।
- 2. डॉ. मुकुल दास, उप—निदेशक (वैज्ञानिक 'एफ'), भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
- 3. डॉ. (श्रीमती), कलपागम पोलासा, उप—िनदेशक (वरि. वैज्ञानिक 'एफ'), राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद।
- डॉ. जोसफ लुइस, डॉ. जोसफ लुइस, पीएच.डी (रसायनिक विषविज्ञान), स्वतंत्र सलाहकार, विशेषज्ञ
 लेबलिंग फूड एडिटिव्स, तेल एवं वसा, मुंबई।
- 5. डॉ. राजीव धर, निदेशक एवं सीईओ, भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुंबई।
- 6. डॉ. के.एन. गुरूदत्त, प्रमुख, खाद्य सुरक्षा एवं विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर।

- 7. डॉ. एच.एन. मिश्रा, प्रमुख, पोस्ट हारवेस्ट टैक्नोलॉजी सेंटर, हॉल मैनेजमेंट सेंटर आईआईटम, खड़गपुर।
- 8. डॉ. एच.पी.एस. सचदेव, एम.डी (बाल चिकित्सा), बाल चिकित्सा विशेषज्ञ, वरि. सलाहकार (बाल चिकित्सा एवं क्लिनिकल एपीडेमियोलॉजी), सीता राम भारतीय विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
- 9. डॉ. आर.बी.एन प्रसाद, वैज्ञानिक 'जी', भारतीय रासायनिक प्रौद्यागिकी संस्थान, हैदराबाद।
- 10. डॉ. बनवारी लाल, पीएच.डी (सूक्ष्म—जीवविज्ञान), निदेशक, पर्यावरणीय एवं औद्योगिक जैवप्रौद्योगिकी, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, नई दिल्ली
- 11. डॉ. सतीश कुलकर्णी, प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर।

(IV) खाद्य श्रृंखला में संदूषकों के लिए पैनल

- 1. डॉ. शिव लाल, विशेष डीजीएसएस एवं निदेशक, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, दिल्ली
- 2. डॉ. ए.के. शर्मा, वैज्ञानिक अधिकारी 'एच', प्रमुख खाद्य प्रौद्योगिकी प्रभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई।
- 3. डॉ. एस.के. मेंदिरत्ता, वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इजतनगर।
- 4. डॉ. टी.के. श्रीनिवास गोपाल, प्रधान वैज्ञानिक, प्रमुख पैकेजिंग सेक्शन, मत्सय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचिन
- 5. डॉ. कृष्णा झा, प्रधान वैज्ञानिक (सूक्ष्मजीवविज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भोपाल।
- डॉ. पी. सबियन, निदेशक, (कृषि व्यवसाय विकास), तमिलनाडू एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी, कोयंबटूर।
- 7. डॉ. के.एल. गाबा, पीएच.डी (कृषि, डेरी, पुशपालन) एनडीआरआई करनाल, स्वतंत्र सलाहकार, विशेषज्ञ फूड एडिटिव्स, फंक्शनल फूड्स एवं दूध तथा दूग्ध उत्पाद, नई दिल्ली।
- 8. डॉ. लता, प्रधान वैज्ञानिक, सूक्ष्मजीवविज्ञान प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।
- 9. डॉ. जी. विजयलक्ष्मी, वैज्ञानिक 'एफ' केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर
- 10. डॉ. रिंम कुलश्रेष्ठ, पीएच.डी (फार्मा), कीटनाशक अविशष्ट एवं संदूषक विशेषज्ञ, फूड एवं फार्मा रेगुलेटरी सलाहकार, रेगुलेटरी विरुडम, नई दिल्ली।



- 11. डॉ. वी.के. जोशी, प्रोफेसर एवं प्रमख (पोस्ट हारवेस्ट टैक्नोलॉजी) डॉ. वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिक्लचर एंड फोरेस्ट्री, सोलन, म.प्र.।
- 12. श्री प्रवीन गंगाधर, स्वंतत्र सलाहकार, खाद्य सुरक्षा विशेषग, गुणवत्ता प्रबंधन सेवाएं, दिल्ली (बीआईएस से सेवानिवृत्त)।

(V) जैविक खतरों के लिए पैनल

सदस्य:

- 1. डॉ. अश्विनी कुमार, वैज्ञानिक 'जी' एवं प्रमुख, पर्यावरणीय जैवप्रौद्योगिकी, भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
- 2. डॉ. नरेश कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
- 3. डॉ. अशीष मोतीराम पातुरकर, प्रोफेसर एवं विभाग प्रमुख, बोम्बे वेटरनेरी कॉलेज, मुंबई।
- डॉ. भूपिंदर सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, एनआरआई, आईएआरआई, नई दिल्ली।
- डॉ. प्रेम कुमार जयसवाल, पूर्व-निदेशक (प्रयोगशाला), कृषि एवं सहकारिता विभाग, केंद्रीय एगमार्व प्रयोगशाला, नागपूर।
- 6. डॉ. जोगिंदर सिंह बरवाल, पीएच.डी (मीट प्रौद्योगिकी), स्वतंत्र सलाहकार, विशेषज्ञ मीट प्रौद्योगिकी नई दिल्ली।
- 7. डॉ. ए. लक्ष्मीह, उप–निदेशक (वैज्ञानिक 'ई'), राष्ट्रीय पोषण संस्थान, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, हैदराबाद।
- 8. डॉ. सुशीलांद्रा देसाई, प्रधान वैज्ञानिक, सेंट्रल रिसर्च इंस्ट्टियूट फॉर ड्राइलैंड एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हैदराबाद।
- 9. डॉ. जमुना प्रकाश, रीडर, खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर।
- 10. डॉ. डी. नरसिंहा राव (सेवानिवृत्त), वैज्ञानिक 'एफ' एवं विभाग प्रमुख, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक (VII) कीटनाशक लेबलिंग एवं दावा विज्ञानों के लिए पैनल अनुसंधान संस्थान, मैसूर।
- 11. डॉ. रवि शंकर, सी.एन. वरिष्ठ वैज्ञानिक, मत्सय प्रसंस्करण प्रभाग, केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएसीआर), कोचिन।

12. डॉ. मालाबाइक राय, वैज्ञानिक 'एफ' / उप-महानिदेशक (वरि. ग्रे.) स्वास्थ्य एवं पोषण रिप्रोडिक्टव प्रभाग, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।

(VI) कीटनाशक प्रतिजैविक अवशिष्ट के लिए पैनल

- 1. डॉ. देबाब्राता कानुनगो, अतिरिक्त महानिदेशक (स्टे.), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, नई दिल्ली।
- डॉ. किरण नारायण भिलेगांवकर, वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इजतनगर।
- डॉ. वी. सुदर्शन राव, वैज्ञानिक 'सी', राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद।
- डॉ. बी. सुरेंद्र नाथ, प्रधान वैज्ञानिक, एनडीआरआई, बंगलीर।
- 5. डॉ. जय राज बहरी, वैज्ञानिक 'एफ', भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
- डॉ. ए.जी. अपूराव, वैज्ञानिक 'जी', सीएफटीआरआई, मैसूर।
- डॉ. के.के. शर्मा, नेटवर्क समन्वयक, परियोजना समन्वयन प्रकोष्ठ में कीटनाशक अवशिष्टों पर एआईएनपी, आईएआरआई, नई दिल्ली।
- 8. डॉ. तपन चक्रावर्ती, वैज्ञानिक 'जी' एवं कार्यवाहक निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर।
- श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव, जन विश्लेषक, खाद्य एवं अपमिश्रण निवारण, दिल्ली।
- 10. डॉ. एस.के. हांडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 11. गुरुदयाल सिंह टोटेजा, वैज्ञानिक 'एफ', भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान, परिषद, नई दिल्ली।

सदस्य:

1. डॉ. बी. शशिकरन, निदेशक, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद।

वार्षिक रिपोर्ट 2010-11



- सरकार से सेवानिवृत्त)।
- 3. डॉ. अनूपा सिद्दू, निदेशक, लेडी इरविन कॉलेज, नई दिल्ली।
- श्री प्रदीप के. चौधरी, स्वतंत्र सलाहकार, विशेषज्ञ फूड एडिटिव्स, फूड लेबलिंग, पोषणीय खाह गुड़गांव।
- 5. श्री मृदुल सलगामे, पीएच.डी (डेरी सूक्ष्मजीवविज्ञान), विश्लेषणात्मक विशेषज्ञ, प्रबंध निदेशव आईएडीएफएसी प्रयोगशाला, बंगलौर।
- 6. डॉ. एस. प्रेमा कुमारी, पीएच.डी (खाद्य विज्ञान एवं पोषण), आहार विशेषज्ञ, प्रो. एवं प्रमुख अविनाशलिंगम, यूनिवर्सिटी फॉर वूमेन, कोयंबटूर, तमिलनाडू।
- 7. डॉ. पुल्लाभटुला श्रीनिवास, प्रमुख, वृक्षारोपरण उत्पाद, मसाले एवं फ्लेवर प्रौद्योगिकी, केंद्रीय खाह 9. प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर।
- 8. डॉ. डी.पी. अत्रे, पी.एच.डी खाद्य विज्ञान (मीट विज्ञान, सस्तरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमेरिटस ए 10. डॉ. आर.पी. सिंह, प्रोफेसर, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की। सलाहकार, थनाजावुर (तमिलनाडू), डीआरडीओ, स्वास्थ्य मंत्रालय, एपीईडीए, डीएसटी, बीएच्य_{ान.} डॉ. सतविंदर सिंह मारवा, सीईओ, पंजाब जैव—प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर, एसएएस नगर, पंजाब। स्वतंत्र सलाहकार — विशेषज्ञ खाद्य सुरक्षा, आईएसओ—9001, 17025, 22000, जीएपी, जीसीप 12. डॉ. परमजीत सिंह पनेसर, सहायक प्रोफेसर, खाद्य एवं अभियंत्रिकी तकनीक विभाग, संत लोंगावल जीएलपी एवं जीएमपी, नोएडा।
- 9. डॉ. आर.आर. बी सिंह, वरिष्ठ वैज्ञाानिक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल।
- 10. डॉ. नंदिकशोर नामदेव राव, जेड, प्रो. एवं प्रमुख, नागपुर वेटरनेरी कॉलेज, नागपुर।
- विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।

(VIII) अनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों और खाद पदार्थों के लिए पैनलः

सदस्यः

- 1. डॉ. पी.एल. गौतम, चेयरमैन, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, चेन्नई।
- डॉ. रमेश वी. भट्ट, सलाहकार, एफएओ, हैदराबाद।
- डॉ. एम. पदमावती, सहायक प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर।

- 2. श्री दर्शन सिंह, चढ्डा, वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार, भारतीय उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली (भार ४. डॉ. पी. बालासुब्राह्मण्यम, निदेशक, सेंटर फॉर प्लांट मोलेक्यूलर बायोलॉजी, तमिलनाडू, एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी, कोयंबटूर।
 - डॉ. ललीता रामाकृष्णा गोवडा, वैज्ञाानिक 'एफ', केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद), मैसूर।
 - डॉ. जे नागाराजू, वैज्ञानिक 'जी' एवं समूह प्रमुख, सेंटर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिटिंग एवं डायनॉस्टिक्स, हैदराबाद।
 - डॉ. डी. योगेशवारा राव, वैज्ञानिक 'जी' एवं तकनीकी नेटवर्किंग एवं बिजनेस विकास प्रभाग प्रमुख, सीएसआईआर, नई दिल्ली।
 - डॉ. ए.बी. डोंगरे, प्रधान वैज्ञानिक, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर, नागपुर।
 - डॉ. एस.आर. राव, वैज्ञानिक 'जी', जैवप्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, लोदी रोड़, नई दिल्ली।

 - इंजीनियरिंग एवं टैक्नोलॉजी, लोंगावल, पंजाब।
 - 13. डॉ. सुभाष चंद, प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली।

11. डॉ. एस.के. खन्ना, सेवानिवृत्त निदेशक ग्रेड वैज्ञानिक, प्रमुख, खाद्य विषविज्ञान प्रभाग, भारती नोट: वैज्ञानिक पैनल एवं समिति पुनर्गिठत करने के लिए शीर्ष न्यायालय की निगरानी जरूरी



3. महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- (i) एफएसएस अधिनियम के सभी प्रावधान समर्थ और प्रचालनशील बनाए गए (अधिसूचना जारी की गई)।
- (ii) प्रारूप एफएसएस नियमावली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को अधिसूचना हेतु
- (iii) एफएसएस अधिनियम की धारा-47(5) आयातित खाद्य के संबंध में लागू की गई।
- (iv) 8 वैज्ञानिक पैनल तथा एक वैज्ञानिक समिति पुनरगठित की गई तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों / प्रारूप विनियमों के भिन्न पहलुओं पर नियमित बैठकें आयोजित की गईं।
 - क. प्राधिकरण द्वारा जीएम, प्रसंस्कृत खाद्य की अंतरिम व्यवस्था हेतु प्रारूप संरचना अनुमोदित की गई, परंतु उसको भारत सरकार के जैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए भारतीय जैवप्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण (बीआरएआई) विधेयक, 2010 के अधीन नियमित की जानी है।
 - ख. आंशिक हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेलों (पीएचवीओ) में विपक्ष वसा अम्लों (टीएफए) के विषय में प्रारूप विनियमावली को अंतिम रूप दिया गया तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को अग्रसारित की गई। विशेष पोषणात्मक अथवा आहार उपयोग हेतु खाद्य पर प्रारूप विनियमावली तैयार की गई तथा पैनल के विचाराधीन है।
 - ग. पूरे देश में खान—पान प्रतिष्ठानों में परोसे जाने वाले खाद्य की संरक्षा तथा गुणवत्ता के उन्नयन हेतु "संरक्षित खाद्य, स्वादिष्ट खाद्य" नामक प्रायोगिक परियोजना परामर्श हेतु राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों को प्रेषित की गई।
 - घ. निम्नलिखित के संचालनार्थ विशेषज्ञ समूह गठित किया गया-
 - अमेज ब्रेन फूड
 - वसा और तेल
 - कैफीनयुक्त पेय

(i) वर्ष के दौरान केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठकें पूरी गणपूर्ति के साथ आयोजित की गईं।



केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक प्रगति पर

- (i) एफएसएसएआई के लेखा को एफएसएस अधिनियम की धारा 83 के अधीन अंतिम रूप दिया गया।
- (ii) हित विरोध, प्रकटीकरण, सदस्यों हेतु गोपनीयता प्रोटोकोल पर प्रारूप मार्गदर्शी सिद्धांतों की रचना की गई।
- (iii) निम्नलिखित के उपक्रम हेतु स्कीम के विकास और कार्यान्वयन के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की गईं:
 - अनुसंधान एवं विकास
 - खाद्य संरक्षा केंद्रों का प्रतिष्ठापन,
 - उत्कृष्टता केंद्र।

उत्कृष्टता केंद्र के लिए प्रथम चरण में राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई), राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन) को प्राधिकरण के साथ दुग्ध आपूर्ति, दुग्ध प्रसंस्करण में संरक्षा तथा पोषण संबंधी मुद्दों के क्षेत्रों में कार्य करने हेतु चिन्हित किया गया है। दुग्ध संरक्षा हेतु



एक कार्य योजना तैयार की गई है।

- प्रारूप आरेखित / तथा चर्चाधीन -
 - एल्कोहल के संरक्षा मानक
 - जल गुणवत्ता मानक
- खाद्य संरक्षा प्रणालियों के प्रत्यायन तथा प्रमाणन हेतु प्रारूप मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए ज चुके हैं तथा प्राधिकरण द्वारा, उद्योग जगत के लिए मानकों के रूप में, अपनाई जाने वाली खाह संरक्षा प्रणाली का आधार होंगे।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954

यह अधिनियम संसद द्वारा 1954 में खाद्य अपमिश्रण निवारण हेतु प्रावधान बनाने के लिए, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955, जोकि 1955 में अधिनियम के विस्तार के रूप में संस्थापित की गई थी, के सा नियंत्रणों से संबंधित है। एफपीओ की तरह, केंद्रीय सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अनुशंसाओं के आधार पर पीएफए में संशोधन किए गए हैं। पीएफए अधिनियम तथा नियमावली के प्रावधान का कार्यान्वयन राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों द्वारा नियमों में दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जात है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 केंद्रीय सरकार द्वारा खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 200 अधिसूचित किए जाने की तिथि से निरस्त हो जाएगा। नए मानक विनिर्दिष्ट किए जाने की तिथि तक, पीएफ अधिनियम, 1954 तथा नियमावली, 1955 की अपेक्षा तथा अन्य प्रावधान खाद्य मानकों के लिए क्रान्ति प्रावधान के रूप में लागू रहेंगे।

फल उत्पाद आदेश (एफपीओ), 1955

फल उत्पाद आदेश (एफपीओ), 1955 का प्रख्यापन अनिवार्य वस्तुएं अधिनियम — 1955 के अधीन, फल ए वनस्पति उत्पादों का विनिर्माण परिसर में सफाई तथा स्वच्छता स्थितियों तथा आदेश में निर्धारित गुणवल मानकों का अनुरक्षण करते हुए करने के उद्देश्य के साथ किया गया था। कुछ गैर फल उत्पादों जैसेकि फल सिरका, सिरप तथा मिष्टकृत वातित जल सहित फल एवं वनस्पति उत्पादों के विनिर्माताओं के लिए इस आदेश

के अधीन लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। फल उत्पाद आदेश में स्वास्थ्यकर उत्पादन तथा गुणवत्ता मानकों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं:

- फैक्टरी की अवस्थिति तथा परिवेश
- परिसर की सैनिटरी तथा स्वच्छता स्थितियां
- व्यक्तिगत स्वच्छता
- जल की वहनीयता
- मशीनरी तथा उपस्कर संस्थापित क्षमता सहित
- गुणवत्ता नियंत्रण सुविधा एवं तकनीकी स्टाफ
- उत्पाद मानक
- परिरक्षकों तथा अन्य योगात्मकों की सीमा

प्रख्यापित किया गया था। मोटे तौर पर, पीएफए अधिनियम में खाद्य मानक, नमूना कार्य हेतु सामान्य प्रक्रियाएँ इस आदेश का कार्यान्वयन पहले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा (अब एफएसएसएआई द्वारा) फल एवं खाद्य विश्लेषण, प्राधिकृत अधिकारियों की शक्तियां, दंडों की प्रकृति तथा खाद्य से संबंधित अन्य प्राचलक वनस्पति परिरक्षण निदेशालय, नई दिल्ली मुख्यालय के माध्यम से किया जाता था। इस निदेशालय का शामिल हैं। यह खाद्य संयोजी, संरक्षकों, वर्णक पदार्थों, खाद्य की पैकिंग एवं लेबलिंग, बिक्री के निषेधों तथ मुख्यालय नई दिल्ली में तथा पांच क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तथा गुवाहाटी में और उत्तर क्षेत्र के अधीन एक उप कार्यालय लखनऊ में स्थित है। क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्र अधिकारी विनिर्माण अधीन गठित देश के भिन्न क्षेत्रों के सदस्यों वाली केंद्रीय खाद्य मानक समिति (सीसीएफएस) द्वारा की गर इकाइयों का आवधिक निरीक्षण कर कारखानों में स्वच्छता स्थितियों का अनुरक्षण सुनिश्चित करते हैं तथा कारखानों एवं बाजारों से उत्पादों के नमूने भरते हैं तथा एफपीओ के अधीन विनिर्देशों के अनुसार उत्पादों की समनुरूपता की जांच हेतु प्रयोगशालाओं में उनका विश्लेषण करते हैं।

> केंद्रीय फल उत्पाद सलाहकार समिति में शामिल संबंधित सरकारी विभागों के अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय मानक ब्यूरो, फल और वनस्पति प्रसंस्करण उद्योग तथा उपभोक्ता संगठन फल उत्पाद आदेश में संशोधनों की अनुशंसा करते हैं।

मीट खाद्य उत्पाद आदेश (एमएफपीओ)

मांस तथा मांस उत्पादों की खपत और इन उत्पादों हेतु उपभोक्ता अधिमान में वृद्धि हो रही है। मांस और मांस प्रसंस्करण क्षेत्र में, कुक्कुट मांस भारत में तीव्रतम विकासमान पशु प्रोटीन है। मांस उत्पादों का प्रति व्यक्ति उपभोग वर्ष 2000 में 870 ग्रा. की मुकाबले 1.68 किग्रा हो गया है। इसमें आगे आने वाले वर्षों में और



वृद्धि होने की आशा है।

- भारतीय उपभोक्ता प्रसंस्कृत अथवा प्रशीतित मांस की अपेक्षा मंडी से ताजा मांस खरीदना पसंद करते हैं
 कुक्कुट मांस के उत्पादन का एक लघु प्रतिशत (लगभग 100,000 मी.ट.) प्रसंस्कृत रूप में बेचा जाता है
 इसमें से केवल 1—2 प्रतिशत के करीब ही मूल्य वर्द्धित उत्पादों (खाने / पकाने के लिए तैयार) हेतु प्रसंस्कृत
 किया जाता है। बड़े पशुओं का प्रसंस्करण अधिकांशतः निर्यात के प्रयोजनार्थ किया जाता है।
- मांस और मांस उत्पाद अतिशीघ्र नष्ट होने वाली प्रकृति के होते हैं तथा पशुओं से मानव में रोग संचारि कर सकते हैं। मांस उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु मांस खाद्य उत्पाद आदेश (एमएफपीओ) 1973 के अधीर लाइसेंस प्रदान किया जाता है, जो अब तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जात था। दिनांक 19.03.2004 की प्रभावी तिथि से यह कार्य निदेशालय, विपणन निरीक्षण, कृषि मंत्रालय क स्थानांतिरत कर दिया गया है।
- एमएफपीओ, 1973 के प्रमुख उद्देश्य विनिर्माताओं के लाइसेंसिंग के माध्यम से मांस खाद्य उत्पादों व उत्पादन तथा बिक्री नियंत्रित करना, थोक मांस खाद्य उत्पादों के उत्पादन हेतु निर्धारित सैनिटरी तथ स्वच्छता शर्तें लागू करना, अतिशीतित कुक्कुट इत्यादि सहित मांस खाद्य उत्पादों, मछली उत्पादों व उत्पादन के सभी चरणों में गुणवत्ता नियंत्रण पर सख्ती से अमल कराना इत्यादि हैं।
- एमएफपीओ के प्रावधानों के तहत बिक्री के लिए मांस खाद्य उत्पादों के विनिर्माण, पैकिंग, रीपैकिंग रीलेबिलंग के व्यवसाय में संलग्न मांस खाद्य उत्पादों के सभी विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस प्रदान किय जाता है, परंतु इसमें ऐसे विनिर्माता शामिल नहीं हैं जो स्थल पर उपभोग हेतु उत्पाद तैयार करते हैं जैसेकि रेस्तरां, होटल, बोर्डिंग हाउस, स्नैक बार, खान—पान गृह अथवा वैसा कोई अन्य प्रतिष्ठान।
- विनिर्माताओं को मांस के स्रोत के आधार पर क, ख तथा ग संवर्ग के तहत लाइसेंस प्रदान किया जाता है वर्तमान में 31.03.2011 की तिथि के अनुसार 279 इकाइयां लाइसेंसशुदा हैं। क्षेत्रवार विवरण नीचे दिय गया है:-

क्षेत्र	संवर्ग क	संवर्ग ख	संवर्ग ग	कुल
पश्चिम क्षेत्र	15	44	48	107
दक्षिण क्षेत्र	20	38	40	98
उत्तर क्षेत्र	16	42	43	101
पूर्व क्षेत्र	7	8	18	33
कुल	58	132	149	339

मांस का उत्पादन स्थानीय उप—विधियों के अधीन शासित होता है क्योंकि वध राज्य का विषय है तथा वधशालाएं स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। वर्तमान अनुमानित मांस उत्पादन 1.9 मिलियन टन है, जिसका लगभग 21 प्रतिशत भाग निर्यात किया जाता है।

भारत 500,000 मी. टन से अधिक मांस का निर्यात करता है, जिसका बड़ा अंश भैंस मांस के रूप में होता है। भारतीय भैंस के मांस की अंतरराष्ट्रीय बाजार में जबर्दस्त मांग है, जो इसके चर्बी रहित प्रकृति तथा जैविक प्रकृति की अति निकटता के कारण है। भारत पूरे विश्व में गोमांस का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत के भैंस मांस के निर्यात में वृद्धि की प्रबल संभावनाएं मौजूद हैं।

मांस के जिरये मानवजाति में संचारी रोगों की उभरती स्वास्थ्य आशंकाओं के चलते मांस उपभोक्ता मांस की पौष्टिकता के प्रति अधिक सतर्क हैं तथा साफ और स्वच्छ माहौल में प्रसंस्कृत मांस तथा कुक्कुट उत्पादों की मांग कर रहे हैं और महानगरों तथा शहरी क्षेत्रों में "सुविधाजनक आइटमों" जैसेकि आधे पके, खाने के लिए तैयार, पकाने के लिए तैयार मांस खाद्य उत्पादों की मांग उठ रही है।

हुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद संशोधन विनियमावली — 2009 (एमएमपीआर—09)

औद्योगिक विकास एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत 1991 में डेरी सेक्टर को लाइसेंस मुक्त किए जाने के परिणामस्वरूप, एएच, डेरी कार्य एवं मत्स्यपालन विभाग ने, अनिवार्य वस्तुएं अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश (एमएमपीओ) 1992 प्रख्यापित किया था। इस आदेश का उद्देश्य आम जनता के हित में वांछित गुणवत्ता के तरल दुग्ध की आपूर्ति अनुरक्षित करना एवं वृद्धि करना तथा दुग्ध एवं दुग्ध का उत्पादन, प्रसंस्करण तथा वितरण नियंत्रित करना भी है। इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार, 10,000 लीटर



प्रति दिन अथवा 500 मी.टन दुग्ध ठोस से अधिक का संचालनकर्ता किसी भी व्यक्ति / डेरी संयंत्र को केंद्री सरकार द्वारा नियुक्त पंजीयक प्राधिकरण में पंजीयन कराना आवश्यक है।

एमएमपीओ 1992 की पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सैनिटरी तथा स्वच्छता स्थितियों, गुणवत्ता तथा खा संरक्षा उपायों को लागू किया जाना पंजीयन हेतु अनिवार्य बनाए जाने के साथ नई डेरी इकाइयां स्थापित क या दुग्ध प्रसंस्करण की क्षमता विस्तार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एमएमपीओ 1992 के पैरा 5 (5) (ख) अनुपालन हेत्, दो निरीक्षण अभिकरण नामतः राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) तथा भारतीय निर्या निरीक्षण परिषद (ईआईसी) को पंजीकृत डेरी इकाइयों के वार्षिक निरीक्षण, चक्रानुक्रम आधार पर, करने हे अधिसूचित किया गया है।

जहां डेरी इकाइयों के प्रापण, प्रसंस्करण तथा विपणन की सम्पूर्ण गतिविधि राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र भीतर पड़ती है, पंजीयन प्राधिकरण संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र का अधिकारी होगा और 200 टीएलपीडी दुग्ध या 10,000 मी.टन दुग्ध ठोस प्रति वर्ष से अधिक का संचालन करने वाली डेरी इकाई पंजीयन केंद्रीय पंजीयन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। तदनुसार पंजीयन प्राधिकरण इस आदेश के तह अपने अधिकारक्षेत्र के भीतर पंजीयन आवेदनों पर विचार करेगा तथा पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करेगा।

केंद्रीय तथा राज्य पंजीयन प्राधिकरण अपने प्रारंभन के समय से 31.03.2011 तक सहकारी, निजी त सरकारी सेक्टर में 1163.28 लाख लीटर प्रति दिन की संयुक्त प्रसंस्करण क्षमता के साथ 984 डेरी इकाइयों पंजीयन कर चुके हैं। आगे केंद्रीय पंजीयन प्राधिकरण ने वर्ष 2010—11 के दौरान 21 नई पंजीकरण इकाइर को मंजूरी प्रदान की जबकि 14 डेरी इकाइयों द्वारा दुग्ध प्रसंस्करण क्षमतावर्द्धन किया गया और 7 र इकाइयों का पंजीयन निरस्त किया गया। अधिसूचित निरीक्षण अभिकरणों अर्थात एनपीसी एवं ईआईसीअविनिर्दिष्ट क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों में कोडेक्स की छाया समितियां गठित की गई हैं। एनसीसीपी द्वारा 316 इकाइयों का निरीक्षण किया गया।

कोडेक्स मामले

एफएसएसएआई को कोडेक्स पौष्टिकता आयोग के साथ संपर्क कायम करने तथा भारत के अंदर कोडेक्स गतिविधियों का समन्वयन करने हेतु भारत का राष्ट्रीय कोडेक्स नियंत्रण प्वाइंट (एनसीसीपी) घोषित किया ाया। कोडेक्स बैठकों के भाग ले<mark>ने, कोडेक्स</mark> मामलों हेतु प्रत्युत्तर तैयार करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए गए तथा अनुवर्ती काल में अधिसूचित किए गए।



(प्रधान कार्यालय, दिल्ली में कोडेक्स पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रगति पर)

छाया समितियों के कार्य का समन्वय करती है।


समय समय पर अंतरराष्ट्रीय अवस्थितियों में आयोजित की जाने वाली कोडेक्स बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व केया जाता है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए मुद्दों में सेब से संबंधित मानक, सीमापार निरीक्षणों के लिए चिली सॉस प्रक्रिया हेतु मानक तथा शिशु खाद्यों हेतु प्रारूप मानक शामिल हैं। श्री संजय दवे, निदेशक, ऐपीडा (कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास अधिकरण) को हाल में भारत सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय कोडेक्स समिति का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

एफएसएसएआई ने विभिन्न कोडेक्स बैठकों में भाग लिया – पेरिस में सामान्य सिद्धांत पर कोडेक्स समिति (सीसीजीपी) का 26वां सत्र (अप्रैल, 2010), जेनेवा में आयोजित कोडेक्स पौष्टिकता आयोग (सीएसी) का 34वां सत्र (जुलाई, 2010), इंडोनेशिया में आयोजित एशिया समन्वय समिति (सीसीएशिया) का 17वां सत्र (नवम्बर, 2010) |



5. प्रयोगशालाएं

गया।



(सीईओ,एफएसएसएआई द्वारा एफआरएसएल, गाजियाबाद का दौरा)

भारतीय गुणवत्ता परिषद से इस प्रकार प्राप्त गैप विश्लेषण का प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अवसंरचना, परीक्षण उपस्करों के अर्जन, कार्य-बल की पहचान और उनके प्रशिक्षण की दृष्टि से प्रयोगशालाओं को अद्यतन किया जान और एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त किया जाना शामिल है।

जन-विश्लेषक परीक्षा अखिल भारतीय आधार पर आयोजित की गई है।

खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला, गाजियाबाद

खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला, गाजियाबाद खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए उ उनकी गुणवत्ता और शुद्धता के निर्धारण के उद्देश्य से बाजार से लिए गए उनके नमूनों का विश्लेषण करने लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 1971 में स्थापित की ग

खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला खाद्य पदार्थों के नमूनों में मिलावट की जांच के लिए खा अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत एक अपीलीय प्रयोगशाला (केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला) है। ई * खाली स्तम्भ / श्रृंखलाएं समेकित किए जा रहे आंकड़ों को दर्शाते हैं। प्रयोगशाला के अलावा, कोलकाता, मुम्बई, सोनॉली, रक्सॉल में अन्य केंद्रीय खाद्य प्रयोगशालाएं स्थित (सोनॉली और रक्सॉल प्रयोगशालाएं भारत-नेपाल सीमा पर स्थित हैं)।

केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता

देशभर में 50 खाद्य प्रयोगशालाओं के संबंध में भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा एक गैप विश्लेषण किकेंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता निर्धारित करने और खाद्य वस्तुओं के लिए मानदंड तय करने के लिए देश भर से और बाजार से लिए गए खाद्य नमूनों का विश्लेषण करने हेतु स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के अंतर्गत 1955 में स्थापित की गई थी। प्रारंभ में, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला अखिल भारतीय स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता के परिसर में स्थापित की गई थी और बाद में इसे 3, केवाईडी स्ट्रीट, कोलकाता–700016 स्थित उसके अपने भवन में स्थानांतरित कर दिया गया।

> खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम घरेलु और आयातित दोनों खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इस प्रयोगशाला को एक उत्कृष्टता कंन्द्र बनाने का सतत प्रयास किया जाता रहा है। यह प्रयोगशाला राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से प्रत्यायन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

वर्ष 2010–11 के दौरान चार केंद्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किए गए और अपमिश्रित पाए गए नमूनों की संख्या का विवरण

केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला का नाम	अधिनियम की धारा 12 (12क) 13 (2ख) के अंतर्गत		विचारण न्या सीमा—शुल्व न्यायाव स्वास्थ्य आ और विशेष न खाद्य अपमिश्र अधिनियम से	5 विभाग, लय, धेकारियों मूनों से जो ण निवारण	अध्यय	और गात्मक नों के	कुल			
	विश्लेषित	अपमिश्रित	विश्लेषित	अपमिश्रित	विश्लेषित	अपमिश्रित	विश्लेषित	अपमिश्रित		
सीएफएल, पुणे					48		1086	554		
सीएफएल, कोलक					86		1072	49		
एफआरएसएल,			<u> </u>				575	406		
सीएफटीआरआई, मैसूर		_		-	100		3994 821			



6. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण



(मुख्यालय, दिल्ली में संचालित हो रहा प्रशिक्षण कार्यक्रम)

प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया प्रारूप प्रशिक्षण नीति विवरण पणधारकों के साथ परामर्शाधीन है। इ दस्तावेज में खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास के लिए कार्यनीति की रूपरेखा व गई है जिसे पणधारकों तथा अन्य भागीदारों द्वारा आगे ले जाया जाएगा।

प्रमुख पहलें

- एफएसएसएआई मुख्यालय, नई दिल्ली में खाद्य सुरक्षा आयुक्तों (एफएससी) के लिए अभिविन्या प्रशिक्षण कार्यक्रम
- खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (टॉट) देश में विभिन्न स्थानों प संचालित किए गए। प्रशिक्षकों द्वारा डाउन लाइन कार्यक्रम भी कुछ राज्यों में चलाए गए हैं।
- देश में विभिन्न स्थानों पर नामित अधिकारियों के लिए 5—दिवसीय कार्यक्रम
- एफएसएस अधिनियम और नियमों के कार्यन्वयन के लिए राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों की तैयारी क समझने हेतु क्षेत्रीय कार्यशाला।

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

 टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट और मिचीगन स्टेट यूनिवर्सिटी (एमएसयू) के सहयोग से न दिल्ली में दिनांक 9-11 नवंबर, 2010 तक खाद्य सुरक्षा कार्यन्वयन हेतु सर्वोत्तम पद्धित संबंधि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

प्रयोगशालाओं संबंधी विदेशगत प्रशिक्षणों एवं फेलोशिप के लिए मनोनित एफएसएसएआई अधिकारी

कार्यशालाएं

सीमा—शुल्क विभाग, विमानपत्तन प्राधिकरण, पोत—परिवहन मंत्रालय, सीमाशुल्क हाउस एजेन्टों और आयात एवं निर्यात संघों इत्यादि समेत अनेक खाद्य सुरक्षा पणधारकों के लिए वर्षभर कार्यशालाएं और ऐसे ही अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं।

- » सवोत्तम-सिटीजन चार्टर
- 🕨 गुणवत्ता—आईएसओ प्रणालियां आईएसओ 2000, 17025 अन्य गुणवत्ता प्रणालिया
- > मिशन खाद्य सुरक्षा का सशक्तीकरण
- पणधारकों का परामर्श— आयात, विनियमों का निर्माण
- खाद्य सुरक्षा व्याख्यानमाला
- कोडेक्स प्रशिक्षण
- 🕨 एफएसएसएआई प्राधिकृत अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण

व्यावसायिक संस्थानों से संपर्क

- क. गृहिणियों, युवा बालिकाओं को कौशलों को सिखाने के संबंध में पाठ्यक्रम विकसित करने हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
- ख. क्षमता निर्माण के लिए अर्थात राज्य विनियामक स्टाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नामोदिष्ट अधिकारी, अधिनिर्णायक अधिकारी और खाद्य हैंडलरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान (आईआईपीएच)।
- ग. आहार संपूरकों के लिए राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद



- घ. खाद्य सुरक्षा योजना के लिए प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), बंगलोर।
- ड. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल- उत्कृष्टता केंद्र
- च. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनंद उत्कृष्टता केंद्र
- छ. निर्यात निरीक्षण परिषद –आयात खाद्य नमूनों का परीक्षण
- ज. भारतीय गुणवत्ता परिषद -प्रयोगशालाओं के लिए गैप अध्ययन।
- झ. सीएफटीआरआई मैसूर- मांस संबंधी मामलों के लिए मैसूर स्थित नोडल प्रयोगशाला।
- ञ. कृषि एवं प्रसंस्करित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास अभिकरण (एपीईडीए)— मानदंडों को संगत बनाने के लिए एसपीएस उपायों के संदर्भ में सूचनाओं का आदान—प्रदान।
- त. भारतीय पशुचिकित्सा शोध संस्थान— मांस संबंधी मामले।

प्रशासन और मानव संसाधन

नलग्न विवरणों के अनुसार एफएसएसएआई की नई संरचना को अनुमोदित किया गया और 351 पद स्वीकृत केए गए। सभी निदेशकों का पद मुख्यालय में और प्रयोगशालाओं में भरा गया। विज्ञापनों के अनुसार पदों को एने के लिए वर्ष के दौरान प्रयास किए गए। धारा 90 के अंतर्गत कर्मचारियों की मानद प्रतिनियुक्तियों को माने वर्ष अर्थात् 2011–12 के दौरान नियमित कर दिया जाएगा। प्राधिकरण के कर्मचारियों की कुल संख्या मार्च 2011 को 189 है।

गर्यालय

गयातित खाद्य पदार्थों को संभालने के लिए पत्तन प्राधिकारियों द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रदान किए गए रिसरों में पत्तन–स्थित कार्यालय, जिसमें विमानपत्तन भी शामिल हैं, स्थापित किए गए हैं। मुम्बई और जबीसीसी स्थल पर क्षेत्रीय कार्यालय परिसर भी दिल्ली में अंतिम रूप से तय किए गए हैं।

गननीय स्वास्थ्य मंत्री ने एफडीए भवन, नई दिल्ली के समीप आबंटित स्थल पर एफएसएसएआई मुख्यालय के नेर्माण के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

नेभार—तंत्र की सेवाएं, आंतरिक रखरखाव, सुरक्षा, अग्नि—सुरक्षा और संरक्षा, वातानुकूलन, बागवानी. समिति कक्ष और सभा—कक्ष में प्लाज्मा टी.वी सभी पूर्णतः कार्य कर रहे हैं। सुरक्षित और अच्छी कार्य गुणवत्ता नुनिश्चित करने के लिए किराए पर लिए गए परिसरों में विभिन्न स्थानों पर ऐसी ही सेवाओं के लिए मुख्यालय में अनुमोदन प्रदान किया गया है।

र्मुकि मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पदों के लिए नियमित भर्ती प्रक्रिया में समय लग जाता है, कतिपय तकनीकी वाओं को एक स्थानीय प्रतिष्ठित एचआर अभिकरण के माध्यम से आउटसोर्स कर दिया जाता है।

फएसएसएआई के क्षेत्रीय कार्यालय

- उत्तरी क्षेत्र : (एफएसएसएआई, ईस्ट टावर, प्रथम तल, एनबीसीसी प्लेस प्रगति विहार, भीष्म पितामह वर्गार्ग, नई दिल्ली—110003) दूरभाष— (011—24360936)
 - (i) **उपक्षेत्रीय कार्यालय**: एफएसएसएआई हाल सं. 3, 9वां तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ—226024 दूरभाष: 0522—2381899
 - (ii) उपक्षेत्रीय कार्यालय : एफएसएसएआई, मार्फत— विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, द्वितीय तल, केंद्रीय सदन, सेक्टर—9 क, चंडीगढ़—110017



ख. दक्षिणी क्षेत्र : एफएसएसएआई, दक्षिणी क्षेत्र, सी-10डी, राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नै-90 दूर 044-24912421 फैक्स: 044-2443569

(प्राधिकृत अधिकारी (चेन्नै डॉक) — एफएसएसएआई, मार्फत— विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, शास्त्री भ चतुर्थ तल छठी मंजिल, 26, हैड्डोज रोड, चेन्नै—600006 दूरभाष—044—28278065, फैक्सः 044—28271 मोबाइल—09444201926

ग. पूर्वी क्षेत्र : एफएसएसएआई, पूर्वी क्षेत्र, मयूख भवन, उच्चतम तल, सॉल्ट लेक, कोलकाता, दूरः (033—235580391) फैक्सः 033—235845625

प्राधिकृत अधिकारी (कोलंकाता डॉक)

एफएसएसएआई, मार्फत – विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, सीजीओ कॉम्पलेक्स, चतुर्थ तल, ए— डीएफ—ब्लॉक,सेक्टर—1, सॉल्ट लेक, कोलकाता—700064

घ. उत्तर—पूर्वी क्षेत्र : एफएसएसएआई, उत्तर—पूर्वी क्षेत्र, 6 माइल, पंजाबाड़ी रोड, पोस्ट ऑफिस पर्याब गुवाहाटी 761037, टेलीफैक्स: 0361—2332446

श्री पंचम, वरिष्ठ निरीक्षण अधिकारी

ड़. पश्चिमी क्षेत्र : एफएसएसएआई, पश्चिमी क्षेत्र, पुराना सीजीओ भवन, 101, एम.के. मार्ग, मुम्बई, दूर 022—22071474, फैक्स: 022—2205206, ई—

1. श्री ऐईस कुमार, वरिष्ठ निरीक्षण अधिकारी

– प्राधिकृत अधिकारी– जेएनपीटी, मुंबई

2. डा. एस.के. हलदर, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी—हिल्दिया डॉक, एफएसएसएआई, मा विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नया सीजीओ भवन, न्यू मैरीन लाइन्स, मुंबई—400 दूरभाष—022—22091103

दुग्ध इकाइयों, मीट केंद्रों, फल एवं सब्जी उत्पाद विभाग के वार्षिक रिपोर्ट और प्रयोगशालाओं के प्रप्रितवेदन समय—समय पर एकत्र किए गए और समेकित किए गए।

अंतर्मत्रालयी समन्वय: एफएसएसएआई ने विभिन्न खाद्य सुरक्षा मामलों पर विभिन्न मंत्रालयी विभ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों, तथा अन्य सरकारी अभिकरणों के साथ समन्वय किया।

कल्याण और शिकायतें : कार्य स्थान पर यौन शोषण पर कार्रवाई के लिए एक समिति गठित की गई है। निश्चित करियर प्रगति और संशोधित निश्चित करियर प्रगति योजना (एमएसीपीएस) के अंतर्गत मामलों जांच करने और उनका निपटान करने के लिए समिति गठित की गई।

राजभाषा: राजभाषा से जुड़े सभी आदेश/परिपत्र, जो राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए, परिचालित कार्यन्वित किए गए।

नाम—पट्टिकाओं, मोहरों, पत्र—शीर्षों, फाइल कवरों और ऐसी ही अन्य लेखन—सामग्रियों को यथापरिचालित में द्विभाषी प्ररूप में मुद्रित कराया गया। एफएसएसएआई राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा सि द्वारा जारी निदेशों का पालन कर रहा है और आगे और कार्रवाई कर रहा है।

एफएसएसएआई (मुख्यालय)/जोनल/सब—जोनल कार्यालय/प्रयोगशालाओं में पदों को दर्शाने वाला विवरण


			ग्रेड	रखे	एमओएफ	कुल
	संशोधन-पूर्व	संशोधित वेतन बैंड	वेतन	गए पद	द्वारा	पद
पदनाम	वेतनमान	(रूपये)	(रूपये)		स्वीकृत पद	
अध्यक्ष, एफएसएसएआई	26000 (नियत)	80000 (नियत)	शून्य	1		1
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	22400-24500	37400-67000 [पीबी -4]	12000	1		1
उप मु.का.अ. (अलग से						
स्वीकृत)	18400-22400	37400-67000 [पीबी -4]	10000	0	1	1
मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार	22400-24500	67000-(A1@3%-79	000)	0	1	1
वैज्ञानिक समूह IV(5)	16400-20000	37400-67000 [पीबी -4]	8900	0	2	2
वैज्ञानिक समूह IV(4)	14300-18300	37400-67000 [पीबी -4]	8700	0	4	4
वैज्ञानिक समूह IV (3)	12000-16500	15600-39100 [पीबी -3]	7600	0	6	6
वैज्ञानिक समूह IV (2)	10000-15200	15600-39100 [पीबी -3]	6600	0	6	6
वैज्ञानिक समूह IV(1)	8000-13500	15600-39100 [पीबी -3]	5400	0	12	12
मुख्य पीएक्यूए अधिकारी	18400-22400	37400-67000 [पीबी -4]	10000	0	1	1
मुख्य प्रवर्तन अधिकारी	18400-22400	37400-67000 [पीबी -4]	10000	0	1	1
मुख्य प्रबंधन सेवा अधिकारी	18400-22400	37400-67000 [पीबी -4]	10000	0	1	1
	उप-योग				0.5	
निदेशक				2	35	37
निदेशक (पीएक्यूए)		-00				
	14300-18300	37400-67000 [पीबी -4]	8700	0	1	1
निदेशक (निगरानी)	14300-18300	37400-67000 [पीबी -4]	8700	1		1
निदेशक (प्रवर्तन)	14300-18300	37400-67000 [पीबी -4]	8700	1		1
निदेशक (प्रबंधन सेवाएं)	14300-18300	37400-67000 [पीबी -4]	8700	1		1
निदेशक (कोडेक्स प्रभाग)	14300-18300	37400-67000 [पीबी -4]	8700	0	1	1
जोनल निदेशक (04 जोन)	14300-400-18300	37400-67000 [पीबी -4]	8700	0	2	2
जोनल निदेशक (नई दिल्ली						
जोन)	14300-400-18300	37400-67000 [पीबी -4]	8700	1		1
	उप-योग			4	4	8
वित्तीय सलाहकार			-			
वित्तीय सलाहकार		27400 67600 500	0.500	7	22	
	14300-18300 उप—योग	37400-67000 [पीबी -4]	8700	0	1	1
संयुक्त निदेशक	04-पान	1		0	1	1
संयुक्त निदेशक (पीएक्यूए)	10000 15700	15000 20100 500	5 (00		(4	0
दुन्य । नवरावर (वाएवयूए)	12000-16500	15600-39100 [पीबी -3]	7600	0		0



संयुक्त निदेशक (प्रवर्तन) 12000-16500 15600-39100 [पीबी -3] 7600 0 2 1 संयुक्त निदेशक (प्रकंपडण) 12000-16500 15600-39100 [पीबी -3] 7600 0 2 1 संयुक्त निदेशक (एफएंडण) 12000-16500 15600-39100 [पीबी -3] 7600 0 1 1 संयुक्त निदेशक (एफएंडण) 12000-16500 15600-39100 [पीबी -3] 7600 0 1 1 संयुक्त निदेशक (प्रकंपडण) 12000-16500 15600-39100 [पीबी -3] 7600 0 1 1 संयुक्त निदेशक (प्रकंपडण) 12000-375-16500 15600-39100 [पीबी -3] 7600 0 2 1 संयुक्त निदेशक (नई दिल्ली जोन) 12000-375-16500 15600-39100 [पीबी -3] 7600 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
संयुक्त निदेशक (एफएंडए) 12000-16500 15600-39100 [पीबी -3] 7600 0 1 1 संयुक्त निदेशक (सतर्कता) 12000-16500 15600-39100 [पीबी -3] 7600 0 1 1 संयुक्त निदेशक (04 जोनल कार्यांक्तय) 12000-375-16500 15600-39100 [पीबी -3] 7600 0 2 संयुक्त निदेशक (नई दिल्ली जोन) 12000-375-16500 15600-39100 [पीबी -3] 7600 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
संयुक्त निदेशक (सत्तर्कता) 12000-16500 15600-39100 [पीबी -3] 7600 0 1 संयुक्त निदेशक (04 जोनल कार्यालय) 12000-375-16500 15600-39100 [पीबी -3] 7600 0 2 संयुक्त निदेशक (नई दिल्ली जोन) 12000-375-16500 15600-39100 [पीबी -3] 7600 1 1 1 8 उप निदेशक (पीएक्यूए) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 1 3 उप निदेशक (पीएक्यूए) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 1 3 उप निदेशक (प्रविद्यान) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 1 3 उप निदेशक (प्रविद्यान) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 1 3 उप निदेशक (प्रविद्यान) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 2 2 3 उप निदेशक (प्रविद्यान) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 1 3 उप निदेशक (प्रविद्यान) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 2 2 3 उप निदेशक (जोडेक्स प्रभाग) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 1 3 उप निदेशक (जोडेक्स प्रभाग) 10000-325-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 4 4 4 3 उप निदेशक (नई दिल्ली जोन) 10000-325-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 2 4 3 उप निदेशक (पीएक्यूए) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 0 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
संयुक्त निदेशक (04 जोनल कार्यालय) 12000-375-16500 15600-39100 [पीबी -3] 7600 0 2 संयुक्त निदेशक (नई दिल्ली जोन) 12000-375-16500 15600-39100 [पीबी -3] 7600 1 1 1 3
कार्यालय) 12000-375-16500 15600-39100 [पीबी -3] 7600 0 2 संयुक्त निदेशक (नई दिल्ली जोन) 12000-375-16500 15600-39100 [पीबी -3] 7600 1 1 1 3 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
संयुक्त निदेशक (नई दिल्ली जोन) 12000-375-16500 15600-39100 [पीबी -3] 7600 1 1 8 8
जीन) 12000-375-16500 15600-39100 [पीबी -3] 7600 1 1 उप निदेशक उप निदेशक (पीएक्यूए) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 उप निदेशक (पिएक्यूए) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 उप निदेशक (प्रवर्तन) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 उप निदेशक (प्रवर्धन) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 2 2 उप निदेशक (फ्राइंधन) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 उप निदेशक (कोडेक्स प्रभाग) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 उप निदेशक (कोडेक्स प्रभाग) 10000-325-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 4 4 उप निदेशक (कि क्षा) 10000-325-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 2 4 उप निदेशक (पिएक्यूए) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 0 2 सहायक निदेशक (प्रवर्तन) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (प्रवर्तन) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (प्रवर्तन) 8000-13500 <th< td=""></th<>
उप-योग उप निदेशक उप निदेशक (पीएक्यूए) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 उप निदेशक (पीएक्यूए) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 उप निदेशक (प्रवर्तन) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 उप निदेशक (प्रबंधन) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 2 2 उप निदेशक (कोडेक्स प्रभाग) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 उप निदेशक (कोडेक्स प्रभाग) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 उप निदेशक (कोडेक्स प्रभाग) 10000-325-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 4 4 उप निदेशक (नई दिल्ली) 10000-325-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 2 4 उप —योग 12 14 सहायक निदेशक (पीएक्यूए) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 0 2 सहायक निदेशक (प्रवर्तन) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (प्रवंका) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (प्रवंका) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400
उप निदेशक उप निदेशक (पीएक्यूए) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 उप निदेशक (पिएक्यूए) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 उप निदेशक (प्रवर्तन) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 उप निदेशक (प्रबंधन) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 2 2 उप निदेशक (कोडेक्स प्रभाग) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 उप निदेशक (कोडेक्स प्रभाग) 10000-325-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 4 4 उप निदेशक (वर्ष केल्ली 10000-325-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 4 4 उप निदेशक (नई दिल्ली 10000-325-15200 15600-39100 [पीबी -3] 5400 2 4 उप निदेशक (पीएक्यूए) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 0 2 सहायक निदेशक (प्रवर्तन) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (प्रवर्तन) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (प्रवर्तन)
उप निदेशक (पीएक्यूए) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 उप निदेशक (निगरानी) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 उप निदेशक (प्रवर्तन) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 2 2 उप निदेशक (प्रबंधन) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 उप निदेशक (कोडेक्स प्रभाग) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 उप निदेशक (कोडेक्स प्रभाग) 10000-325-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 4 4 उप निदेशक (वर्च दिल्ली जोन) 10000-325-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 2 4 उप निदेशक (नई दिल्ली जोन) 10000-325-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 2 4 उप निदेशक (नई दिल्ली जोन) 10000-325-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 2 4 सहायक निदेशक (पीएक्यूए) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 0 2 सहायक निदेशक (प्रवर्तन) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (प्रवर्तन) 8000-13500 <td< td=""></td<>
उप निदेशक (निगरानी) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 उप निदेशक (प्रवर्तन) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 उप निदेशक (प्रबंधन) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 2 2 उप निदेशक (कोडेक्स प्रभाग) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 उप निदेशक (04 जोन) 10000-325-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 4 4 उप निदेशक (नई दिल्ली जोन) 10000-325-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 2 4 उप —योग 12 14 सहायक निदेशक (पीएक्यूए) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 0 2 सहायक निदेशक (प्रवर्तन) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (प्रवर्तन) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (प्रवर्तन) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (प्रवर्तन) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 2 4 सहायक नि
उप निदेशक (प्रवर्तन) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 उप निदेशक (प्रबंधन) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 2 2 उप निदेशक (कोडेक्स प्रभाग) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 उप निदेशक (04 जोन) 10000-325-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 4 4 उप निदेशक (नई दिल्ली जोन) 10000-325-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 2 4 सहायक निदेशक (नई दिल्ली जोन) 10000-325-15200 15600-39100 [पीबी -3] 5400 2 4 सहायक निदेशक (पीएक्यूए) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 0 2 सहायक निदेशक (प्रवर्तन) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (प्रवर्धन) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (प्रवर्धन) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (प्रवर्धन) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (क्राइक (क्राइक (क्राइक (क्राइक (क्राइक (क्राइक (क्राइक (क्र
उप निदेशक (प्रबंधनं) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 2 2 उप निदेशक (कोडेक्स प्रभाग) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 उप निदेशक (04 जोन) 10000-325-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 4 4 उप निदेशक (नई दिल्ली जोन) 10000-325-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 2 4 उप-योग 12 14 सहायक निदेशक (पीएक्यूए) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 0 2 सहायक निदेशक (प्रवर्तन) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (प्रवर्धनं) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (प्रवर्धनं) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 2 4 सहायक निदेशक (प्रवर्धनं) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (कोडेक्स) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (कोडेक्स) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1<
उप निदेशक (कोडेक्स प्रभाग) 10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 3 6600 1 1 3 पनिदेशक (04 जोन) 10000-325-15200 15600-39100 [पीबी -3] 3 6600 4 4 4 5 पनिदेशक (नई दिल्ली जोन) 10000-325-15200 15600-39100 [पीबी -3] 4 5 12 14 5 14 5 14 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
10000-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 1 1 1 1 1 1 1 1 1
उप निदेशक (नई दिल्ली जोन) उप—योग 12 4 उप—योग 12 14 सहायक निदेशक 12 14 सहायक निदेशक (पीएक्यूए) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 0 2 सहायक निदेशक (प्रवर्तन) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 सहायक निदेशक (प्रवर्धन) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 सहायक निदेशक (सतर्कता) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 सहायक निदेशक (कोडेक्स) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 1
जोन) 10000-325-15200 15600-39100 [पीबी -3] 6600 2 4 उप—योग सहायक निदेशक सहायक निदेशक 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 0 2 सहायक निदेशक (निगरानी) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (प्रवर्तन) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (प्रबंधन) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 2 4 सहायक निदेशक (सतर्कता) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (कोडेक्स) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1
उप—योग1214सहायक निदेशक8000-1350015600-39100 [पीबी -3]540002सहायक निदेशक (पीएक्यूए)8000-1350015600-39100 [पीबी -3]540011सहायक निदेशक (प्रवर्तन)8000-1350015600-39100 [पीबी -3]540011सहायक निदेशक (प्रवर्तन)8000-1350015600-39100 [पीबी -3]540024सहायक निदेशक (प्रवर्कता)8000-1350015600-39100 [पीबी -3]540011सहायक निदेशक (सतर्कता)8000-1350015600-39100 [पीबी -3]540011सहायक निदेशक (कोडेक्स)8000-1350015600-39100 [पीबी -3]540011
सहायक निदेशक (पीएक्यूए) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 0 2 सहायक निदेशक (निगरानी) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (प्रवर्तन) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (प्रबंधन) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 2 4 सहायक निदेशक (प्रतर्कता) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (सतर्कता) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (कोडेक्स) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1
सहायक निदेशक (पीएक्यूए) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 0 2 सहायक निदेशक (निगरानी) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (प्रवर्तन) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (प्रबंधन) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 2 4 सहायक निदेशक (सतर्कता) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (कोडेक्स) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1
सहायक निदेशक (निगरानी) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 1 सहायक निदेशक (प्रवर्तन) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 1 सहायक निदेशक (प्रबंधन) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 2 4 सहायक निदेशक (सतर्कता) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (कोडेक्स) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1
सहायक निदेशक (प्रवर्तन) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 1 सहायक निदेशक (प्रबंधनं) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 2 4 सहायक निदेशक (सतर्कता) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (कोडेक्स) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1
सहायक निदेशक (प्रबंधनं) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 2 4 सहायक निदेशक (सतर्कता) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (कोडेक्स) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1
सहायक निदेशक (प्रबंधनं) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 2 4 सहायक निदेशक (सतर्कता) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1 सहायक निदेशक (कोडेक्स) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1
सहायक निदेशक (कोडेक्स) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 1
सहायक निदेशक (हिन्दी) 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 0
1 3400 13000
सहायक निदेशक (04 जोन) 8000-275-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 4 2
सहायक निदेशक (नई
दिल्ली जोन) 8000-275-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 1 2
उपयोग 11 15
विधि अधिकारी 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 0 2
विध अधिकारी 8000-13500 15600-39100 [पीबी -3] 5400 0 2 उप—योग 0 2
वरि. वित्त एवं लेखा अधिकारी
वरि. वित्त एवं लेखा
अधिकारी 10000-15200 15600-39100 [पीबी -2] 5400 0 1
उप-योग 0 1
वित्त एवं लेखा अधिकारी
वरि. वित्त एवं लेखा अधिकारी 8000-13500 15600-39100 [पीबी -2] 4800 0 3

वरि. वित्त एवं लेखा						
अधिकारी	8000-13500	15600-39100 [पीबी -2]	4800	0	3	3
जापपगरा	उप-योग			0	3	3
वरि. निजी सचिव						
वरि. निजी सचिव	8000-13500	15600-39100 [पीबी -2]	4800	2	1	3
	उप-योग			2	1	3
निजी सचिव (पीएस)					n e	0
निजी सचिव (पीएस) -		0.0				
एफएसएसएआई मुख्यालय	6500-10500	9300-34800 [पीबी -2]	4200	4	8	12
निजी सचिव (पीएस)-04		0.0				
जोन	6500-10500	9300-34800 [पीबी -2]	4200	1.	2	3
	उप—योग			5	10	15
वैयक्तिक सहायक						
वैयक्तिक सहायक,						
एफएसएसएआई मुख्यालय	5500-9000	9300-34800 [पीबी-2]	4200	0	15	15
	उप-योग			0	15	15
तकनीकी अधिकारी						
तकनीकी अधिकारी,						
एफएसएसएआई मुख्यालय	6500-10500	9300-34800 [पीबी-2]	4200	5		5
तकनीकी अधिकारी (04						-
जोन)	6500-10500	9300-34800 [पीबी-2]	4200		10	10
तकनीकी अधिकारी (नई						
दिल्ली जोन)	6500-10500	9300-34800 [पीबी -2]	4200		5	5
	उप–योग			5	15	20
प्रशासन और लेखा						
अधिकारी						
प्रषासन और लेखा अधिकारी						
(04 जोन)	8000-275-13500	15600-39100 [पीबी-2]	4800	0	3	3
प्रषासन और लेखा अधिकारी						
(नई दिल्ली जोन)	8000-275-13500	15600-39100 [पीबी-2]	4800	0	1	1
	उप–योग			0	4	4
सहायक	31. 00.					
सहायक -एफएसएसएआई						ata .
मुख्यालय	6500-10500	9300-34800 [पीबी -2]	4200	0	5	5
	उप-योग	3300 3 1000 [11 11 2]	4200	0	5	5
परियोजना एसोसिएट	01 411		8	U	3	3
परियोजना एसोसिएट		**				
-एफएसएसएआई मुख्यालय	आर्थिक कार्ग किएम	की इंटर्न योजना के अनुसार	्रांतिस अणा		चार्च	
उम्प्रतप्रतप्रवाह नुष्पालय	जााथक काय विमान	का इटन याजना क अनुसार	सावदा आध	र पर लिए जान	पाल	
लाइब्रेरियन						
लाइब्रेरियन,-एफएसएसएआई मुख्यालय	4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0.0	2000 2000	100		
गुंख्यालय	6500-10500	9300-34800 [पीबी -2]	4200	0	1	1
	उप–योग			0	1	1
चपरासी (*)						
चपरासी, एफएसएसएआई					_ = =	
मुख्यालय	2650-4000	4440-7440 [-1S]	1650	22		22
		1110 1110 [10]		22		





चपरासी	2550-3200 उप—योग	4440-7440 [S-1]	1300	1		1
प्रयोगषाला परिचर	2650-4000	4440-7440 [S-1]	1650	6		6
चालक	3050-4590	5200-20200 [पीबी -1]	1900	1		1
अवर श्रेणी लिपिक	3050-4590	5200-20200 [पीबी -1]	1900	2		2
प्रयोगषाला सहायक	3200-4900	5200-20200 [पीबी -1]	2000	3	4= 4=	3
वरि. प्रयोगषाला सहायक	4500-7000	5200-20200 [पीबी -1]	2800	1	2	3
सहायक	6500-10500	9300-34800 [पीबी -2]	4200		2	2
लेखा सहायक	6500-10500	9300-34800 [पीबी-2]	4200		1	1
कनिष्ठ विश्लेषक / टी.ओ.	6500-10500	9300-34800 [पीबी -2]	4200	4	11	15
निजी सचिव	6500-12000	9300-34800[पीबी -2]	4200		1	1
वरि. विश्लेषक	8000-13500	15600-39100 [पीबी -3]	5400	2		2
वरि. लेखा अधिकारी	8000-13500	15600-39100 [पीबी -2]	5400		1	1

रक्सौल एवं सोनौली प्रयोगशा	लाएं					
वरि. विश्लेषक	8000-13500	15600-39100 [पीबी -3]	5400	2		2
कनिष्ठ विश्लेषक	6500-10500	9300-34800 [पीबी -2]	4200	2		2
प्रयोगषाला सहायक	3200-4900	5200-20200 [पीबी -1]	2000	2	2	4
सहायक	6500-10500	9300-34800 [पीबी -2]	4200		2	2
चपरासी	2650-3200	4440-7440 [S-1]	1650			0
	उप–योग			6	4	10
केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, मुंब	ई					0
निदेशक	14300-18300	37400-67000 [पीबी -4]	8700	1		1
संयुक्त निदेशक	12000-16500	15600-39100 [पीबी -3]	7600		1	1
सूक्ष्मजीवविज्ञानी / सीटीओ	10000-15200	15600-39100 [पीबी -3]	6600	1	2	3
उप निदेशक (प्रषासन एवं						
वित्त)	10000-15200	15600-39100 [पीबी -3]	6600		1	1
वरि. विश्लेषक (जीएम फूड्स)	8000-13500	15600-39100 [पीबी -3]	5400	1	3	4
वरि. विश्लेषक	8000-13500	15600-39100 [पीबी -3]	5400	1		1
वरि. लेखा अधिकारी	8000-13500	15600-39100 [पीबी -2]	5400		1	1
निजी सचिव	6500-12000	9300-34800[पीबी -2]	4200		1	1
लेखा सहायक	6500-10500	9300-34800 [पीबी -2]	4200		1	1
सहायक	6500-10500	9300-34800 [पीबी -2]	4200	W TT	1	1
कनिष्ठ विश्लेषक	6500-10500	9300-34800 [पीबी -2]	4200	1	8	9
कनिष्ठ विश्लेषक (जीएम	-					

कनिष्ठ विश्लेषक (जीएम						
फूड्स)	6500-10500	9300-34800 [पीबी -2]	4200	1		
वरि. प्रयोगषाला सहायक	4500-7000	5200-20200(पीबी -1)	2800		4	
प्रयोगषाला सहायक	3200-4900	5200-20200 [पीबी -1]	2000	4	2	,
	उप-योग			10	25	-
	योग (ख)			10	23	16
	महायोग (क) + (ख	g)				15
						35

संसद मामले, सूचना अधिकार संबंधी अनुरोध, अदालती मामले

संसद के सत्र के दौरान अपमिश्रण, कीटनाशक अपशिष्टों, एफएसएस नियमों, प्रयोगशाला मानदंडों, वैज्ञानिक पैनलों इत्यादि के गठन के संबंध में संसद में प्रश्न उठाए गए। उत्तरों को समेकित किया गया और स्वास्थ मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया गया।

सूचना के अधिकार संबंधी अनुरोध समेकित किए गए और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा उत्तर समयबद्ध तरीके से दिए गए। सूचना के अधिकार संबंधी मामलों के लिए एफएसएसएआई में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एफएसएसएआई अपीलीय प्राधिकारी हैं।



8 आयातित खाद्य-पदार्थों की संरक्षा



यह सुनिश्चित करने के लिए भारत में आयातित खाद्य पदार्थ सुरक्षित हैं, एक खाद्य आयात स्वीकृति प्रणाली (एफआईसीएस) के संकल्पना-निर्माण, अभिकल्पन और कार्यान्वयन के लिए एफएसएसएआई द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्न्मेंट (एनआईएसजी) हैदराबाद की सेवाएं ली गई।

एनआईएसजी ने निम्नलिखित समुद्री और विमानपत्तनों पर आयातित खाद्य-पदार्थ स्वीकृति प्रक्रिया को क्रियान्वित करने के लिए एफएसएसएआई की मदद भी की।

- 1) चेन्नै समुद्री और विमानपत्तन
- 2) मुंबई समुद्री और विमानपत्तन न्यास, मुंबई
- 3) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, न्हावा शेवा, मुंबई
- 4) कोलकाता समुद्री और विमानपत्तन न्यास, कोलकाता और
- 5) हल्दिया डॉक कॉम्पलेक्स, पुर्बा, मेदनीपुर, पश्चिम बंगाल
- 6) नई दिल्ली विमानपत्तन
- 7) <mark>तुगलका</mark>बाद इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी), दादरी आईसीडी—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। एफएसएसएआई ने आयातित खाद्य-पदार्थ की स्वीकृति के लिए धारा 47(5) के अधीन प्राधिकृत



अधिकारियों को अधिसूचित किया। वर्ष के दौरान सभी पणधारकों को शामिल करते हुए प्रत्येक स्थान पर एक बैठक आयोजित की गई।

आयात खाद्य सुरक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं-

- 1. सीमा-शुल्क हाउस एजेन्टों से नमूने का अनुरोध
- 2. खाद्य पदार्थ का इसके खतरों के अनुरूप नमूना लेना
- 3. नमूने को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में प्रस्तुत करना
- 4. प्रयोगशाला रिपोर्ट की प्राप्ति 🛰
- 5. खाद्य आयात की स्वीकृति के लिए सीमा–शुल्क विभाग को अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना।

9. सूचना शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.)

(I) जागरूकता और संचार

खाद्य सुरक्षा संबंधी विज्ञापन— पैन इंडिया

अन्य पणधारकों के साथ विस्तृत चर्चा के उपरांत संचार की एक अधिक सूक्ष्म कार्यनीति अपनाई गई। एफएसएसएआई ने अपने पैनल के अभिकरणों के माध्यम से देश भर में बहुभाषी रूप में प्रिंट मीडिया विज्ञापनों को अंतिम रूप देकर जारी किया। एफएसएसएआई के पर्चे, विवरणिकाएं और ऐसी ही अन्य लिखित सामग्रियां तैयार की गई और वितरित की गई। खाद्य सुरक्षा और सामान्य स्वच्छता से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न टी.वी.चौनलों पर टी.वी. स्पॉट डिजाइन करने, बनाने और जारी करने के लिए डीएवीपी के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

आकाशवाणी पर रेडियो संगीत—ध्वनि (पैन इंडिया)

एफएम गो<mark>ल्ड तथा आकाशवाणी के अन्य चैनलों पर इस प्रकार अंतिम रूप दी गई रेडियो संगीत—ध्वनियां</mark> प्रसारित की गई जिनसे आईसीसी विश्व कप क्रिकेट 2011 के दौरान महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

दूरदर्शन पर फीचर कार्यक्रम— "कल्याणी"।

दूरदर्शन के 8 क्षेत्रीय स्टेशनों— लखनऊ, भोपाल, जयपुर, रायपुर, रांची, गुवाहाटी, भुवनेश्वर और पटना से प्रसारित किए जाने के लिए 30 मिनट के 6 एपिसोड वाले खाद्य सुरक्षा संबंधी "कल्याणी कार्यक्रम" हेतु दूरदर्शन के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

जनता के विभिन्न वर्गों में जागरूकता पैदा करना और खाद्य सुरक्षा मुद्दों हेतु लक्षित श्रोता—दर्शक वर्ग की पहचान करना संचार कार्यनीति का केंद्र बिन्दु रहा है। तथापि, एक और अधिक मुद्दा आधारित जागरूकता अभियान तैयार किया जा रहा है जिसमें नए खाद्य संबंधी नियमों और विनियमों, प्रवर्तन प्रक्रियाओं के पहलुओं, मानदंडों, लेबलिंग, निगरानी, खाद्य—पदार्थ की वापसी के संबंध में जागरूकता को शामिल किया जाएगा। इसमें खाद्य पदार्थों संबंधी नए नियमों और उनके विनियमों के संबंध में सामान्य जागरूकता हेतु सुधार सूचनाओं को भी शामिल किया जाएगा। जागरूकता अभियान गैर—सरकारी संगठनों, मीडिया संसाधन व्यक्तियों के व्यापार निकायों और उद्योग संघों इत्यादि को शामिल करके बहुभाषी और बहुमाध्यम वाले प्ररूप में होगा।

(॥) सूचना प्रौद्योगिकी और पुस्तकालय सेवाए

प्राधिकरण के सभी कार्य अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में हैं। एफपीओ, पीएफए से संबंधित पुराने अभिलेखों डिजिटीकरण, एनआईसी के आंकड़ा केंद्र में एफएसएसएआई वेबसाइट की हॉयस्टिंग, एनआईसी केंद्र में र आर.एफ.डी. 2010-11 कारवाई, वितरण योग्य तथा यह सेवा वितरण के मानकों को भी शामिल किया। गए सर्वरों, एनआईसी परिसर में एफएसएसएआई आंकड़ा पुनर्प्राप्ति केंद्र संबंधी कार्यों को अंतिम रूप दिया रहा है। सुरक्षा परीक्षा और ई—ऑफिस प्रशिक्षण और कार्यान्वयन एनआईसी टीम द्वारा किया जाता है।

आयातित खाद्य-पदार्थों की स्वीकृति के लिए सॉफ्टवेयर सहायता एनआईएसजी द्वारा आंतरिक अभिकर प्राधिकरण के उद्देश्य, दूर दृष्टि दस्तावेज तथा अन्य वितरण योग्य सेवाओं पर विचार विमर्श किया गया तथा परामर्श मेसर्स लॉजिक्सॉफ्ट के माध्यम से प्रदान की जाती है। केंद्रीय अनुज्ञप्ति सॉफ्टवेयर अभिकल्पन और विक विचाराधीन है और यदि इसे कार्य-योग्य पाया गया, तो इसे राज्यों से मिलने वाली निविष्टियों के एकीकृत कर दिया जाएगा।

एफएसएसएआई के सभी कार्यालय, जिसमें सभी पत्तनों और समुद्रपत्तनों पर स्थित कार्यालय भी शामिल और प्रयोगशालाएं आधुनिक कम्प्यूटरों और मुद्रण/रेप्रोग्राफिक युक्तियों के साथ 100प्रतिश सूचना-प्रौद्योगिकी संपन्न हैं। इनके एक बार पूर्णतः क्रियाशील और प्रशिक्षित हो जाने के बाद, कर्मचारियों को ई-कार्यालय उपलब्ध हो जाएगा।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त रिपोर्टिंग प्रणाली को संगठन के अंदर ही अभिकल्पित किया गया है।

पुस्तकालय सेवाएं - खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा संबंधी संगत पत्र-पत्रिकाएं इत्यादि पुस्तकालय उपलब्ध हैं। प्रकाशनों के सभी महत्वपूर्ण अंक एफडीए भवन पुस्तकालय, दिल्ली में उपलब्ध हैं।

अमेरिकन सेंटर की संस्थागत सदस्यता, और डेलनेट (दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क) की ब्रिटीश काउनि पुस्तकालय सदस्यता ली हुई है। बैठक के कार्यवृत्त, नियम-विनियमों की प्रतियां, अधिसूचनाओं, करियर संब विज्ञापनों, सूचना-पत्रों, पैनलों और वैज्ञानिक समिति के प्रतिवेदनों, आरएफडी, प्रशिक्षण मॉड्युलों और मीरि से जुड़े दस्तावेजों को भी संदर्भ हेतु पुस्तकालय में रखा जाता है।



10. परिणाम ढाँचा दस्तावेज (आर.एफ.डी. 2010-11)

सेवोत्तम परियोजना :

के लिए प्रारूप को परिचालित किया गया था। अंतिम रूप पाने के बाद यह प्रधिकार का 'सिटिजन चार्टर' होगा।

दूरदृष्टि :

भारतीय खाद्य सुरक्षा जो सरकार, निजी तथा सार्वजनिक संस्था एवं संगठन, खाद्य व्यापार, ऑपरेटर, उपभोक्ताओं तथा अन्य शेयर धारकों की भागीदारी सुनिश्चित करती है तथा यह विश्वास दिलाती है कि उपलब्ध खाना सुरक्षित तथा स्वास्थ्यकारी है तथा अर्न्तराष्ट्रिय मानकों का दृढ़ता से पालन करती है।

लक्ष्य:

प्राधिकार<mark>ी स</mark>भी हितधारकों के साथ मिलकर एक स्वीकार्य स्तर की विश्वसनीयता तथा एक प्रभावी भोजन विनियमन एफएसएसएआई ने पुस्तकों, पत्र—पत्रिकाओं को कर्मचारियों हेतु संदर्भ के लिए और जारी किए जाने के हितथा आधुनिक विज्ञान और टैक्नोलॉजी का उपयोग कर एक निगरानी प्रणाली बनाने में तथा सभी हितधारकों को भोजन से संबंधित विज्ञान आधारित सूचना प्रदान करने में मदद करेगी ताकि वो भोजन से संबंधित विकल्प चुन सकें और एक स्वस्थ एव गुणवत्ता/उत्पादक जीवन व्यतीत करें।

उद्देश्य :

- पीएफए तथा अन्य आदेशों से एफएसएसए अधिनियम की ओर संक्रमण
- राज्यों में खाद्य सुरक्षा विनियमन को मजबूत करना
- खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में उपलब्ध सुविधाओं को मजबूत करना
- मौ<mark>जूदा खाद्य मानकों की समीक्षा तथा नये मानकों का विकास करना</mark>



- खाद्य सुरक्षा की निगरानी
- विनियामक कर्मचारियों/हितधारकों के लिए प्रशिक्षण तथा क्षमता निमार्ण करना।
- प्राधिकारी के संरचना की स्थापना करना
- खाद्य सुरक्षा पर संचार अभियान
- अनुसंधान और विकास

अधिनियम के तहत निर्धारित कार्य:

- भोजन से संबंधित नियमावली/लेख के विनियमों, मानकों तथा दिशानिर्देश तैयार करना।
- मान्यता प्राप्त निकायों/प्रयोगशालाओं के लिए प्रत्यायन दिशानिर्देश।
- खाद्य सुरक्षा एवं पोषण से संबंधित क्षेत्रों में नीति एवं नियम तैयार करने के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को वैधानिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- जोखिम विश्लेषण की विधि प्रणाली से संबंधित कार्यवाही तथा दिशानिर्देश तैयार करना।
- खाद्य सुरक्षा के विषय में देश भर में सूचना का प्रसार तथा नेटवर्क बनाना।
- विभिन्न हितधारकों का क्षमता निर्माण करना।
- भोजन के लिए अन्तराष्ट्रीय तकनीकी मानकों के विकास में योगदान तथा उसे एक हद तक राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बनाना।
- खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य मानकों के विषय में सामान्य जागरूकता को बढाना।

नुख उद्देश्यों और सफलता के संकेतकों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

	त कमजोर	%09	011 28.02.2011	011 31.03.2011	011 31.03.2011	011 28.02.2011	011 31.03.2011	011 28.02.2011	011 31.03.2011	011 28.02.2011	31.03.2011	011 28.02.2011	31.03.2011	011 31.03.2011	28.02.2011	
र मूल्य	औसत	%02	.0 31.01.2011	115.03.2011	-	.1 14.02.2011	1 26.03.2011	11.02.2011	.1 26.03.2011	1 14.02.2011	1 26.03.2011	1 14.02.2011	1 26.03.2011	1 26.03.2011	1 14.02.2011	
लक्ष्य / मानदंड	अच्छा	%08	31.12.2010	28.02.2011	-	31.01.2011	19.03.2011	31.01.2011	19.03.2011	31.01.2011	19.03.2011	31.01.2011	19.03.2011	19.03.2011	31.01.2011	
IS	बहुत अच्छा	%06	30.11.2010	14.02.2011	14.02.2011	17.01.2011	12.03.2011	17.01.2011	12.03.2011	17.01.2011	12.03.2011	17.01.2011	12.03.2011	12.03.2011	17.01.2011	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	उत्कृष्ट	100%	30.10.2010	31.01.2011	31.01.2011	31.12.2010	05.03.2011	31.12.2010	05.03.2011	31.12.2010	05.03.2011	31.12.2010	05.03,2011	05.03.2011	31.12.2010	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ব্র	ম		4.00	4.00	5.00	3.00	4.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	3.00	2.00	00,
इकड़			दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	Paris
सफलता संकेतक			अधिसूचना के लिए मंत्रालय को मसौदा नियम भेजें।	नियमों की अधिसुचना	रूपरेखा और दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दें	अनुभागों की अधिसूचना	मौजूदा योजनाओं की समीक्षा और राज्यों के साथ परामर्श के	मसौदा तैयार करें/मसौदे पर	विचार-विमर्श आरंभ करें एफएसएमएस (पर दस्तावेजों को	आतन रूप द मसीदा तैयार करें/मसीदे पर विज्ञार-विमर्भ आयंभ करें	नियार नियम आर्था भर भारत-एचएसीसीपी को अंतिम रूप दें	सार्वजनिक प्रयोगशा लाओं की पहचान	राज्यों के सा थ इस्ताक्षरित किए जाने के लिए समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दे	मसौदा अधिसूचना को अंतिम रूप दें	सार्वजनिक प्रयोगशा लाओं की पहचान	
कार्य / प्रक्रिया			क) एफएसएस नियमों और विनियमों की अधिसूचना		ख) लाइसेंस की नई प्रणाली के लिए परिवर्तन आरंभ करें	 ग) एफएसएसएआई को विभिन्न कार्यो को स्वीकार करने में सक्षम करने के लिए अधिनियम के शेष अनुसागों की अधिसुचना 	क)राज्यों में खाद्य संरक्षा नियमों को मजबूत बनाने के लिए योजना की	रूपरखा का विकास ख) खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणाली	(एफएसएमएस) और अनुपालन की व्यवस्था	ग) भारत – एचएसीसीपी) / मान्यता	17a, 17a	क) सार्वजनिक खाद्य प्रयोगशालाओं की पहचान	ख) खाद्य प्रयोगशालाओं को सूचित करें / मानक को अंतिम रूप दें और राज्यों में दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए चिह्नित प्रयोगशालाओं का उन्नयन आरम करें।	ग) अधिनयम की धारा 43 के तहत खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की अधिसूचना	क) सार्वजनिक खाद्य प्रयोगशालाओं की पहचान	
वजन			16.00				14.00					13.00			13.00	
उद्देश्य			पीएफए और अन्य आदेशों	乍	एफएसएस अधिनियम में	परिवर्तन (संक्रमण)	राज्यों में खाद्य संरक्षा	ाबानयनन का	सुदृढ़ीकरण			परीक्षण प्रयोगशाला	सुदृढ़ीकरण सुविधाएं	\$ 8 5	परीक्षण प्रयोगशाला	
R	A.		ij				64					6,				



ा) अधिनयम की धारा ४३ के तहत खाद्य । मसौदा अधिसूचना को अंतिम रूप परीक्षण प्रयोगशालाओं की अधिसूचना दें	ररत) र व्यवस्था के	国	मौजूदा खाद्य 12.00 क) मानकों की समीक्षा के लिए प्रक्रियाएं मानकों के संशोधन के लिए मानकों और विकसित करें प्रक्रिया को अंतिम रूप दें 	प्रकास । कर जा रहे नए परिपरकों आदि के लिए नए नियमों का		एफएसएसएआई <u>इ</u> ारा विनियमो को अंतिम रूप दें	ग) खाद्य योज्यों की मा ँजूदा संरचना की अंतिम मसौदा विनियमों की तैयारी समीक्षा	वैज्ञानिक पैनल/ समिति वैज्ञानिक राय और खाद्य प्राधिकरण का अनमोदन	विनियमों को अंतिम रूप दें	घ) जीएम खाद्य के सुरक्षा मूल्यांकन/ दिशा निर्देश का मसौदा बनाएं विनियमन के लिए क्षमता निर्माण —परामर्श— अंतिम दिशा निर्देश	 ड) पीने के पानी के लिए मानकों का मसौदा बनाएं/ विकास, बोतलबंद पानी के लिए मानकों में पर परामर्थ प्रारंग करें 	संशोधन संशोधन	न्ड के लिए	छ) लेबलिंग और दावा विनियम विनियम का मसौदा बनाए	परामर्श प्रारंभ करें	ज) स्कूलों में दिए जाने वाले मों जन की मसौदा बनाएं –परामर्श-दिशा सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश	आ) कोडेक्स पष्टिकता आयोग की बैठकों में समितियों और प्रासंगिक मुद्दों की सहबाने करें— देश की स्थिति— प्रचलित प्रक्रियाएं तैयार करें	खाद्य संरक्षा 9.00 क) खाद्य निगरानी के लिए संस्थानों / खाद्य संरथानों –निगरानी ढांचे को निगरानी संरक्षा केंद्रों का एक नेटवर्क बनाना विह्वित करें	And the second s
	5			-	, ,	72		판	itur.		' मसीदे	AU.	<i>∤</i> ₩		-				
दिनांक	दिनांक 2		दिनांक 1	दिनांक 1	दिनांक 1	दिनांक 1	दिनांक 0	दिनांक 0	ध्दनांक 0		दिनांक 0			दिनांक 1	दिनांक 1	दिनांक 1	दिनांक 1	दिनांक 4	Sairs 2
3.00	2.00	2.00	1.00 3	1.00 30	1.00	1.00	0.40	0.40	0.20	1.00	0.50	0.50 08	1.00 3	1.00 3	1.00 0	1.00 08	1.00 3	4.00	3.00
05.03.2011	05.03.2011	05.03.2011	31.12.2010	30.10.2010	01.01.2011	05.03.2011	31.12.2010	01.02.2011	05.03.2011	05.03.2011	31.12.2010	05.03.2011	31.01.2011	31.01.2011	05.03.2011	05.03.2011	31.12.2010	05.03.2011	31.12.2010
12.03.2011	12.03.2011	12.03.2011	17.01.2011	15.11.2010	08.01.2011	12.03.2011	17.01.2011	07.02.2011	12.03.2011	12.03.2011	08.01.2011	12.03.2011	14.02.2011	14.02.2011	12.03.2011	12.03.2011	17.01.2011	12.03.2011	17.01.2011
19.03.2011	19.03.2011	19.03.2011	31.01.2011	30.11.2010	15.01.2011	19.03.2011	31.01.2011	14.02.2011	19.03.2011	19.03.2011	15.01.2011	19.03.2011	28.02.2011	28.02.2011	19.03.2011	19.03.2011	31.01.2011	19.03.2011	31.01.2011
26.03.2011	26.03.2011	26.03.2011	14.02.2011	15.12.2010	22.01.2011	26.03.2011	14.02.2011	21.02.2011	26.03.2011	26.03.2011	22.01.2011	26.03.2011	15.03.2011	15.03.2011	26.03.2011	26.03.2011	14.02.2011	26.03.2011	14.02.2011
31.03.2011	31.03.2011	31.03.2011	28.02.2011	31.12.2010	29.01.2011	31.03.2011	28.02.2011	28.02.2011	31.03.2011	31.03.2011	29.01.2011	31.03.2011	31.03.2011	31.03.2011	31.03.2011	31.03.2011	28.02.2011	31.03.2011	28.02.2011

जिगरानी				विनियामक कर्मचारियों /	हितधारकों के लिए	प्रशिवधा आर समता निर्माण					प्राधिकरण	की संरचना	कार्यायम	खाद्य संरक्षा	अभियान				अनुसंधान और विकास	
00.6				8.00							6.00			2.00					4.00	
क) खाद्य निगरानी के लिए संस्थाना / खाद्य संस्था केंद्रों का एक नेटवर्क बनाना	ख) पांच प्रमुख बंदरगाहों पर जगह खाद्य संरक्षा समूहों की व्यवस्था करना	ग) दूध में उत्कृष्टता के लिए राज्यों/केंद्र के साथ सहयोग से दूध सुरक्षा	कार्य-योजना	F	ख) एक खाद्य संरक्षा आयुक्त / खाद्य संरक्षा अधिकारी के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम	ग) नियुक्त अधिकारियों और निर्णय देने वाले अधिकारियों के लिए अमिविन्यास कार्यक्रम	घ) गृहिणियों और स्कूली बच्चों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल को अंतिम रूप देने में इन्नू के साध सहयोग	 ब्रे विनियामक कर्मचारियों और खाद्य संचालकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री विकसित करने के लिए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान के साथ काम करें । 	च) खाद्य विश्लेषकों के लिए परीक्षा का	आयोजन और मौजूदा पाठ्यक्रम की समीक्षा	क) पदों का सजन और भती की प्रक्रिया	शुरू करें	ख) क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करें	क) एक संचार रणनीति बनाएं	ख) खाद्य संरक्षा संदेश का प्रसार करने के लिए एक संचार अभियान आरंभ करें	ग) गैर–सरकारी स ंगठनों और अन्य नागरिक संगठनों को खाद्य संरक्षा में संबद्ध करने के लिए एक योजना विकसित करें।	घ) प्रसार और क्षमता निर्माण के लिए उद्योग अंतराफलक (इंटरफेस) का विकास	घ) प्रसार और क्षमता निर्माण के लिए उद्योग अंतराफलक (इंटरफ़ेस) का विकास	क) प्रतिद्वादितात्मक रूप से अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की पहली किश्त सौंपना आरंभ करें।	ख) महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एफएसएसएआई की सहायता के लिए उर कृष्टता के केंद्रों की पहचान करें, मानक तैयार करने में अनुसंधान और विकास तथा तकनीकी
	प्रविष्टि के पांच प्रमुख बंदरगाहों पर निगरानी रखे	दिशा निर्देशों और कार्य- योजना का मसौदा बनाएं	उत्कृष्टता के चिह्नित केंद्रों के साथ समझीता ज्ञापन	प्रशिक्षण नीति	एपएसओ के लिए पुष्डभूमि प्रशिक्षण सामग्री और पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास	जहा डीओं'ज और एओ 'ज को नियुक्त किया गया है उन राज्यों के साध मिलकर प्रशिक्षण और आचरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास।	परियोजना को अंतिम रूप दे	आईआईपीएच के साथ समझीता ज्ञापन पर निर्णय ले	परीक्षा आयोजित करें	खाद्य विश्लेषकों के लिए पाठवक्रम की समीक्षा करें	पदों का सजन	भती के नियमों को अंतिम रूप दें	चिक्कित स्थानों पर कार्यालय स्थापित करें	संचार रणनीति को अंतिम रूप दें	अभियान की डिजाइन बनाएं -आरंभ करे	योजना को अंतिम रूप दें	अंतराफलक(इंटरफ़ेस) व्यवस्था को अंतिम रूप दें	अंतराफलक(इंटरफेस) व्यवस्था को अंतिम रूप दें	कार्यक्रम को अति म रूप दें– परियोजनाओं को चिह्नित करें	केंद्रों की पहचान करें-अनुबंध के लिए प्रारूप को अंतिम रूप दें
		दिनांक	दिनांक		दिनांक					दिनांक	दिनांक		दिनांक	दिनांक			दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक
	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50		-		2.00	-	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00
05.03.2011	31.12.2010	31.12.2010	05.03.2011	31.12.2010	30.09.2010	05.03.2011	31.12.2010	30.10.2010	31.12.2010	05.03.2011	30.10.2010	05.03.2011	30.10.2010	31.12.2010	31.12.2010	31.12.2010	05.03.2011	05.03.2011	05.03.2011	05.03.2011
12.03.2011	17.01.2011	17.01.2011	12.03.2011	17.01.2011	30.10.2010	12.03.2011	17.01.2011	30.11.2010	17.01.2011	12.03.2011	15.11.2010	12.03.2011	30.11.2010	17.01.2011	17.01.2011	17.01.2011	12.03.2011	12.03.2011	12.03.2011	12.03.2011
19.03.2011	31.01.2011	31.01.2011	19.03.2011	31.01.2011	30.11.2010	19.03.2011	31.01.2011	31.12.2011	31.01.2011	19.03.2011	30.11.2010	19.03.2011	31.12.2011	31.01.2011	31.01.2011	31.01.2011	19.03.2011	19.03.2011	19.03.2011	19.03.2011
70.03.2011	14.02.2011	14.02.2011	26.03.2011	14.02.2011	31.11.2010	26.03.2011	14.02.2011	31.01.2011	14.02.2011	26.03.2011	15.12.2010	26.03.2011	31.01.2011	14.02.2011	14.02.2011	14.02.2011	26.03.2011	26.03.2011	26.03.2011	26.03.2011
11000000	28.02.2011	28.02.2011	31.03.2011	28.02.2011	31.12.2010	31.03.2011	28.02.2011	28.02.2011	28.02.2011	31.03.2011	31.12.2010	31.03.2011	28.02.2011	28.02.2011	28.02.2011	28.02.2011	31.03.2011	31.03.2011	31.03.2011	31.03.2011

11.3.2010	6.5.2011	31.12.2010	80	25.01.2011	25.01.2011	80	80	60	09	09	09
10.3.2010	5.5.2011	24.12.2010	85	20.01.2011	20.01.2011	85	85	70	70	70	0.2
9.3.2010	4.5. 2011	20.12.2010	06	14.01.2011	14.01.2011	06	06	80	08	80	80
8.3.2010	3.5.2011	15.12.2010	95	10.01.2011	10.01.2011	95	95	06	06	06	06
5.3.2010	2.5.2011	10.12.2010	100	30.12.2010	30.12.2010	100	100	100	100	100	100
2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50
<u> द्नाक</u>	दिनांक	दिनांक	%	दिनांक	Date	%	%	%	%	%	%
त्तम्त स् जमा करन	समय से जमा करना	अगले डवर्षों के लिए रणनीतिक योजना को अंतिम रूप दें।	शामिल किए गए कार्यालयों का प्रतिशत	नागरिक चार्टर को लागू करने, निगरानी और समीक्षा के लिए सेवोत्तम के अनुरूप प्रणाली बनाएं	जनता की शिकायतों पर नजर रखने और उनके निवारण के लिए सेवोत्तम के अनुरूप एक प्रणाली बनाएं	नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	लोक शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद में रिपोर्ट की प्रस्तुति की तारीख से नियत तारीख के भीतर (4 महीने) जमा किए गए एटीएन का प्रतिशत	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद में रिपोटों की प्रस्पुति की तारीख से नियत तारीख (6 महीने) के भीतर जमा किए गए एटीआर का प्रतिशत	वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया एटीएनों का प्रतिशत।	वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया एटीआर का प्रतिशत।
अनुमादन क ।लए मसाद क। समय पर जमा करना	परिणाम को समय से जमा करना	एक रणनीतिक योजना को अंतिम रूप दे	समी अधीनस्थ कार्यालयों के लिए आरएफडी का विकास	सेवोत्तम का कार्यान्वयन				सी एवं एजी) ऑडिट पर एटीएनएस (को समय से जमा करना	पीएसी रिपोर्ट पर पीएसी सचिवालय में समय पर जमा किए गए एटीआर	31.03.2010 से पहले संसद में पेश सी एवं एजी रिपोर्टो के पारस पर रिपोर्ट की ऑडिट पर लंबित एटीएनों का जल्दी निपटान	31.03.2010 में पहले संसद में पेश पीएसी रिपोर्टी पर लंबित एटीआरों (ATRs) का जल्दी निपटान
3:00			00.9					2.00			
प्रणाली का			सगठन की आंतरिक दक्षता / जवाबदेही	/ वितरण सेवा में सुधार				वितीय जवाबदेही की रूपरेखा के अनुपालन को सुनिश्चित करना			
			*					*		. 4	

अनुभाग 3 : सफलता के संकेतकों के रुझान के मान

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) 2008 में स्थापित किया गया था और अभी भी खाद्य क्षेत्र के लिए विनियामक ढांचे के विकास की प्रक्रिया में है। ऊपर के अनुभाग 2 से, यह देखा जा सकता है कि अधिकांश उद्देश्यों और उनसे संबंधित कार्रवाइयों के लिए नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों के विकास की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, एफएसएसएआई की गतिविधियों के संदर्भ में इस स्तर पर सफलता संकेतकों के लिए रुझान मानों के संकेत करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो सकता। एफएसएसएआई सर्वेक्षणों, अध्ययमों आदि की एक श्रृंखला के माध्यम से केंद्रीय, राज्य और निचले स्तर पर वर्तमान खाद्य संरक्षा एवं विनियमन के स्तर को चिह्नित करने का प्रस्ताव करता है। यह हमें खाद्य संरक्षा के नियमों के आधार स्तर और प्रत्येक क्षेत्र में अलग लक्ष्य रूपरेखा निर्धारित करने में सक्षम करेगा।

25.06.2010 को सरकार से आरएफडी रूपरेखा के बारे में जानकारी (संचार) प्राप्त की गई थी। आरएफडी दस्तावेज को अंतिम रूप देने का कार्य 11.08.2010 को पूरा किया गया। मार्च 2011 तक पूरा होने की संभावित दर के साथ कार्रवाइयों को अगले साल के लिए अलग—अलग संकेतित किया गया है।

अनुभाग 4 : सफलता संकेतकों और प्रस्तावित मापन पद्धति का विवरण और परिभाषा

- 1. खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण का गठन सितंबर 2008 में किया गया था और प्राधिकरण की पहली बैठक दिसंबर, 2008 में आयोजित की गई थी। मई 2009 में 8 वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समिति का गठन किया गया। अक्टूबर 2009 में 45 सदस्यों की केंद्रीय सलाहकार समिति स्थापित की गई थी।
- 2. विभिन्न खाद्य संबंधित आदेशों से संबंधित कर्मचारियों को एकीकृत किया गया है और मौजूदा लाइसेंस प्रक्रियाओं को एफएसएसएआई के दायरे में लाया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों को भी नए प्राधिकरण को स्थानांतरित कर दिया गया है। वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समिति ने भी कार्य आरंभ कर दिया है।
- 3. व्यापक विचार—विमर्श के बाद पीएफए से एफएसएसए में अवास्थांतरण के लिए नियम और विनियमों को अंतिम रूप दिया गया है और अधिसूचना के लिए मंत्रालय को भेज दिया गया है। उम्मीद है कि सितंबर 2010 के बाद से इन्हें राज्यों में आरंभ कर दिया जाएगा। अधिनियम के कार्यान्वयन की तत्परता और समर्थन के आवश्यक उपायों का जायजा लेने के लिए राज्यों के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं।
- 4. यह देखा जा सकता है कि पहले साल में प्राधिकरण विभिन्न मंत्रालयों से कर्मियों को एकीकृत करने और प्राधिकरण के विभिन्न अंगों की स्थापना में लगा रहा है। प्राधिकरण के कामकाज के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं को भी अंतिम रूप दिया गया है और इन्हें सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। वैज्ञानिक प्राधिकरण के कार्य के लिए आवश्यक अतिरिक्त कर्मचारियों के पदों की अपेक्षित संख्या को सरकार द्वारा मंजूर किए जाने के साथ ही उनकी नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में प्रस्ताव को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है और वित्त मंत्रालय द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है।

स्तर, हितधारकों में खाद्य संरक्षा के प्रति जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण परिमापकों से संबंधित जानका लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। निगरानी और विभिन्न विनियामक उपायों के प्रभाव को चिह्नित करने का प्रस्ताव किया है। अगले कुकार्यात्मक खाद्य पदार्थों के लिए कोई नियम नहीं है। करना संभव नहीं है।

विनियामक उपस्थिति स्थापित करने में व्यतीत हो जाएंगे। चालू वर्ष के दौरान इनके शुरू होने की उम्मीद मानकों की समीक्षा करेगा। जा रही है। खाद्य संरक्षा के विनियमों, खाद्य संदूषण और विनियामक प्रभाव से संबंधित विश्वसनीय और पर्या जीएम खाद्य पदार्थी के सुरक्षा मूल्यांकन के लिए क्षमता निर्माण — खाद्य प्राधिकरण को एफएसएस जाएगा।

पारिभाषिक शब्दावली

खाद्य संरक्षा योजना — का आशय पंचायत, तालुका, नगरपालिका या जिला जैसे एक खास इलाके की खा सुरक्षा मूल्यांकन आरंभ करने के लिए क्षमता निर्मित करने का प्रस्ताव किया है। संरक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्रवाई क्षेत्रों और जिम्मेदारियों को चिह्नित करने के योजना, कार्यक्र ट्रांस फैटी एसिड – ट्रांस फैटी एसिड (टीएफए) प्राथमिक रूप से आंशिक हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के और अन्य हितधारकों के शामिल होने की उम्मीद की जाती है।

और धीरे-धीरे सुरक्षा के स्वीकार्य स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। यह स्वयं अनुपालन को प्रोत्साहित करेगा करने का प्रस्ताव किया है। विस्तृत निरीक्षण के लिए की आवश्यकता कम कर देता है।

एचएसीसीपी दिशानिर्देशों के रूप में परिभाषित किया गया है, जो पहली प्रकाशित खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणार बनाने का प्रस्ताव किया है। मौजूदा खाद्य विज्ञान कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य संस्थान इसमें शामिल हो थी। हालांकि, कोई घरेलू एचएसीसीपी मानक स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है। एफएसएसएआई ने अपना नि

5. वर्तमान में प्राधिकरण, प्राधिकरण और हितधारकों के बाहर की एजेंसियों की एक बड़ी संख्या एफएसएसएआई — भारत—एचएसीसीपी मानक विकसित करने का प्रस्ताव किया है, जो घरेलू बाजार में वैज्ञानिक कौशल का आकलन कर रहा है। प्राधिकरण के लिए विशिष्ट प्रदर्शन मानकों के निर्धारण खानपान का काम करने वाली इकाइयों और इस मानक के खिलाफ एक स्वैच्छिक एचएसीसीपी प्रमाणीकरण आनेवाली मुख्य कितनाइयों में से एक है खाद्य जिनत रोगों, विभिन्न खाद्य पदार्थों में संदूषण के विशिष्णणाली को पेश किया जा सकता है। खाद्य व्यवसायों द्वारा सुरक्षा नियमों के अनुपालन का प्रदर्शन करने के

की गंभीर कमी और सर्वेक्षण और अध्ययन, खाद्य संरक्षा के विनियमों के मौजूदा स्तर के प्रभावी अंक कार्यात्मक खाद्य पदार्थ — वे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें किसी संशोधित खाद्य या उपादान सहित ऐसे संभावित का अभाव। खाद्य प्राधिकरण ने प्रोफाइल सर्वेक्षण का एक विस्तृत सेट तैयार करने और खाद्य संरक्षा स्वस्थ उत्पाद होते हैं जो परंपरागत पोषक तत्वों के परे एक स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकते हैं। विनियमों के वर्तमान स्तर और कानूनों के कार्यान्वयन, विभिन्न खाद्य पदार्थों के संदूषण, खाद्य संस्कृषण, खाद्य संस्कृषण, खाद्य कार्यात्मक खाद्य पदार्थों के लिए विकासशील नियमों पर काम कर रहा है। वर्तमान में

वर्षों में इन आंकड़ों के प्राप्त होने तक, सफलता के मानकों के संबंध में कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धा**िखाद्य योज्य** — का आशय किसी भी ऐसे पदार्थ से है जिसका खाद्य के एक विशिष्ट उपादान के रूप में इस्तेमाल किया गया हो और जिसे निर्माण, प्रसंस्करण, तैयारी, उपचार, पैकिंग, पैकेजिंग, परिवहन आदि एक प्राधिकरण के पहले 2—3 साल विभिन्न खाद्य संरक्षा नियमों को बनाने, वर्तमान मानकों के संशोधन, विभित्तकनीकी उद्देश्य के लिए जानबूझकर खाद्य में मिलाया गया हो। एफएसएसएआई खाद्य अपमिश्रण निवारण खाद्य कानूनों की प्रभावशीलता और संदूषणों के मौजूदा स्तर के अध्ययन और सर्वेक्षण की शुरुआत कर अप अधिनियम कोडेक्स मानकों और सबसे अच्छे अभ्यास के साथ सामंजस्य लाने के लिए खाद्य योज्यों के मौजूदा

रूप से गैर-एकीकृत आंकड़ों के प्राप्त होते ही, इन्हें प्राधिकरण के प्रदर्शन प्रबंधन दस्तावेजों में शामिल कि अधिनियम के अनुसार आनुवंशिक रूप से संशोधित सभी खाद्य पदार्थों को विनियमित करना होता है। जीएम खाद्य पदार्थों के लिए अंतिम विनियामक रूपरेखा तैयार होने तक यह एक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर है. एफएसएसएआई ने प्रासंगिक अनुभागों को सरकार द्वारा अधिसुचित किए जाने पर जीएम खाद्य पदार्थों का

या तरीकों को संदर्भित करता है। खाद्य संरक्षा कार्यक्रम में गांव / शहर, समुदाय, स्थानीय निकायों, पंचाय दौरान वनस्पति के साथ जुड़े हैं जो भारतीय आहार के एक महत्वपूर्ण घटक को प्रभावित करता है। मधुमेह और हृदय रोग (CVDs) के साथ ट्रांस फैटी एसिडों का संबंध अच्छी तरह ज्ञात है। इनसे जुड़े जोखिम को ध्यान खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस) — का आशय खाद्य व्यापार के लिए विनियमन द्वारा निर्दि में रखते हुए, एफएसएसएआई ने ट्रांस फैटी एसिड के लिए नियामक मानक आरंभ करने का प्रस्ताव किया है। अच्छे विनिर्माण आचरण (जीएमपी), स्वच्छता आचरण (जीएचपी), जोखिम विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंग्र **उत्कृष्टता के केंद्र** — उत्कृष्टता केंद्र एक मौजूदा संस्थान है जहां मापने योग्य वैज्ञानिक उत्पादन (प्रशिक्षण बिंदु तथा इस तरह के अन्य तरीकों को अपनाने से है। किया जा सकता है। एफएसएसएआई एक संदर्भ खा सहित) तथा / अथवा तकनीकी नवाचार के मामले में एक उच्च स्तर के अनुसंधान और तकनीकी विकास का संरक्षा प्रबंधन प्रणाली विकसित करेगा जो सुरक्षा के स्तर को निर्धारित कर सकती है और ऐसे दिशानिर्द निष्पादन किया जाता है। एफएसएसएआई ने खाद्य विज्ञान से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रदान कर सकती है और जिसका उसी समय मूल्यांकन किया जा सकता है। इस तरह के मानक खाद्य व्याप एफएसएसएआई की सहायता करने, अनुसंधान एवं विकास करने और विज्ञान आधारित मानकों के विकास में संचालकों को व्यापक रूप से उपलब्ध होना चाहिए जो अपने पास के संसाधनों के साथ उन्हें अपना सकते विकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए देश में स्थित उत्कृष्टता के केंद्रों के साथ एक संरचनात्मक करार

निगरानी के लिए संस्थानों का नेटवर्क - एफएसएसएआई ने आरंभ में मौजूदा डेटाबेस पर कब्जा कर, इस भारत—एचएसीसीपी — जोखिम विश्लेषण और जटिल नियंत्रण बिंदु (एचऐसीसीपी)— कोडेक्स कार्य में शामिल विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय और नेटवर्किंग द्वारा खाद्य संरक्षा निगरानी के लिए एक ढांचा सकते हैं। एफएसएसएआई खाद्य संरक्षा निगरानी के लिए एक उपयुक्त संरचना विकसित कर रहा है ताहि हितधारकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाना चाहिए। सुरक्षित भोजन के लिए मांग के निर्माण और सभी जानकारी प्रदान कर सके।

आयात के लिए खाद्य संरक्षा समूह — एफएसएसएआई भारत में आने वाले आयातित खाद्य की सुरक्षा क गैर—सरकारी संगठन— उपभोक्ता खाद्य संरक्षा में मुख्य हितधारक है और एफएसएसएआई की गतिविधियों नियुक्ति कर रहा है और खाद्य आयात निकासी प्रक्रिया के जोखिम विश्लेषण के एक ढांचे को विकसित कर रह क्षमता निर्माण, निगरानी, और सूचित पसंद में प्रभावशीलता के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाना है।

विषयों को विकसित करने के लिए एफएओं और डब्ल्यूएचओं द्वारा 1963 में कोडेक्स पौष्टिकता आयोग बनाय का प्रस्ताव किया है। गया था और अंतरराष्ट्रीय सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा सभी खाद्य मानकों के समन्वय को बढ़ाव आर एवं डी — अनुसंधान और विकासः भोजन के लिए विज्ञान आधारित मानकों को स्थापित करने के पर्याप्त बजटीय प्रावधान के मामले में कोडेक्स सेल को मजबूत कर रहा है।

हैदराबाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों के अत्यधिक योग्य और अधिसूचना के लिए इसे राजपत्र में भेजता है। विविध संकाय के पूल का उपयोग कर सार्वजनिक स्वास्थ्य में क्षमता निर्माण में शामिल प्रमुख संस्थान है। अन्य विभागों और मंत्रालयों से विशिष्ट आवश्यकताएं एफएसएसएआई खाद्य संरक्षा नियामकों और खाद्य प्रबंधकर्ताओं के क्षमता निर्माण के अपने कार्यक्रम में अधिनियम के शेष लेखों की अधिसूचना आईआईपीएच के साथ काम करने का प्रस्ताव किया है।

इसके विशिष्ट अनुरूप मूल्यांकन कार्य को करने की योग्यता के संदेश का औपचारिक प्रदर्शन है। भारत में संबंधित अन्य आदेशों से एफएसएसए में अवस्थांतरण (संक्रमण) के संबंध में नियमों और विनियमों को मई 2010 भारत की गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) खाद्य संरक्षा के लिए प्रमाणीकरण योजनाओं के लिए मान्यता प्राप्त में मंत्रालय को भेजा गया है। इसमें लाइसेंस देने से संबंधित नियम शामिल हैं जो विभिन्न आदेशों के तहत एजेंसियों और खाद्य प्रयोगशालाओं के परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं (एनएबीएल) के राष्ट्रीय प्रत्यायन मीजूदा लाइसेंस के प्रावधानों को एक ही प्रारूप में एकीकृत करता है। इन नियमों और विनियमों का मसीदा बोर्ड के लिए मुख्य प्रत्यायन निकाय है।

सरकार को आवश्यक उपयुक्त प्रतिक्रियाओं पर सलाह दे सके और बाजार की स्थितियों और सुरक्षा स्तर प संबंधित लोगों को आवश्यक कदम उठाने को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक है। खाद्य संरक्षा एक बह्–हितधारक गतिविधि है जिसके लिए प्रभावी और ध्यान केंद्रित संचार की आवश्यकता होती है।

सुनिश्चित करने के लिए एक चरणबद्ध तरीके से देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर अधिकृत अधिकारियों के का उपभोक्ता को उपलब्ध भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने, मानक विकास में उपभोक्ताओं के प्रभावी सहयोग,

उद्योग अंतराफलक (इंटरफेस)— एफएसएस अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी कोडेक्स पौष्टिकता आयोग — उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने और खाद्य व्यापार में निष्पक्ष व्यापार संचालकों पर है। इसको ध्यान में रखते हुए एफएसएसएआई ने खाद्य संरक्षा और खाद्य संरक्षा प्रथाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य मानकों, दिशा निर्देशों और व्यवहार के सिद्धांतो जैसे संबंधित हासिल करने के लिए क्षमता निर्माण की अवधारणा के प्रसार के लिए उद्योग अंतराफलक ढांचा विकसित करने

देने का कार्य आरंभ किया गया। राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिंदु (एनसीसीपी) अब एफएसएसएआई में है जनादेश के साथ, एफएसएसएआई विभिन्न संस्थानों / विश्वविद्यालयों और मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं एफएसएसएआई कोडेक्स के मुद्दों में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे, जनशक्ति विकास प्रयोगशालाओं के लिए वित्तीय सहायता के विस्तार द्वारा खाद्य संरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित नवीन अनुसंधान और विकास प्रस्तावों की अनुसंधान परियोजनाओं को समर्थन देने का प्रस्ताव करता है।

इग्नू — इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) एक शीर्ष निकाय है जो देश भर में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली मानकों के संशोधन की प्रक्रियाः कानून के तहत एफएसएसएआई द्वारा अपनी सिफारिश को आगे सरकार का समन्वय करता है और उस पर नज़र रखता है। यह मुक्त शिक्षण और दूरस्थ शिक्षा तरीके के माध्यम से के पास भेजने से पहले जोखिम मूल्यांकन और सार्वजनिक परामर्श करना अपेक्षित है। प्राधिकरण द्वारा वितरण के लिए पाठ्यक्रमों का विकास और उत्पादन करता है और अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तारित शिक्षा अनुमोदित किए जाने से पहले मसौदा प्रस्तावों और जोखिम आकलन रिपोर्टों का संबंधित वैज्ञानिक पैनल और गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है। एफएसएसएआई ने खाद्य संरक्षा की अवधारणा को जमीनी स्तर तक वैज्ञानिक समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। चूंकि ज्यादातर मामलों में व्यापार शामिल है, प्रसारित करने के लिए दूरी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए इंग्नू की विशेषज्ञता की मदद लेने का प्रस्ताव सार्वजनिक परामर्श की एक अविध के साथ विश्व व्यापार संगठन (WTO) के तहत अधिसूचना अनिवार्य है। एक बार को अंतिम रूप दे दिए जाने पर मंसौदे को, अधिसूचना के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सार्वजिनक स्वास्थ्य का भारतीय संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हैल्थ) आईआईपीएच - को भेजा जाता है। मंत्रालय सार्वजिनक टिप्पणी के लिए मसौदे को फिर से सूचित करता है और उसके बाद,

1. उचित नियमों और विनियमों को तैयार करने से पहले खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम के विभिन्न वर्गों मान्यता — एक अनुरूपता मूल्यांकन निकाय से संबंधित तीसरे पक्ष द्वारा किया जाने वाला सत्यापन है जो को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाना आवश्यक है। पीएफए और खाद्य हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद मसौदा तैयार किया गया है और मसौदे को पोर्टल पर संचार अभियान— खाद्य संरक्षा के संदेश को पंचायतों, स्कूली बच्चों, परिवारों और उद्योग जैसे विभिन्न उपलब्ध कराया गया है। प्रासंगिक नियमों और विनियमों को स्वीकार करने से पहले सूचनाओं को सक्षम करना आवश्यक है।



पदों की मंजूरी

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पशुपालन विभाग, खाद्य औ सार्वजनिक वितरण विभाग के विभिन्न खाद्य संबंधित आदेशों के प्रशासन कर्मचारियों से कुल 250 पदों के चेतावनी जारी (पीएफए नियम के तहत राज्यों को जारी सहित) खाद्य प्राधिकरण के दायरे से भीतर लाया गया है। ये वे कर्मचारी हैं जो विभिन्न आदेशों का प्रबंध करते हैं औ विभिन्न विषयों की तकनीकी पृष्टभूमि से आते हैं। खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम के तहत, खाह प्राधिकरण को खाद्य संरक्षा निगरानी, जोखिम मूल्यांकन, आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य के नियमन, खाः संरक्षा योजना की तैयारी, प्रयोगशालाओं में खाद्य परीक्षण, भोजन के मानकों को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों है अनुरूप बनाना आदि जैसे अनेक नए कार्यों को करना आवश्यक है। इन अतिरिक्त कार्यों के लिए विषयों की एक श्रृंखला में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है जो प्राधिकरण के पास वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। अन खाद्य प्राधिकरण के अनुभव और आवश्यक वैज्ञानिक कौशल की एक समीक्षा के आधार पर, खाद्य प्राधिकरण पदों की एक न्यूनतम आवश्यकता तैयार की है और उसे मंत्रालय को सौंप दिया है। इस समय ये वित्त मंत्राला करने के लिए 150 पदों की आवश्यक संख्या के लिए स्वीकृति मिलनी आवश्यक है।

पर्याप्त बजट आवंटन

3. वर्ष 2009—10 के लिए बजट आवंटन 10 करोड़ रुपए की सीमा में था। वर्ष 2010—11 के लिए प्राधिकरण 60 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया था। आने वाले वर्षों में इसके काफी आगे जाने की संभावना है। प्राधिकरण द्वारा कार्यों के निष्पादन के लिए मंत्रालय द्वारा पर्याप्त बजटीय सहायता का प्रावधान आवश्यक होगा। खाद्य संरक्षा कानून के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ का करना

4. खाद्य संबंधित कानूनों को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के द्वारा लागू किया जाता है हालांकि, मानकों को खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसका कार्यान्वयन अनिवार्य रूप से राज सरकारों पर टिका हुआ है। लाइसेंस के नए प्रावधानों के तहत, उच्च जोखिम की संभावना वाले उप क्षेत्रों ग अंतरराज्यीय असर वालों को खाद्य प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस दिया जाना और विनियमित किया जाना जरि रहेगा। हालांकि, खाद्य विनियमन का प्रमुख हिस्सा नगर पालिकाओं, पंचायतों और राज्य सरकारों व क्षेत्राधिकार के भीतर होगा। राज्य सरकारों के लिए खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम के कार्यान्वयन के लि आवश्यक कर्मचारियों के बारे में सूचित करना आवश्यक हैं। उन्हें मौजूदा रिक्तियों को भरना होगा और खा परीक्षण प्रयोगशालाओं को भी और अधिक विश्वसनीयता से भोजन का परीक्षण करने में सक्षम होने के लि स्वयं को उन्नत करना होगा। भोजन निगरानी, नमूने, अभियोजन मामले आदि जैसे कार्यों का भी राज सरकारों द्वारा किया जाना आवश्यक हैं। अलग-अलग राज्यों में खाद्य कानूनों के क्रियान्वयन के मौजूदा स्त में भिन्नता है, उन से जुड़ी प्राथमिकताओं के आधार पर, संसाधन उपलब्ध कराये जाएंगे और नेतृत्व भी प्रवा किया जाएगा। देश में खाद्य कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों व योगदान महत्वपूर्ण होगा।

11. चेतावनी जारी

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूदा खाद्य और अधिनियम केंद्रीय आदेश को कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान उन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने भी खाद्य कानून के समग्र प्रबंधन में एफएसएसएआई की मदद की, जिनके पास वैज्ञानिक अनुसंधान पर आंकड़े (डेटा) हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली की पीएफए शाखा ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए खाद्य से संबंधित मिलावट, संदूषित पदार्थ आदि के बारे में परामर्श जारी किए और समय—समय पर उनकी भी समीक्षा की गई।

वर्ष के दौरान एफएसएसएआई द्वारा विशेष प्रयास के रूप में सुनामी और जापान में विकिरण रिसाव के बाद के विचाराधीन हैं। प्राधिकरण को अधिनियम द्वारा अपेक्षित अपने कार्यों की पूरी श्रृंखला को पूरा करने में सक्ष खाद्य में विकिरण सहित विभिन्न जारी मुद्दों के साथ—साथ चीन से आयातित दूध और दूध उत्पादों के संदूषित पदार्थों पर चेतावनी भी जारी की गई थी।

पैनल से प्राप्त जानकारी के साथ ही इस विषय पर अनुसंधान के आदानों के आधार पर परामर्श दिए गए।

- शहद में प्रतिजैविक (एंटीबायोटिक्स)
- खाद्य को पकाने के लिए कार्बाइड गैस के उपयोग के निषेध।
- पीएफए नियम के तहत बोतलबंद (पैक्ड) पीने के पानी की गुणवत्ता का नियंत्रण।
- टीवी और अन्य मीडिया पर भोजन और पेय के बारे में गुमराह करने वाले दावे।
- खतरनाक रसायन भरी गई (इंजेक्शन दी गई) सब्जी और रंगी हुई सब्जियों की बिक्री।
- स्टेरॉयड युक्त उत्पाद / जैसे पदार्थों का आहार अनुपूरक के रूप में विपणन।
- (vii) बंदरगाहों पर आयातित खाद्य तेल की मिलावट।
- (viii) खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों के अवशेष पर निगरानी
- (ix) दालचीनी और कैसिया के नमूनों का विश्लेषण।

लेखा

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.11 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र

	अनुसूची	2010-11	2009-10
		₹0.	₹9.
कोष / पूंजी निधि एवं देनदारियां			
कोष / पूंजी निधि	1	5,93,02,240	7,71,70,934
आरक्षित एवं अधिशेष	2 3	-	-
ईयरमार्कड / इंडोमेंट निधि	3		
सुरक्षित ऋण एवं उधार	4	•	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
असुरक्षित ऋण एवं उधार	5	-	-
आस्थगित क्रेडिट देयताएं	6		
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	1,10,46,809	1,52,56,504
कुल		7,03,49,049	9,24,27,438
संपत्ति			
अचल संपत्ति	8	1,45,20,205	1,11,47,456
निवेश – ईयरमार्कड/इंडोमेंट निधि से	9	-	
निवेश — अन्य	10		_
वर्तमान संपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम आदि	11	5,58,28,844	8,12,79,982
विविध खर्चे			
(आय पर अतिरिक्त व्यय)			
कुल		7,03,49,049	9,24,27,438

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 24 आकस्मिक देयताएं और खाता टिप्पणियां 25

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

आय	अनुसूची	2010-11	2009-10
	0 4	₹5.	₹5.
बिक्री और सेवा से आय	12		
अनुदान / सब्सिडी	13	- 22 27 00 000	
शुल्क / सदस्यता		32,37,00,000	21,00,00,000
निवेश से आय	14		-
रॉयल्टी, प्रकाशन से आय	15	-	<u> </u>
अर्जित ब्याज	16	•	
अन्य आय	17	9,90,147	9,00,022
स्टॉक में वृद्धि/घाटा	18	55,11,901	40,57,497
पर्द अस्ति अस्त ने सन्ते	19	-	-
पूर्व अवधि आय से पहले कुल आय		33,02,02,048	21,49,57,519
पूर्व अवधि आय		6,94,201	26,070
पूर्व अवधि आय के बाद कुल		33,08,96,249	21,49,83,589
आय			
व्यय			
स्थापना व्यय	20	8,36,77,855	6,21,80,898
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	25,21,81,242	10,39,82,613
अनुदान, स्बरिक्रप्श्न आदि पर व्यय	22	90,00,000	1,15,00,000
थाज	23	15,633	10,262
र्ल्यहास		35,90,998	35,74,366
पूर्व अवधि व्यय से पहले कुल खर्च		34,84,65,728	18,12,48,139
र्र्व अवधि व्यय		2,99,215	45,88,465
पूर्व अवधि व्यय के बाद कुल खर्च		34,87,64,943	18,58,36,604
यय पर आय/(आय पर व्यय)		(1,78,68,694)	3,37,09,380
हित्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
भाकस्मिक देयताएं और खाता टेप्पणियां	25		

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र की अनुसूचियों का भाग

	2010—11	2009—10
अनुसूची 1:– कोष / पूंजी निधि	₹5,	₹9.
वर्ष के आरंभ में शेष	7,71,70,934	4,80,23,949
जोड़ें: कोष / पूंजी निधि की दिशा	0	-
में योगदान		
जोड़ें (घटाएं)ः शुद्ध / आय (व्यय) से	(1,78,68,694.04)	2,91,46,985
शेष		
आय एवं व्यय खाते		
से स्थानांतरित शेष		
वर्ष की समाप्ति पर शेष:-	5,93,02,240	7,71,70,934
अनूसूची 2:– आरक्षित एवं अधिशेष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. पूंजी आरक्षित		
अंतिम खाते के अनुसार	0	
जोड़ें: वर्ष के दौरान जोड़ना	0	
घटाएं: वर्ष के दौरान घटाना	0	
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित		
अंतिम खाते के अनुसार	0	
जोड़ें: वर्ष के दौरान जोड़ना	0	
घटाएं: वर्ष के दौरान घटाना	0	•
3. विशेष आरक्षित		
अंतिम खाते के अनुसार	0	
जोड़ें: वर्ष के दौरान जोड़ना	0	
घटाएं: वर्ष के दौरान घटाना	0	-
4. सामान्य आरक्षित [*]		
अंतिम खाते के अनुसार		
जोड़ें: वर्ष के दौरान जोड़ना	7	
घटाएं: वर्ष के दौरान घटाना		
वर्ष के अंत में शेष:		
अनुसूची 3:- ईयरमार्कड/इंडोमेंट	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
निधि		
क) निधियों का आरंभिक शेष	0	_=
ख) निधियों में जोड़नाः	0	
1. चंदा/अनुदान	0	
2. निधियों के खाते से हुए निवेश	0	= 8 = 5
पर आय		
3. अन्य जोड़	0	=
कुल (क+ख)		
ग) निधियों के उद्देश्य की ओर		25
उपयोग / व्यय		
1. पूंजी व्यय	0	
– अचल संपत्ति	0	-
– अन्य	0	-

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन—पत्र की अनुसूचियों का भाग

77		3 %
कुल	0	-
2. राजस्व व्यय		
– वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि	0	-
– किराया	0	_
– अन्य प्रशासनिक व्यय	0	_
कुल	0	
कुल (ग)	0	
वर्ष के अंत में निवल शेष	0	-
(क+ख+ग)		
अनुसूची 4:— सुरक्षित ऋण एवं उधारः	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केंद्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार	0	-
 तिवय संस्थानः 	0	-
		4
क) अवधि ऋण	0	-
ख) उस पर अर्जित ब्याज	0	
4. बैंक:		
क) अवधि ऋण	0	-
ख) उस पर अर्जित ब्याज एवं देय	0	
5. अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	0	
6. ऋण-पत्र एवं बंधपत्र	0	-
7. अन्य	0	-
वर्ष के अंत में निवल शेष	0	-
अनुसूची 5:-असुरक्षित ऋण एवं	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
उधार:		ापछला वष
1. केंद्रीय सरकार	0	
2. राज्य सरकार	0	
3. वित्तीय संस्थानः	0	•
4. बैंक:	v	-
क) अवधि ऋण	0	
ख) अन्य	U	-
5. अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	0	8. 3
6. ऋण-पत्र एवं बंधपत्र	0	
7. सावधि जमा	0	
3. अन्य	0	-
वर्ष के अंत में निवल शेष	0	= 40
अनुसूची ६:- आस्थगित क्रेडिट	0	
रेयताएं	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूंजी दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित	0	
वीकृति	0	-
उपकरण और अन्य संपत्ति	0	
व) अन्य	0	-
र्ष के अंत में निवल शेष		-
252 C 2500 C 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	_

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र की अनुसूचियों का भाग

अनुसूची 7 — चालू देयताएं एवं प्रावधान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) चालू देयताएं		
1. स्वीकृत बिल	0	
2. विविध लेनदार		
– वस्तु / सेवाओं के लिए 🥻	60,73,150	32,92,206
– देय व्यय	15,55,235	95,93,700
3. प्राप्त अग्रिम	5,90,000	35,000
4. ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं:		
– सुरक्षित ऋण/उधार	0	-
– असुरक्षित ऋण/उधार	0	-
5. वैधानिक देयता		
क) अतिदेय	0	-
ख) टीडीएस देय	13,61,770	20,76,235
ग) सीपीएफ देय	5,25,703	2,58,183
घ) पेशेवर कर	0	1,150
ड.) पुराने चेक	9,40,951	-
कुल (क)	1,10,46,809	1,52,56,504
ख. प्रावधान	N-	
1. कराधान के लिए	0	<u>-</u>
2. उपदान	0	-
3. सेवानिवृत्ति / पेंशन	0	-
4. संचित छुट्टी नकदीकरण	0	-
5. व्यापार वारंटियां / दावा	0	-
6. अन्य	0	-
कुल (ख)	0	
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख)	1,10,46,809	1,52,56,504

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन—पत्र की अनुसूचियों का भाग

विवरण			4	कल ब्लॉक													
		01-0 10 व	04-20 30- 51 201		-09-	विक्री	कुल	311	ारंभि	30-09	30-	मूल्यहा				F	नेवल ब्लॉक
		शेष	201	0 10 जोड़ बाद जोड़		- 1		क पर	शेष	-10 से पहले	-10 बाद		2010 7	ौरान 2	1—03— 011 को	31-0: -201	3 31-0
भूमिः				GIL	,			+		जोड़	जोड़			व्	ल	को	
क) तालुका	-				-			-	_	-	,						
ख) पट्टे पर	1.			-				_	-	_							-
भवन	-					*			-		+-	-					
क) तालुका भूमि पर						-					-	_	_	-			
ख) पहे की भूमि पर ग) स्वामित्व	-		-	-		-					-		-	-		-	-
पलैट / परिसर		1/=:	1 -			-		-	-		-				_		-
घ) भूमि पर अधिरचन	ग -	-									-						
संस्था से संबंधित नह	ीं हैं -					•		+	-		-	-			_ 1		
संयंत्र, मशीनरी एवं	-		-		-	-					-	-				-	
प्रयोगशाला उपकरण	150											-	-			5	
पानी की पाइपलाइन	15%		79,054	4,14,1	15	- 4	,93,169	-									
and tendal	1376			12,35,	000		2,35,000	-	11	,858	31,059		42,		17	4,50,251	-
वावच गार्च			-1					+-	-		92,625	-	92,	525 92,6	25	11,42,375	-
वाहन – एम्बैसंडर का फर्नीचर एवं फिक्स्चर		-10-1112		-	-+	- 5	,63,772	53,27				-	-	1 -		10	
/व ।कार्यस्यरं	10.00	10,16,51	3 5,04,08	6,14,3	52		1,34,951	82,19	22	409	20 -	2,08,			,904	3,01,868	3,55,139
Truly a		-			-			-	- 50	,409	30,178	1,94,	598 1,63	,318 3,57		17,77,035	8,21,915
कार्यालय उपकरण 1) इलेक्ट्रॉनिक हाजिरी	-			-				+-				-	-	11			-
ग्रीन	15.009	6 56,019	24,589	-	+	80	0,608	7,773			-	-	-	-			
2) फोटोकॉपी मशीन	15.009	6 12,09,934				1	1000	1,113	3,6	88	-	4,201	11,4	61 15,6	52	64,946	51,818
3) फ्रिज	15.009		3,26,85	-12.5,51	8		6,60,110	1,65,4	150 49,	029	24,249	-	22				21,018
4) रकैनिंग मशीन	15.00%	1,56,750	-	81,775			16,095	4,376	12		6,133	1,06,9	-100	7,000		5,14,446	11,02,997
5) वैक्यूम क्लीनर	15.00%		-		-		56,750	21,745	9 -		5	11,756		1-,00		,00,438	29,172
6) वीजीए स्विचर 7) बीटल टिवन फोन	15.00%		19,800	-	-		790 ,600	993	-		-	1,169	993	2,162		,23,245	1,44,994
 बीटल ट्विन फोन मोबाइल फोन 	15.00%	1,000	-	-	-	Control	228	2,747	2,97	70	-	1,485	5,717			,628 2,398	6,622
9) कोर्डलेस फोन	15.00%		12,900		-		699	10,034	1,93		-	1,804	814	2,618		610	18,315 5,424
10) फैक्स मशीन	15.00%				-	8,4		915	1,55	-		16,908				7,822	66,891
11) गीज़र एसी	15.00%	16,042		46,614	_ [:		4,810	21,652	+-		3,496	2,376	915	3,291		185	6,100
12) माइक्रो वेव	15.00%	13,350	-			16,0		1,732	-			4,496	1,732		- 2	65,810	1,44,344
13) ऑयल फील्ड रेडिएट		25,365		-	-	25,3		1,528				3,162	1,528	6,228 4,690		814	11,546
14) वोल्टेज स्टेपलाइज़र 15) वाटर डिस्पेंसर	15.00%	25,950	-	-	-	25,5		2,986 3,121	-	-	2	5,457	2,986	8,443		660 i,922	10,188
16) ऑडियो कॉफ्रेंस सिस्ट	日 15.00%	6,500	7,000	7,000	-	20,5		702	1,050	-		5,144	3,121	8,265		,685	19,908
17) एलसीडी टीवी	15.00%	13,69,209	2.50.000	-	-	10,5	1,812	1,23,82		, 3	25	1,822	2,277	4,098	16	,401	4,678
18) प्लाज़मा टीवी	15.00%	25,68,875	2,58,900	58,000	-	16,8	6,109	1,70,653	3 38,83	5 4	350	2,26,30		100		1,685	8,25,512
19) टाटा स्काई एवं	15.00%	29,495	1.	-	-			2,97,198	8 -			5,87,55				40,751	11,37,689
र्पीआरएस सिस्टम 20) सीमन हाई पाथ 1150	-					29,4	95	3,732	*	- 2		4,613	3,732	8,345 8,345		84,122	19,81,320
डेजीटल	15.00%	3,01,573	1.	-	1-	3,01,	.573	33,976	-					0,545	21,	150	24,882
१1) स्पीकर	15.00%	14,350				3.8.24		33,976				75,065	33,976	1,09,04	1 1,9	2,532	2,26,508
2) डिजीटल कैमरा	15.00%	33,800	-	40.045		14,35		1,830	-	-	-	2,153	-		(10000		4,20,308
3) कार्यालय यंत्र	15.00%	25,363	-	49,250	-	83,05	-	3,979	1-	3,	594	7,272	1,830 7,673	3,982	10,		12,198
4) ब्लू रे डिस्क प्लेयर 5) एलसीडी प्रोजेक्टर	15.00%	-	99,000	-	-	25,36 99,00		3,519	-	-		1,902	3,519	14,945 5,421	68,	80000	26,528
6) कूलर	15.00%	-	1,62,000	1	+-	1,62,0		-	14,850			-	14,850	14,850	19,		23,461
7) श्रेडरर्स	15.00%	-		72,000	1-	72,00		_	24,300				24,300	24,300		,700	
विजीकूलर एवं डीप	15.00%	-	-	3,44,940	-	3,44,9	940		-	5,4	871	-	5,400	5,400	66,6		
गजर		1		8,677		8,677			1-	65		*	25,871	25,871	3,19	,069	-
9) फोन 1) डीडीडी क	15.00%		1.	68,000	-								651	651	8,02	6	
) डीवीडी राइटर) टाटा स्काई	15.00%	-		3,600	-	3,600	0			5,1	00		5,100	5,100			
) टाटा वॉकी वायरलेस	15.00%	2207	3,099	4,239	-	4,239	-		2.000	3,6		-	3,600	3,600	62,9	00	
न	15.00%		1,500	-	-	3,099			3,099 1,500	4,2	39	-	4,239	4,239	-	-	
) वॉल क्लॉक	15.00%	-				Contract of			1,300		6		3,099	3,099	-	-	
			-	1,181	-	1,500			-	-	-		1.6				
प्टर सहायक सामग्री	-			1,101		1,181				1,18	1		1,500	1,500			
पाप्यूटर	60%	34,87,232	022	-	-	-	-		-	-			.,.01	1,181			
यूपीएस	15%	The same of	9,33,050	13,46,610	-	57,66,8	392 3,	,84,502	5,59,830	4,03	983	22.06	A			-	
यूपीएस प्रिंटर एवं स्कैनर	15%	3,75,604	62,889	88,998	-	5,27,49		5,517	Fig. 100000	2 00000		23,86,16 6	13,48,315	37,34,481	15,72	,181 6,	,40,836
		17,00,957	1,02,096	46,303	-	18,49,3		40,314	9,433 15,314	6,67		1,38,821	51,626	1,90,447	3,37,0	44 2	36,783
सिसको 2821 सिक्यूरिटी	160					2 333		Decree See	,514	3,47	,	7,65,531	1,59,101	9,24,632	9,24,7		35,426
	15%	1,71,306			-	1,71,30	6 22	760									. 50 6.
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	60%	91,050				7,1,50	23	3,769	-			12,848	23,769	36,617	1,34,6	91 1	58 450
उर्पाकालय सॉफ्टवेगा	60%	2,28,800	5,48,564	3,33,385	-	9,72,999	9 33.	,309	3,29,138	1,00,	016			1.0000000	3,5-7,0	1,3	58,458
C4		-120,000	- 0		-	2,28,800		,096	-,,138	1,00,		35,535	4,62,463	4,97,998	4,75,0	01 55	,515
विवर्किंग उपकरण विकेम	15%	1,44,321		2,08,249		1						8,640	96,096	1,64,736	64,064	100	60,160
प्राप	15%	18,900		2,00,249		3,52,570		,292		15,61	9 1	5,704	34,911	50 515			*
			5-		-	18,900	2,4	181		1-			2,481	50,616 4,843	3,01,9	0.000	28,617
कालय पुस्तकें	100%	2,68,775	1,11,383				-	19		1.			4		14,057	16,	,538
			111,003	5,07,703	2	8,87,861	40,0	071	1,11,383	2,53,8	52 2	28,705	4.06.205		1000		
	100 200				-	-	-			-	-	,,,,,,	4,05,305	6,34,010	2,53,85	1 40,	071
वर्ष का कुल						-	-	-		-						-	
ना वर्ष	•	1,47,37,454	32,56,768	58,63,309		2,44,21,3	103	000						-	-		
11 44		1,16,60,930	10,05,488	43,30,907		-,-4,21,3	8 17,9	96,09 1	12,28,622	10,26,	506 53	3,89,63	40,51,228	94,40,864	1.75		
							25 23.7								1,45,20		51,357



भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र की अनुसूचियों का भाग

अनुसूची 9:- ईयरमार्कड/इंडोमेंट	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
निधि से निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	0	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	0	
3. शेयर	0	
4. ऋण—पत्र एवं बंधपत्र	0	-
5. सहायक कंपनियां एवं संयुक्त	0	
उपक्रम	#	
6. अन्य	0	
वर्ष के अंत में निवल शेष	0	-
अनुसूची 10:— निवेश (अन्य)	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	0	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	0	
3. शेयर	0	
4. ऋण—पत्र एवं बंधपत्र	0	-
5. सहायक कंपनियां एवं संयुक्त	0	-
उपक्रम		
6. अन्य	0	=
वर्ष के अंत में निवल शेष	0	-
अनुसूची 11:– चालू संपत्तियां,	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ऋण एवं अग्रिम आदि		
क) चालू संपत्तियां	**************************************	
1. माल सूची	-4]	
क) स्टोर एवं पुर्जे	0	
ख) खुले औज़ार	0	-
ग) विक्रेय स्टाक		
निर्मित माल	0	-
अर्धनिर्मित उत्पादन	0	
कच्चा माल	0	-
2. विविध देनदार		
क) 6 महीने से अधिक अवधि के	0	-
लिए बकाया		
ख) अन्य	0	-
3. हाथ में नकदी शेष	10,000	-
4. बैंक शेषः		
क) अनुसूचित बैंक के साथ		
– चालू खाते में	0	-
– जमा खाते में	0	-
– बचत खाते में	2,55,99,749	6,28,91,646
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	2	
चालू खाते में	0	

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन—पत्र की अनुसूचियों का भाग

– जमा खाते में	0	
– बचत खाते में	0	
5. डाक घर – बचत खाता	· ·	-
कुल (क)	2,56,09,749	
ख. ऋण एवं अग्रिम:-	2,30,09,749	6,28,91,646
1. 港町		
क) स्टाफ	17.07.472	
ख) समान गतिविधियों में लगी हुई	17,06,473	8,01,279
अन्य संस्थाएं	0	-
ग) अन्य	1,79,31,439	1 00 07 007
2. नकदी या वस्तु या के लिए के		1,08,97,807
रूप में अग्रिम वसूली		
प्राप्त किया जाने वाला मूल्यः		
क) पूंजीगत खाते पर	0	
ख) अन्य (प्रतिभूती जमा)		-
3. अर्जित ब्याज:-	1,05,81,183	66,89,250
क) ईयरमार्कड / इंडोमेंट निधि से		
निवेश पर	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ख) बैंक शेष पर		
ग) ऋण एवं अग्रिम पर	0	
घ) अन्य	0	-
	0	_
. प्राप्य दावे:-	- 3-	
ger (ख)	3,02,19,095	1 92 99 226
	, , , , , ,	1,83,88,336
ल		
5 '	5,58,28,844	8,12,79,982



भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते की अनुसूचियों का भाग

अनुसूची 12 – बिक्री/सेवा से	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय 1. बिक्री से आय		
क) निर्मित माल की बिक्री	0	
ख) कच्चे माल की बिक्री	0	-
ग) रद्दी की बिक्री	0	-
2. सेवा से आयः	0	-
क) मजदूरी एवं प्रसंस्करण रसीद	0	-
ख) व्यावसायिक परामर्श शुल्क	0	= = = =
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली	0	= -
घ) रखरखाव सेवाएं	0	
ड.) अन्य	0	
कुल	0	-
अनुसूची 13 —	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुदान / सब्सिडी:-		
1. केंद्रीय सरकार	32,37,00,000	21,00,00,000
2. राज्य सरकार	0	_
3. सरकारी एजेंसियां	0	-
4. संस्थान / कल्याण निकाय	0	-
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	0	
6. अन्य	0	-
कुल	32,37,00,000	21,00,00,000
अनुसूची 14 —	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
शुल्क / सबस्क्रिप्शन:-		
1. प्रवेश शुल्क	0	-
2. वार्षिक शुल्क / सदस्यता	0	-
3. सेमिनार शुल्क / कार्यक्रम शुल्क	0	-
4. परामर्श शुल्क	0	_
5. अन्य	0	_
कुल		
अनुसूची 15 — निवेश से आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. से ब्याजः		110011 44
क) सरकारी प्रतिभूतियों से	0	
ख) अन्य बंधपत्र / ऋण—पत्र	0	-
2. पर लाभांशः		-
क) शेयरों पर	0	- Sec.
ख) म्युचुअल फंड की प्रतिभूतियों पर	0	
ज्य अवस्था मेर्च का आत्मातवा पर	U	.
3. किराया	0	<u> </u>
0. 19/1191		10.2
4. अन्य	0	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते की अनुसूचियों का भाग

अनुसूची 16 — रॉयल्टी, प्रकाशन से आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. रॉयल्टी से आय		
2. प्रकाशन से आय	0	-
3. अन्य	0	
	0	-
गुल	0	—
अनुसूची 17 – अर्जित ब्याजः	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. अवधि जमा परः		
क) अनुसूचित बैंक के साथ	0	-
ख) गैर–अनुसूचित बैंक के साथ	0	_
ग) संस्थानों के साथ	0	
घ) अन्य	0	
2. बचत खाते पर:		
क) अनुसूचित बैंक के साथ	9,90,147	9.00.022
ख) गैर—अनुसूचित बैंक के साथ	0	9,00,022
ग) संस्थानों के साथ	0	-
घ) अन्य	0	-
3. ऋण पर		
क) कर्मचारी / स्टाफ	0	
ख) अन्य	0	•
१. देनदार और अन्य प्राप्तियों पर	0	
याज	U	
हुल	9,90,147	0.00.000
भनुसूची 18 – अन्य आय	चालू वर्ष	9,00,022
. बिक्री पर लाभ / संपत्ति का	नार्य युष	पिछला वर्ष
नेपटान		
क) स्वामित्त्व वाली संपत्तियां	0	
ख) अनुदान, या निक्तशुल्क	0	
अधिग्रहण से संपत्ति	0	
प्रोत्साहन संपादित निर्यात	0	
विविध सेवाओं के लिए शुल्क		
विविध आय	54,19,065	40,31,972
र्ष के अंत में निवल शेष	92,836	25,525
	55,11,901	40,57,497



भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते की अनुसूचियों का भाग

अनुसूची 19 – निर्मित स्टॉक,	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
डब्ल्यू.आई.पी. एवं कच्चे माल के		
स्टॉक में वृद्धि / घाटा		
क) आरंभिक शेष		
– निर्मित स्टॉक	0	
– अर्धनिर्मित उत्पादन	0	
ख) घटाएं: आरंभिक शेष		
– निर्मित स्टॉक	0	
– अर्धनिर्मित उत्पादन	0	-
स्टॉक में वृद्धि / घाटा (क - ख)	0	
अनुसूची 20 – स्थापना व्ययः	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) वेतन एवं मजदूरी	8,05,94,152	5,75,54,136
ख) भत्ते	24,90,722	33,91,232
ग) पीएफ में योगदान	0	,-,-,
घ) अन्य निधि में योगदान	0	-
ड.) स्टाफ कल्याण व्यय	3,374	2,47,704
च) कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं लाभों पर	0	-
व्यय		
छ) चिकित्सा व्यय	5,89,557	9,87,826
कुल	8,36,77,855	6,21,80,898
अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
व्यय		
क) खरीद		-
ख) मजदूरी एवं प्रसंस्करण शुल्क (संविदात्मक कर्मचारियों को वेतन)	92,03,823	56,12,540
ग) ढुलाई और आवक माल भाड़ा	0	28,348
घ) बिजली एवं पावर	37,07,360	45,57,303
ड.) पानी शुल्क	4,34,151	800
च) बीमा	0	8,552
छ) मरम्मत एवं रखरखाव	1,17,78,644	37,21,040
ज) उत्पाद शुल्क	0	-
झ) किराया, दर एवं कर	3,70,86,349	2,09,29,941
ञ) चल रहे वाहन एवं रखरखाव	1,22,583	3,02,802
ट) डाक और तार	2,98,594	88,848
ठ) प्रिटिंग एवं स्टेशनरी	29,39,094	28,66,734
ड) यात्रा एवं वाहन व्यय	1,01,97,780	69,84,766

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते की अनुसूचियों का भाग

ढ) सेमिनार, बैठक एवं सम्मेलन व्यय	37,54,765	36,90,377
ण) सदस्यता व्यय	2,75,251	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
त) शुल्क	0	2,68,467
थ) लेखा परीक्षक क्षतिपूर्ति	2,23,981	70,000 66,000
द) गृह व्यवस्था और सुरक्षा व्यय	2,12,981	
ध) पेशेवर शुल्क	1,85,51,027	15,39,999
न) विज्ञापन व्यय	14,18,33,263	3,74,26,680
न्) अन्य प्रशासनिक व्यय	1,15,61,596	67,55,565
कुल	25,21,81,242	90,64,251 10,39,82,613
अनुसूची 22 — अनुदान/सब्सिडी आदि पर व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) संस्थाओं / संगठनों को दिए गए अनुदान	90,000	1,15,00,000
ख) संस्थाओं / संगठनों को दी गई मिब्सिडी	0	<u>-</u>
कुल	90,000	1,15,00,000
अनुसूची 23 — अर्जित ब्याज क) निश्चित ऋण पर	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ख) अन्य ऋण पर	0	
ा) अन्य	15,633	
हुल -		10,262
3	15,633	10,262



भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अनुसूचियों के समूहीकृत का भाग

आर के सक्सेना	3,600	
जेपी डोंगरे	10,000 2,09,077	-
उप—िनदेशक (एफएववापा) एनबासासा उप—िनदेशक गुवाहटी	95,000	
ग्रिम छुट्टी नकदीकरण उप—निदेशक (एफएवंवीपी) एनबीसीसी	0	69,232
स.के. शर्मा	0	9,750
स.के. हलदर	10,000	30,000
गर. विजय	0	49,525
ो. कार्तिकेयन	0	3,000
शोक कुमार दास	0	3,300
ी अनिल मेहता	0	1,69,725
ी. एस.बी. डोंगरे	68,475	1,08,340
रिष्ठ एओ डीओ एफएसएसएआई	0	10,000
लटीसी अग्रिम	85,631	2,65,317
प–निदेशक, मुंबई	10,000	10,000
प–निदेशक, कोलकाता	52,336	13,090
उप-निदेशक, चेन्नई	1,10,000	60,000
वेदेशी दौरे के लिए अग्रिम	10,52,354	
टाफ़ को दिए अग्रिम का विवरण		
हुल	15,55,235	95,93,700
य ब्याज	20,569	-
य टेलीफोन व्यय	32,634	28,956
य वेतन	73,911	33,71,323
य व्यापार किराया एवं कर	0	24,44,248
य प्रशिक्षण व्यय	1,82,094	1,82,094
य कार्यालय व्यय	0	5,310
य सुरक्षा व्यय	1,30,537	91,499
य संविदात्मक कर्मचारियों को वेतन	0	6,61,861
य प्रकाशन व्यय	0	76,888
य तेल एवं डीज़ल शुल्क	0	18,594
य कार्यालय रखरखाव	0	2,71,792
ख़बार एवं सदस्यता शुल्क	0	8,283
ोटर टैक्सी भाड़ा शुल्क	0	3,59,184
य कानूनी शुल्क	0	7,855
य गेस्ट हाउस सामान्य व्यय	11,700	15,000
रेय अंकीकरण शुल्क	0	2,90,000
रेय कूरियर व्यय	15,000	60,000
य उपभोज्य भंडार	0	41,065
य परामर्श शुल्क	0	8,470
य वार्षिक रखरखाव शुल्क	0	33,945
य ब्याज	0	10,262
य सम्मेलन सेमिनार व्यय	10,88,790	11,21,215
य लेखा परीक्षा शुल्क	0	66,000
वेज्ञापन	0	1,06,812

विवध आय का विवरण:	1	
आरटीआई शुल्क	000	2
अख़बारों की बिक्री	820	835
निविदा प्रपत्र की बिक्री	9,616	10,340
अन्य विवधि आय	3,000	14,350
कुल	79,400	
भुगतान किए गए भत्तों की विवरण:	92,836	25,525
ع ١٠٠٠ ١٠٠ ١١٠ ١١١١ ١١١١ ١١١١ ١١١١		
अधिकारियों / स्टाफ़ को भुगतान किए गए		
टीए/डीए	24,62,632	33,59,654
समयोपरि भत्ते		
कुल	28,140	31,578
3"	24,90,722	33,91,232
स्टाफ़ कल्याण व्यय का विवरण:		
स्टाफ् कल्याण व्यय		
जलपान व्यय	3,374	2,24,495
	0	23,209
कुल	3,374	2,47,704
अन्य प्रशासनिक व्यय का विवरण:		-,.,,,,,,
कंप्यूटर व्यय	7,641	10,675
उपभोज्य भंडार	64,570	2,34,931
जेनरेटर व्यय	73,490	90,216
भाम व्यय	0	1,90,767
नदस्यता शुल्क	28,000	20,500
नन्य प्रशासनिक व्यय	16,50,798	
काशन व्यय	28,96,556	7,23,796
कीकरण शुल्क	2,03,959	2,79,179
नरेटर भाड़ा शुल्क	0	2,90,000
शिक्षण शुल्क	8,00,027	22,000
ार्यालय व्यय	48,18,677	6,23,294
रियर शुल्क	2,64,017	52,67,975
लीफोन एवं मोबाइल व्यय		6,74,356
टरनेट शुल्क	7,27,001	5,99,798
ल	26,860	36,764
	1,15,61,596	90,64,251



मरम्मत एवं रखरखाव व्यय का विवरण		
एसी संयंत्रों का रखरखाव	2,50,331	23,071
कार्यालय रखरखाव व्यय	1,15,00,478	18,55,063
सीएफआरएसएल कोलकाता में मशीन की मरम्मत रखरखाव	0	13,20,501
वार्षिक रखरखाव शुल्क	27,835	5,22,405
कुल	1,17,78,644	1,54,99,684
यात्रा एवं वाहन व्यय का विवरण:		
दौरे और यात्रा खर्च	50,88,602	36,67,179
मोटर टैक्सी भाड़ा शुल्क	50,83,535	32,76,495
वाहन व्यय	25,643	41,092
कुल	1,01,97,780	69,84,766
	2	
गृह व्यवस्था और सुरक्षा व्यय		
गृह व्यवस्था एवं गेस्ट हाउस व्यय	77,794	3,32,167
सुरक्षा व्यय	1,35,187	12,07,432
कुल	2,12,981	15,39,599
चल रहे वाहन एवं रखरखाव का विवरण		
चल रहे वाहन	0	58,277
तेल एवं डीज़ल	1,22,583	2,44,575
कुल	1,22,583	3,02,802
पेशेवर शुल्कों का विवरण	P	
पेशेवर शुल्क	1,83,54,292	3,65,54,958
कानूनी शुल्क	1,14,560	2,62,930
परामर्श शुल्क	0	39,446
नमूने शुल्क	82,175	5,69,346
कुल	1,85,51,027	3,74,26,680
सदस्यता शुल्कों का विवरण:		
शुल्क एवं सदस्यता	45,800	3,706
अख़बार एवं सदस्यता शुल्क	2,29,451	2,64,761
कुल	2,75,251	2,68,467

माल / सेवा के लिए विविध लेनदार का विवरण		
ओएसिस टेलीकम्युनिकेशन		
केंद्रीय भंडार	0	3,406
सतगुरू मनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रा. लिमि.	12,14,056	15,34,099
ट्रैक इंफोविज़न प्रा. लिमि.	5,08,000	12,14,056
वरूण इंफोटेक इंडिया	0	4,50,000
विद्युत इंजीनियरिंग	1,655	88,350
मनीष यादव		1,655
बेदी एवं बेदी	0	640
बेल्टेक कनाडियन वाटर लिमि.	8,97,655	
बी.वी.जी. इंडिया लिमि.	10,430	
सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी प्रा. लिमि.	9,37,695	
कॉन्टिनेन्टल कैटर्स एवं कन्फेक्शनर्स	32,243	-
क्रेसेंट स्टेशनरी	58,515	-
क्राउन कॉर्पोरेशन प्रा. लिमि	14,680	- =
एचसीएल इंफोसिस्टम लिमि.	3,32,718	(-
इम्प्रेशन डिस्ट्रिब्यूटिंग कं.	76,538	_
आईएसएस हिकेयर प्रा. लिमि.	1,03,000	
कर्म टैक्सी सर्विस	22,699	-
राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ	2,86,875	- 1
नव डाक भारत	1,89,840	-
रिको इंडिया लिमि.	3,44,940	-
स्वास्तिक कंपनी	74,510	-
तनु ट्रांसपोर्ट ट्रैवल	23,435	-
विविध लैंडस्केप कंस्लटिंग प्रा. लिमि.	29,431	-
वेब क्रॉफ्ट इंडिया	1,16,350	
केंद्रीय पीडब्ल्यूडी	180	-
बालमेर लॉरी कंपनी लिमि.	1,69,812	_
	5,00,000	
इंद्र डी नरायण एंड कं.	80,409	_
हें दुस्तान पेट्रोलियम	47,484	_
<u> गुल</u>	60,73,150	32,92,206
A.I.W.		549749LUU
केराया, दर एवं कर का विवरण		
नबीसीसी का किराया	3,15,27,408	2,08,63,941
गर्यालय किराया (गुवाहटी)	66,823	66,000
फआरएसएल गाजियाबाद के लिए भुगतान किए	54,92,118	00,000
ए नगर निगम कर	-,	-
ુલ	3,70,86,349	2,09,29,941



भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण वर्ष 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भगतान खाता

प्राप्ति	44 31	.03.2011 491	समाप्त वष	के लिए प्राप्ति		•	
	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	अनु सूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक शेष				व्यय			
क) हाथ में नकदी		-	-	क) संस्थापना व्यय	ग	8,27,63,249	5,88,98,640
बी) बैंक शेष	X =		i i	ख) प्रशासनिक खर्च	घ		9,94,74,099
i) चालू जमा		- #	-				
ii) जमा खाता		-	-	विभिन्न परियोजनाओं के एवज में धन का भुगतान			
iii) बचत जमा		6,28,91,646	3,87,70,044	अनुदान सहायता		90,00,000	1,15,00,000
				सुरक्षा जमा		39,48,933	67,08,000
प्राप्त अनुदान		32,37,00,000	21,00,00,000	अचल संपत्ति पर खर्च	ड.	68,51,285	35,34,941
बैंकों से ब्याज		8,70,548	8,56,576	कर्मचारियों को अग्रिम राशि	च	19,43,886	7,22,047
लाइसेंस शुल्क		54,19,465	40,31,972	आपूर्तिकर्ताओं /अन्य को अग्रिम राशि	छ	34,41,531	46,28,653
आरटीआई शुल्क		820	835	ठेकेदारों पर टीडीएस		11,81,059	2,23,134
अखबारों की बिक्री		9,616	10,340	किराए पर टीडीएस		38,65,726	21,26,874
निविदा प्रपत्र की बिक्री		3,000	14,350	पेशेवरों पर टीडीएस		9,34,100	1,66,002
पूर्व अवधि आय		5,92,364		वेतन पर टीडीएस		26,97,883	30,29,095
विविध आय		17,565	•	पी.आई. सुवाराथन को वापसी			13,687
प्राप्त राशि							
पी.आई. सुवाराथन से			2,00,000				
एस.के.शर्मा से			2,000				
अनिल मेहता से		63,233	_				
अशोक कुमार दास से		2,614	-				
एस बी डोंगड़े से		39,865	-				- 9

			,00,10,010	कुल	39,53,71,125	25,39,16,818
ī		39,53,71,125	25,39,16,818	& -2		
				iii) बचत जमा	2,55,99,749	6,28,91,646
				ii) जमा खाता	-	
						-
				i) चालू जमा	-	. 34
				ख) बैंक शेष	-	-
				क) हाथ में नकदी		
				समाप्ति शेष		
11 947		9,40,951				
पने चैक		60,000	20,000			
याना जमा रक्षा जमा		5,55,000	5,000			
ापसी	ख	•	5,701			
ोडीएस वापसी क/नकद	क	1,11,674	-			
		64,558				
ो.पी.डोंगड़े से		6,915	-			
.स.के.शर्मा से		21,291	- i-			



भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण		
प्राप्ति और भुगतान खाता के अनुसूची का भाग		
अनुसूची-क टीडीएस वापसी	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
फार्मासोल्य स्पेशलिस्ट इंडिया प्रा. लि.	97,530	-
एफआईसीसीआई	6,960	-
इंटेलिजेंट सिक्यूरिटी	1,755	
नरेश कौशिक	4,675	=======================================
स्पान कम्युनिकेशन	754	=
	1,11,674	
अनुसूची—खः चेक वापसी:-	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ओऐसिस टेलीकम्युनिकेशन	-	3,406
विद्युत इंजिनियर्स	-	1,655
मनीष यादव	-	640
कुल	-	5,701
अनुसूची-गः संस्थापना खर्चः-	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) वेतन और मजदूरी	8,01,71,909	5,41,99,716
अधिकारी/कर्मचारी को भुगतान किया गया टीए/डीए	19,54,910	33,54,654
ओवरटाइम भत्ते	28,140	31,578
जलपान खर्च	-	23,209
पेशेवर कर	45,736	51,387
ड.) कर्मचारी कल्याण खर्च	3,374	2,30,312
छ) चिकित्सा खर्च	5,59,180	10,07,784
कुल	8,27,63,249	5,88,98,640
अनुसूची-घः प्रशासनिक खर्च	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
विज्ञापन खर्च	14,13,89,204	66,31,899
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक	1,92,876	35,737
गाड़ी भाड़ा और आवक माल भाड़ा		28,348
बिजली और उर्जा	82,25,020	90,78,470
शुल्क और सदस्यता	-	3,706
श्रम और प्रोसेसिंग शुल्क (अनुबंध कर्मचारीयों का वेतन)	87,70,715	52,24,566
डाक और तार	2,98,594	88,848
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	28,21,710	27,70,880
सीएफआरएसएल पर मशीन का मरम्मत और रखरखाव	-	13,20,501
सेमिनार, सभा और सम्मेलन खर्च	36,66,226	25,64,833
पानी शुल्क	3,12,304	800
वार्षिक रखरखाव शुल्क	2,24,847	6,93,294
कंप्यूटर खर्च	7,641	10,675
परामर्श शुल्क		30,976

उपभोज्य भंडार	45,897	1,40,285
सवारी खर्च	24,614	41,092
कूरियर शुल्क	3,03,397	6,34,941
भागीदारी शुल्क	-	70,000
सामान्य खर्च	1,29,109	1,75,761
जेनरेटर खर्च	72,000	90,005
जेनरेटर किराया शुल्क	,000	22,000
गृह व्यवस्था शुल्क	82,104	10,08,38
बीमा	52,101	8,552
इंटरनेट शुल्क	29,339	36,763
क़ानूनी खर्च	1,10,958	
एसी संयंत्र का रखरखाव	75,871	2,35,910
सदस्यता शुल्क	11,500	2,96,072
मोटर टैक्सी किराया शुल्क		37,000
अखबार और सदस्यता शुल्क	47,35,463	31,30,728
कार्यालय-व्यय	2,50,781	77,552
कार्यालय रखरखाव खर्च	45,59,776	52,62,665
कार्यालय किराया (गुवाहाटी)	93,57,595	24,14,262
तेल और डीजल	66,823	66,000
अन्य प्रशासनिक खर्च	78,693	2,25,981
पूर्व अवधि खर्च	20,42,351	7,22,985
पेशेवर शुल्क	2,54,598	1,60,113
प्रकाशन खर्च	1,68,33,111	3,37,52,033
	29,23,481	2,02,291
किराये की दर और कर (एनबीसीसी और अन्य) नमूना शुल्क	3,76,60,235	1,58,03,970
सुरक्षा खर्च	79,085	5,67,854
	1,32,483	11,33,206
टेलीफोन और मोबाइल खर्च	8,02,887	6,05,598
प्रशिक्षण शुल्क	10,77,162	3,97.080
यात्रा एवं वाहन खर्च	50,01,412	36,13,259
चल रहे वाहन	52,280	58,227
अंकीकरण शुल्क	4,41,562	30,227
कुल	25,31,43,724	9,94,74,099
अनुसूची—ड.: स्थिर संपत्ति की खरीद:-	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सिस्को 2821 सुरक्षा बंडल		1,67,777
वोल्टेज स्टेबलाइज़र		
कार्यालय सामग्री		6,750
यूपीएस	7.40.791	25,363
एलसीडी टेलिविजन	7,49,781	_
फर्नीचर और फिक्सचर	4,37,438	
इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति मशीन	11,87,823	3,21,591
फोटोकापी मशीन	24,589	56,019
स्कैनिंग मशीन	5,75,666	12,09,934
		1,56,750



वैक्यूम क्लीनर		7,790
डिजिटल कैमरा	49,250	
वीजीए स्विचर		19,800
मोबाइल फोन	12,900	20,000
फैक्स मशीन	52,178	1,22,956
टाटा स्काई और ईपीआरएस प्रणाली'	3,099	20,397
कंप्यूटर	18,85,069	4,27,295
प्रिंटर और स्कैनर	31,813	24,128
फ्रिज		34,320
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	2,83,864	1,15,115
पुस्तकालय सांफ्टवेयर सिस्टम		2,28,800
नेटवर्किंग उपकरण	2,08,249	1,37,521
पुस्तकालय की पुस्तकें	6,19,086	4,32,635
मशीनरी किताबें	4,93,168	, ,
दीवार घड़ी	1,181	
कूलर	2,36,131	-
कुल	68,51,285	35,34,941
नुसूची- चः कर्मचारियों को अग्रिम राशि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
उप निदेशक चेन्नई	50,000	50,000
उप निदेशक कोलकाता	55,000	13,090
उप निदेशक मुंबई (अग्रदाय)		10,000
श्री एस बी डोंगड़े		1,08,340
एलटीसी अग्रिम	2,37,051	2,65,317
वरिष्ठ एओ (अग्रदाय)	10,000	10,000
श्री अनिल मेहता		1,69,725
अशोक कुमार दास		3,300
पी. कार्तिकेयन		3,000
आर. विजय		49,525
एस. के. हलदर	19,377	30,000
विदेशी दौरे के लिए अग्रिम राशि	14,27,850	-
एस. के. शर्मा		9,750
उप निदेशक (एफ एवं वीपी)	95,000	-
उप निदेशक गुवाहाटी	10,000	-
आर. के. सक्सेना	9,608	
अधिकृत अधिकारी चेन्नई	10,000	-
अधिकृत अधिकारी समुद्र बंदरगाह	10,000	_
अधिकृत अधिकारी जेएनपीटी न्हावा शेवा	10,000	_
कुल	19,43,886	7,22,047

3	34,41,531	46,28,653
कुल	-	1,82,094
सतगुरु मैनेजमैंट कंसल्टेंट्स प्रा. लिमिटेड	-	5,00,000
भारतीय गुणवत्ता परिषद	-	12,98,777
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र	-	8,510
उप निदेशक बागवानी	-	12,35,000
सी.पी.डब्ल्यू.डी	1,29,383	93,381
टोटल लाइब्रेरी साल्यूशन लिमिटेड.	1 20 202	3,48,000
एफआईसीसीआई	4,55,698	3,45,825
एफआरएसएल गाजियाबाद		6,02,932
केंद्रीय खाद्य कोलकाता	28,56,450	14,134
एबीपी प्राइवेट लिमिटेड.	-	
नुसूची–छः सप्लायर्स को अग्रिम राशि	चालू वर्ष	पिछला वष





कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय) इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली—110 002 Office of the Director General of Audit (Central Expenditure) Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

1 6 AUG 2011

प्रिय श्री संजय सिंह,,

मैं वर्ष 2010-2011 के लिए भारतीय खाद्य संरक्षण् एवं मानक प्राधिकरण्, नई दिल्ली के

लेखाओं पर ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित कर रहा हूँ ।

आपसे आग्रह है कि आप इस पत्र के जारी करने के 14 दिन की अवधि के भीतर ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित तथ्यों एवं आंकडों की पुष्टि करके अपनी टिप्पणियाँ यदि कोई हों, दोहरी प्रति में भेज दें। यदि निर्धारित अविध के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि इस पर आपकी कोई टिप्पणी नहीं है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित तथ्य एवं आंकडें पुष्टिकृत समझ लिए जाएगें। यह भी अनुरोध किया जाता है कि कृपया ड्राप्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उत्तर ईमेल (Email id: aaoamg4@gmail.com) से भी अवस्य मेजे।

भवन्निष्ठ,

श्री संजय सिंह, वित्त सलाहकार, भारतीय खाद्य संरक्षण् एवं मानक प्राधिकरण्, स्वास्थ्य एवं कल्याण् मंत्रालय, एफ् डी ए भवन, कोटला रोड, नुई दिल्ली

MAS



भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लेखा पर भारत के नियंत्रक और महालेखाकार की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का मसौदा

हमने नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के संलग्न तुलन—पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा / प्राप्तियां और भुगतान लेखा की लेखा—परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में लेखांकन प्रतिपादन पर भारत के नियंत्रक और महालेखाकार की टिप्पणी केवल श्रेष्ठ लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदण्ड आदि के साथ वर्गीकरण, समरूपता के संबंध में ही हैं। विधि, नियम एवं विनियम (उपयुक्तता एवं नियमितता) और दक्षता—सह—निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन—देन पर लेखा—परीक्षा प्रेक्षण, यदि कोई हो, निरीक्षण रिपोर्टों / पृथक रूप से नियंत्रक और महालेखाकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है।

हमने भारत के सामान्य रूप स्वीकृत लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखा—परीक्षा संचालित की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या कथन से मुक्त होने के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादन करें। लेखा—परीक्षा में परीक्षण—आधार पर राशि के समर्थक साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटन की जांच शामिल होती है। लेखा—परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और महत्त्वपूर्ण प्राक्कलनों का निर्धारण भी शामिल होता है। लेखा—परीक्षा में लेखांकन सिद्धांतों के निर्धारण, प्रबंधन द्वारा तैयार वित्त के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण के साथ—साथ वित्तीय विवरणों के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:-

- i) हमने अपने श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार अपनी लेखा—परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक सारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।
- ii) इस रिपोर्ट मे आने वाले तुलन—पत्र और आय एवं व्यय लेखा / प्राप्तियां और भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में लिखे गए हैं।
- iii) जहां तक पुस्तकों की हमारी जांच से प्रकट होता है, हमारी राय में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा समुचित लेखा पुस्तकों तथा अन्य संबंधित रिकार्डों का रख-रखाव किया गया है।
- iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :-

क तुलन पत्र



क.1 देयताएं

वर्तमान देयताएं और प्रावधान

लेखा पुस्तकों में बीमांकन आधार पर उपदान, अधिवार्षिता / पेंशन और छुट्टी नकदीकरण हेतु कोई प्रावधान देयता साबित नहीं हुई थी जिसके परिणामस्वरूप देयताओं की न्यूनोक्ति हुई है।

ख.1 परिसम्पत्तियां

ख.1.1 स्थायी परिसंपत्तियां

अनुसूची—8 क अनुसार 2010—11 के दौरान 91.20 लाख रुपये की परिसंपत्तियां खरीदी गई हैं। तथापि, प्राप्तियां और भुगतान लेखे दर्शाते हैं कि स्थायी परिसंपत्तियों पर व्यय रू. 68.51 लाख है। अंतर का समाधान नहीं किया गया है।

ग. आय और व्यय लेखा

ग.1 व्यय की न्युनोक्ति

आय और व्यय लेखा में रू. 4.60 लाख का न्यून मूल्यहास दर्शाने के फलस्वरूप व्यय की न्यूनोक्ति और व्यय की अधियोक्ति तथा इसी राशि की पूंजीगत निधि की अधियोक्ति हुई है।

ग.2 व्यय की न्यूनोक्ति

रू.32.37 करोड़ का कुल अनुदान आय और व्यय लेखा में राजस्व अनुदान के रूप में दर्शाया गया है, जबिक 2010—11 के दौरान आय और व्यय लेखों के अनुसार रू.68.51 लाख की संपत्तियां खरीदी गईं। इसलिए आप और व्यय में से रू.68.51 लाख का पूंजीगत अनुदान न घटाने के परिणामस्वरूप आय पर व्यय के आधिक्य में रू.68.51 लाख की न्यूनोक्ति हुई है और व्यय में से रू.68.51 लाख का पूंजीगत अनुदान न घटाने के परिणामस्वरूप आय पर व्यय के आधिक्य में रू.68.51 लाख की न्यूनोक्ति हुई है।

घ. सामान्य

- i) परिसंपत्ति रजिस्टर को विहित प्रपत्र में नहीं बनाया गया है।
- ii) पुस्तकालय की पुस्तकों का प्राप्ति रजिस्टर विहित प्रपत्र में नहीं बनाया गया है। कुछ मामलों में पुस्तकों के मूल्यमान का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए वार्षिक लेखों में उल्लिखित पुस्तकों की कुल लागत प्रामाणिक नहीं हो सकती है।
- iii) अनुसूची—22 में रू. 90.00 लाख "अनुदानों पर व्यय" के रूप में दर्शाए गए हैं लेकिन सत्त्व वस्तु और जारी किए जाने के विवरण संलग्न नहीं किए गए हैं।

इ. सहायक अनुदान

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने वर्ष 2010—11 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (प्राधिकरण ने मार्च 2011 में रु. 11.37 करोड़ प्राप्त किए) की योजना के अंतर्गत रु. 32.37 करोड़ रुपये का सहायक—अनुदान प्राप्त किया। प्राधिकरण ने रु. 36.98 करोड़ का उपयोग किया।

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरणनई दिल्ली 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र की अनुसूचियां

अमुसूची-24

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन अभिसमय

वित्तीय विवरण अन्यथा दिए जाने तक ऐतिहासिक लागत अभिसमय के आधार पर तथा लेखांकन की प्रोद्भवन पद्धति पर तैयार किए जाते हैं।

2. स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परसंपत्तियां अंतःवहन, शुल्क और करों तथा अधिग्रहण से संबंधित आनुषंगिक और प्रत्यक्ष व्ययों सहित अधिग्रहण की लागत पर दी जाती हैं। परिसंपत्तियों को उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तारीख के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

3. मूल्यहास

- 3.1 डब्ल्यूडीवी आधार पर आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार मूल्यहास की व्यवस्था की जाती है।
- 3.2 वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में परिवर्धन / कटौती के संबंध में तदनुसार मूल्यहास पर विचार किया जाता है।
- 3.3 रुपए 5000 तक या इससे कम कीमत की परिसंपत्तियां पूर्णतया मुक्त हैं।

4. सहायक अनुदान

- क) वर्ष के दौरान सहायक अनुदान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से राजस्व अनुदानों के रूप में प्राप्त किए जाते हैं।
- ख) भारत सरकार से प्राप्त किए जा रहे सहायक अनुदान प्राप्ति आधार पर दर्शाए जाते हैं।
- ग) ब्याज के रूप में प्राप्त अर्जन अन्य छोटी—मोटी आयों को प्राधिकरण द्वारा उपगत किए जा रहे राजस्व व्ययों के साथ उस सीमा तक सरकारी सहायक अनुदानों के उपयोगन में कमी आती है।



5. लाइसेंस फीस

अभ्यर्थियों से प्राप्त लाइसेंस फीस, नई दिल्ली में लेखा विभाग में डिमांड ड्राफ्ट की प्राप्ति पर आय के रूप में दर्शायी जाती है।

अनुसूची-25

1 से 25 तक अनुसूचियां संलग्न हैं तथा 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन—पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखा का अभिन्न अंग हैं।

> कृते इन्द्र डी. नारायण एण्ड कंपनी चार्टडिट एकाउंटेंट

> > मनोरंजन दास) साझेदार



<u>Issai</u>


भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

तीसरा एवं चौथा तल, खाद्य एवं औषधि प्रशासनिक भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002

फोन: 011-23237436

बेबसाईट : www.fssai.gov.in


टोल फ्री हेल्पलाईन नम्बर : 1800112100






<u>Issai</u>

Food Safety And Standards Authority Of India



ANNUAL REPORT 2010-11






Contents

s. NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Overview	01
2.	Mandate and Structure- Authority, Central Advisory Committee Scientific Committee, Scientific Panels	04
3.	Important Milestones	16
4.	Codex Matters	23
5.	Laboratories	24
6.	Training and Capacity Building	26
7.	Administration and Human Resources	29
8.	Safety of Imported Food	37
9.	Information Education & Communication (IEC)	39
	(i) Awareness & Communication	
2	(ii) Information Technology	w
10.	Result Framework Document (2010-11), SEVOTTAM	41
11.	Advisories	53
12.	Annual Accounts 2010-11	54





1. Overview

The year 2010-11 was a year of rapid strides by Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) towards realization of immediate goal of operationalizing the Food Safety and Standards (FSS) Act 2006. The draft FSS Rules and Regulations were notified and on the basis of comments received from the stakeholders the final draft were prepared and submitted to the Government for approval. The remaining 47 sections of the FSS Act were notified on 29th July 2010 with the exception of the provision relating to Genetically Modified food in section 22. The Act provides for an entirely new structure, both in the Central Government and in the States, for implementing it.

At the Central level, the Authority, the Central Advisory Committee (CAC), the Scientific Committee and 08 Scientific panels related to different subjects have already been constituted and are functional. Many States have appointed Commissioners of Food Safety and are in the process of appointing Designated officers, Food Safety officers, Adjudicating officers and Appellate Tribunal. The FSSAI was following up with State and Union Territories Governments for taking all preparatory steps particularly for selection of candidates as well as finalization of the appointment of Statutory functionaries. As a result, majority of States and UTs are in readiness towards appointing such functionaries within a short time after the notification of the Rules. The States have also been sensitized about the key features of the new licensing system under the FSS Regulations by organising regional review meetings, workshops, training programmes for Designated Offices and training programmes for trainers of Food Safety Officers.

Realizing the crucial role that the food testing laboratories are going to play in the FSS regime, a Gap Analysis has been conducted in respect of 50 food testing laboratories to assess their requirement for achieving accreditation which has become mandatory under the new law. The details have been shared with the concerned States to take steps for upgrading the Laboratories in a time bound manner to meet the requirements of the law. Separately the work is in progress for preparing draft accreditation standards for the Food Safety Testing Laboratories.

During the year a major development was operationalisation of the provisions relating to the safety of imported food in the FSS Act. After several consultation and sensitization meetings,



with the stakeholders (Customs, Port Authorities, Custom House Agents, other exporter associations etc) at Chennai, Kolkata, Mumbai and Delhi, FSSAI moved in these ports and took over food testing functions in respect of the consignments referred by the Custom authorities. To overcome any bottleneck in testing of such imported food samples adequate number of NABL accredited laboratories were empanelled.

The Scientific Panels and the Scientific Committee started working in the right earnest during the year and deliberated on several scientific and standard making subjects which included draft standards for Trans Fatty Acids (TFA) in Partially Hydrogenated Vegetable Oil and caffeinated drinks. Further draft document on Code on Self-regulation in Food Advertisement, Food Safety in Eating Establishment, Imported Food Safety Regulations, Food Safety and Standards Regulations, Guidelines for Accreditation and Certification, Regulation on Dietary supplements, are few others under finalization. Research projects were sanctioned to National Institute of Nutrition (NIN), Hyderabad to undertake study on health effects of consumption of Khesari Dal and study to assess the consumption of processed and non-processed food by Indians. Indian Institute of Management (IIM), Bangalore was assigned a project to develop a template for Food Safety Plan for the Panchayats and Indian Institute of Public Health (IIPH), Hyderabad shall help FSSAI in developing training curricula for the Designated Officers, Food Safety Officers and food Handlers.

Expressions of interest have also been called to identify agencies for establishing network of Food Safety Centres and Centres of Excellence; Developing Food Safety Surveillance Framework; Developing guidelines to ensure the availability of Safe Food in Schools and designing Mobile Food Testing Laboratories. Guidelines and inspection manuals are being developed for field officers who will inspect food establishments and also the Food Business Operators.

The service rules for the employees of the FSSAI were submitted to the Government for approval. Six out of nine such rules have been approved. The task of integrating various cadres of officers transferred to FSSAI under Section 90 of the Act shall commence after the approval of remaining services rules. The FSSAI has been sanctioned 355 posts for which Recruitment Rules are under finalization. The process of filling up these posts will start first by adjusting the transferred officers willing for absorption in the FSSAI.

The licensing and inspection work under various enactments and orders mentioned in Schedule II of the FSS Act except for the Edible Oil related orders, all other enforcement action under the PFA Act by the State and Union Territory Governments, continue to be carried out. Advisories were issued during the year against the reported or possible threat of contamination or adulteration.

Thus while continuing to discharge the functions under various Acts and Orders still not repealed, FSSAI worked on various steps which could bring it very close to implementation of the FSS Act. However, there are new challenges on the horizon particularly making of new, as well review of existing standards, preparing the Central and State implementation machinery for the new responsibilities, Up gradation of laboratories and creation of awareness among the consumers, Food Business operators, food handlers etc.



Annual Report 2010-11





2. Mandate And Structure-

Authority, Central Advisory Committee, Scientific Committee, Scientific Panels

The Food Safety and Standards (FSS)Act, 2006 aims to establish a single reference point for all matters relating to food safety and standards, by moving from multi-level, multi-departmental control to a single line of command. To this effect, the Act establishes an independent statutory Authority – the Food Safety and Standards Authority of India.

Various Central Acts and orders will be repealed after commencement of FSS Act, 2006

- (1) Prevention of Food Adulteration Act, 1954,
- (2) Fruit Products Order, 1955,
- (3) Meat Food Products Order, 1973,
- (4) Vegetable Oil Products (Control) Order, 1947,
- (5) Edible Oils Packaging (Regulation) Order 1998,
- (6) Solvent Extracted Oil, De-Oiled Meal and Edible Flour (Control) Order, 1967,
- (7) Milk and Milk Products Order, 1992 etc

Establishment of Food Safety And Standards Authority Of India (FSSAI)

Food safety and Standards Authority of India, (FSSAI) has been established by Central Government through a notification and shall exercise powers conferred on and to perform the functions assigned to, it under the FSS Act.

Ministry of Health & Family Welfare, Government of India is the Administrative Ministry of FSSAI. The Chairperson and Chief Executive Officer of Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) are appointed by Government of India. The Chairperson is in the rank of Secretary to Government of India. The Head office of the Authority shall be at Delhi.

FSSAI has been mandated by the FSS Act, 2006 for performing the following functions:

• Framing of Regulations to lay down the Standards and guidelines in relation to ar-

ticles of food and specifying appropriate system of enforcing various standards thus notified.

- Laying down mechanisms and guidelines for accreditation of certification bodies engaged in certification of food safety management system for food businesses.
- Laying down procedure and guidelines for accreditation of laboratories and notification of the accredited laboratories.
- To provide scientific advice and technical support to Central Government and State Governments in the matters of framing the policy and rules in areas which have a direct or indirect bearing of food safety and nutrition.
- Collect and collate data regarding food consumption, incidence and prevalence of biological risk, contaminants in food, residues of various, contaminants in foods products, identification of emerging risks and introduction of rapid alert system.
- Creating an information network across the country so that the public, consumers,
 Panchayats etc receive rapid, reliable and objective information about food safety and issues of concern.
- Provide training programmes for persons who are involved or intend to get involved in food businesses.

Structure of FSSAI

The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) consist of a Chairperson, Chief Executive Officer (CEO) as Member Secretary and 22 other Members. It conducts quarterly meetings and during the year 4 meetings were conducted. CEO FSSAI is a member without a right to vote.

Members:

Chairperson:

Member Secretary



Ex-officio Members under Section 5 (1)(a)

JS (Agriculture)

JS (Commerce)

JS (Consumer Affairs)

JS (Food Processing)

JS (Health)

JS (Legislative)

JS (Medium Small and Micro Enterprises)

Members:

Two representatives of food industry

From Small Scale Industry

From Large Scale Industry

Two representatives of Consumer Organizations

Three eminent Food Technologists/Scientist

Five representatives of States/Union Territories

Two representatives of Farmers' Organisations

One representative of Retailers' Organisations

Central Advisory Committee (CAC)

Central Advisory Committee of the FSSAI consists of Commissioners of Food Safety of all States/ Union Territories representative of Food Industry, Agriculture, Consumer, Research Body and Food Laboratories and invitees from concerned Ministries.

The primary mandate of the committee is to be advice the Authority on the work programme, prioritization of work, identifying potential risks and pooling of knowledge. During the year two meetings of the committee were conducted.

Scientific Committee:

Members:

- Prof. Nirmal Kumar Ganguly, Advisor to Department of Health Research, Translational Health Science & Technology Institute, New Delhi.
- 2. Dr. P.G Chengappa, Vice Chancellor, GKVK Bangalore.
- 3. Dr. Ashok A..Patel, Principal Scientist & Actg. Head, Dairy Technology, National Dairy Research Institute, Karnal.
- 4. Dr. M.S.Mithyantha, Ph.D (Agricultural Chemistry) Independent Consultant, Expert in Pesticides Residue and Contaminants, Bangalore.
- Dr. K.C Bansal, Coordinator, Indian Council Agricultural Research Network on Transgenic Development, National Research Centre on Plant Biotechnology, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
- 6. Dr. Jagadish S. Pai, Ph.D (Food Science & Technology) Expert in Functional Food, Nutraceuticals, Protein Foods & Nutritional Development Association of India, Mumbai.
- 7. Chairperson of the Scientific Panel on functional foods, Nutraceuticals, dietetic products and other similar products.
- 8. Chairperson of the Scientific Panel on method of sampling and analysis.
- 9. Chairperson of the Scientific Panel on food additives, flavorings, processing aids and materials in contact with food.
- 10. Chairperson of the Scientific Panel on contaminants in the food chain.
- 11. Chairperson of the Scientific Panel on biological hazards.
- 12. Chairperson of the Scientific Panel on pesticides and antibiotics residues.
- 13. Chairperson of the Scientific Panel on labeling and claims/Advertisements.

Annual Report 2010-11



14. Chairperson of the Scientific Panel on genetically modified organisms and foods.

Functions:

- (i) The Scientific Committee shall be responsible for providing the scientific opinions to the food Authority, and shall have the powers, where necessary, of organizing public hearings.
- (ii) The Scientific Committee shall be responsible for the general co-ordination necessary to ensure consistency of the scientific opinion and in particular with regards to the adoption of working procedures and harmonization of working methods of the Scientific Panel.
- (iii) The Scientific Committee shall provide opinions on multi-sectoral issues falling within the competence of more than one scientific panel, and on issues which do not fall within the competence of any of the scientific panel.
- (iv) Wherever necessary, and particularly, in the case of subjects which do not fall within the competence of any of the Scientific Panel, the Scientific Committee shall set up working groups and in such cases, it shall draw on the expertise of those working groups when groups establishing scientific opinions.

Scientific Panels (8 Panels)

(1) Panel for Functional Foods, Nutraceuticals, Dietetic and other similar products:

Members:

- 1. Dr V. Prakash, Director, Central Food Technological Research Institute, Mysore.
- 2. Dr. D. B AnanthaNarayana, Ph.D (Pharmacy) Independent Consultant, Expert in Nutraceuticals, Ayurvedic Products, Bangalore.
- 3. Ms. Anuja Agarwala, Dietician, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.
- 4. Dr B. C. Ghosh, Principal Scientist, National Dairy Research Institute, Bangalore.
- 5. Dr. K. Madhavan Nair, Scientist-E, National Institute of Nutrition (NIN), Hyderabad.

- 6. Dr. Shantikumar Nair, Ph.D (Materials Science)-Columbia University, Expert in Nano Technology, Dean of Research of Amrita Vishwa Vidyapeetham (University), Kochi
- 7. Prof. B. Sashidhar Rao, Professor & Chairman in Department of Biochemistry, UCS Osmania University, Hyderabad, Andhra Pradesh.
- 8. Dr Vilas Ramrao Shirhatti, Ph.D (Chemistry), Independent Consultant, Expert in Functional Foods and Nutraceuticals, Fats and Oil, Mumbai
- Shri Kumar Bhatia, Chief Consultant (Post Harvest Management & Marketing), Ministry of Agriculture, New Delhi.
- Dr. N. Anandavalli, Ph. D Food Micro Biology Expert Vice President (Tech)FAO/UN Food Safety Consultant/ Auditor, M/s Food Safety Solutions International, Cochin.
- 11. Dr. Anura Vishwanath Kurpad, DNB (Physiology) Dean, St. John's Research Institute, Bangalore.
- 12. Dr. P. D. Dwivedi, Scientist EI, Food Toxicology Division, Indian Institute of Toxicology Research, Post Box No. 80, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow.
- 13. Dr. Partha Roy, Assistant Professor, Department of Biotechnology, IIT, Roorkee.

(II) Panel for Method of Sampling and Analysis

Members:

- 1. Dr. Sushil Kumar Saxena, Director, National Analytical Laboratory of National Dairy Development Board, Anand, Gujrat.
- 2. Dr. Rakesh Kumar Khandal, Ph.D Chemistry Analytical Expert, Shriram Institute for Industrial Research, New Delhi.
- 3. Dr. Pitam Chandra, Assistant Director General (Proc. Engg), Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
- 4. Dr. N.V. Rama Rao, Ph.D Chemistry, Analytical Expert, President, Vimta Labs Ltd., Hyderabad.



- Dr. Vasantha Muthuswamy, Former Senior Deputy Director General and Chief of Division basic medical Sciences and division of reproductive Health and Nutrition, Indian Council of Medical Research, New Delhi (Retd.)
- 6. Dr. A.K Dikshit, Principal Scientist (pesticide residues), Indian Agricultural Research Institute (IARI), Pusa Institute, New Delhi.
- 7. Dr. Deepa Bhajekar, Ph.D (Industrial Microbiology), Proprietor & Chief Executive officer, Micro Chem Laboratory, Mumbai.
- 8. Dr. M. N Manjunath, Scientist 'F', Food Safety and Analytical Quality Control Laboratory, Central Food Technological Research Institute, Mysore.
- 9. Dr. M. K. Kundu, Consultant, Ex-edible Oils Commissioner, Government of India, New Delhi.
- 10. Dr Dipankar Sinha, Professor, All India Institute of Hygiene & Public Health, Kolkata.
- 11. Ms. Sobha Hegde, Independent Consultant, Empanelled Accreditation Assessor, Mumbai (Retried from Bureau of Indian Standards)
- 12. Dr. Ranjan Sharma, Senior Scientist, National Dairy Research Institute, Karnal.
- 13. Dr. Jonnalgadda Padmaja Scientist 'C' Food & Drug Toxicology Research Centre, National Institute & Nutrition, ICMR, Hyderabad.

(III) Panel for Food Additives, Flavorings, Processing aids and Material in contact with food. Members:

- Dr. Amarinder Singh Bawa, Director, Defence Food Research Laboratory, Defence Research & Development Organisation, Mysore.
- 2. Dr. Mukul Das, Deputy Director (Scientist 'F'), Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow.
- 3. Dr. (Mrs.) Kalpagam Polasa, Deputy Director (Sr. Scientist 'F'), National Institute of Nutrition, Hyderabad.

- 4. Dr. Joseph Lewis, Ph.D (Chemical Technology), Independent Consultant, Expert in Labeling Food Additives, Oils and Fats, Mumbai.
- 5. Dr. Rajiv Dhar, Director & CEO, Indian Institute of Packaging, Mumbai.
- Dr. K.N Gurudatt, Head, Food Safety & Analytical Quality Control Laboratory, Central Food Technological Research Institute, Mysore.
- 7. Dr. H.N. Mishra, Head Post Harvest Technology Centre, Chairman, Hall Management Centre IIT, Kharagpur.
- 8. Dr. H.P.S Sachdev, M.D. (Pediatrics), Expert in Pediatrics, Sr. Consultant (Pdiatrics and Clinical Epidemiology), Sita Ram Bharatia Institute of Science and Research, New Delhi.
- 9. Dr. R.B.N. Prasad, Scientist 'G', Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad.
- Dr. Banwari Lal, Ph.D (Microbiology), Direcgtor, Environmental and Industrial Biotechnology, The Energy and resources Institute, New Delhi.
- 11. Dr. Satish Kulkarni, Principal Scientist, National Dairy Research Institute, Bangalore.

(IV) Panel for Contaminants in the Food Chain:

- 1. Dr. Shiv Lal Special DGHS & Director, National Institute of Communicable Disease, Director General of health Service, Delhi.
- 2. Dr. A.K. Sharma, Scientific officer 'H' Head, Food Technology Division, Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai.
- 3. Dr. S.K Mendiratta, Senior Scientist, Indian Veterinary Research Institute Izatnagar.
- Dr. T.K Srinivasa Gopal, Principal Scientist, Head Packaging Sections., Fish Processing Technology, Central Institute of Fisheries Technology, Cochin.
- 5. Dr. Krishna Jha, Principal Scientist (Microbiology), Indian Council of Agricultural Research, Bhopal.
- 6. Dr. P Subbian Director (Agribusiness Development), Tamil Nadu Agricultural



- University, Coimbatore.
- 7. Dr. K.L Gaba, Ph.D (Agricultural, Dairy Animal Husbandry)- NDRI Karnal, Independent Consultant, Expert in Food Additives, Functional Foods and Milk and milk products, New Delhi.
- 8. Dr. Lata, Principal Scientist, Division of Microbiology, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi.
- 9. Dr. G.Vijayalakshmi, Scientist 'F', Central Food Technological Research Institute, Mysore.
- 10. Dr. Rashmi Kulshrestha, Ph.D (Pharma), Expert in Pesticides Residues and Contaminants, Food and Pharma Regulatory Consultant, Regulatory Wisdom, New Delhi.
- 11. Dr. V.K Joshi, Professor & Head (Post Harvest Technology) Dr. Y.S Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan H.P.
- 12. Shri Praveen Gangadhar, Independent Consultant, Food Safety Expert, Quality Management Services, Delhi (Retired from BIS).

(V) Panel for Biological Hazards

Members:

- 1. Dr. Ashwani Kumar, Scientist 'G' and Head, Environmental Biotechnology, Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow.
- 2. Dr. Naresh Kumar, Senior Scientist, National Dairy Research Institute, Indian Council of Agricultral Research, Karnal.
- 3. Dr Ashish Motiram Paturkar, Professor and Head of Department, Bombay Veterinary College, Mumbai.
- 4. Dr. Bhupinder Singh, Senior Scientist, NRI, IARI, New Delhi.
- Dr. Prem Kumar Jaiswal, Ex-Director(Laboratories), Dept. of Agriculture and Cooperation, Central Agmark Laboratory, Nagpur.
- 6. Dr. Joginder Singh Berwal, Ph.D (Meat Technology), Independent Consultant, Expert Meat Technology, New Delhi.

- 7. Dr. A. Laxmaiah Deputy Director (Scientist 'E'), National Institute of Nutrition, Indian Council of Medical Research, Hyderabad.
- 8. Dr. Suseelendra Desai, Principal Scientist, Central Research Institute for Dryland Agriculture Indian Council Agriculture Research, Hyderabad.
- Dr. Jamuna Prakash, Reader, Department of Food Science and Nutrition, University of Mysore.
- 10. Dr. D. Narasimha Rao (Retd.), Scientist 'F' and Head of the Department, Central Food Technological Research Institute, Mysore.
- 11. Dr. Ravi Shankar, C.N Senior Scientist, Fish Processing Division, Central Institute of Fisheries technology (IACR), Cochin.
- 12. Dr.Malabika Roy, Scientist 'F'/ Deputy Director General (Sr. Gr.) Div. of Reproductive Health and Nutrition, Indian Council of Medical Research, New Delhi.

(VI) Panel for Pesticides and Antibiotic Residues:

- 1. Dr. Debabrata Kanungo, Additional Director General (St.), Directorate General of Health and Family Welfare, New Delhi.
- 2. Dr. Kiran Narayan Bhilegaonkar, Senior Scientist, Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar.
- 3. Dr. V. Sudershan Rao, Scientist 'C', National Institute of Nutrition, Hyderabad.
- 4. Dr. B. Surendra Nath, Principal Scientist, NDRI, Bangalore.
- 5. Dr. Jai Raj Behari, Scientist 'F', Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow.
- 6. Dr. A.G. Appu Rao, Scientist 'G', CFTRI, Mysore.
- 7. Dr. K.K. Sharma, Network Coordinator, AINP on Pesticide Residues in Project Coordinating Cell, IARI, New Delhi.
- 8. Dr. Tapan Chakrabarti, Scientist G and Acting Director, National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur.
- 9. Mrs. Mohini Srivastava, Public Analyst, Prevention of Food Adulteration, Delhi.



- 10. Dr. S.K. Handa, World Health Organization, Consultant, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi.
- 11. Gurudayal Singh Toteja, Scientist 'F', Indian Council of Medical Research, New Delhi.

(VII) Panel for Labeling and Claims Advertisements:

Members:

- 1. Dr. B. Sasikeran, Director, National Institute of Nutrition, Hyderabad.
- 2. Shri Darshan Singh Chadha, Senior Technical Advisor, Confederation of Indian Industry, New Delhi (Retd. From Government of India).
- 3. Dr. Anupa Siddhu, Director, Lady Irwin College, New Delhi.
- 4. Sh. Pradeep K. Chaudhary, Independent Consultant, Expert in Food Additives, Food Labeling, Nutritional Food, Gurgaon.
- 5. Dr. Mridul Salgame, Ph.D (Dairy Microbiology)- Analytical Expert, Managing Director, IADFAC Laboratories, Bangalore.
- 6. Dr. S. Prema Kumari, Ph.D (Food Science and Nutrition), Nutrition Expert, Prof. and Head, Avinashilingam, University for Women, Coimbatore, Tamil Nadu.
- 7. Dr. Pullabhatla Srinivas, Head, Plantation Products, Spices and Flavour Technology, Central Food Technological Research Institute, Mysore.
- Dr. D.P. Attrey, Ph. D Food Science (Meat Science) Professor Emeritus & Consultant in SASTRA University, Thanjavur (Tamil Nadu), DRDO, Ministry of Health, APEDA, DST, BHU, Independent Consultant- Expert in Food Safety, ISO- 9001, 17025, 22000, GAP,GCP,GLP,&GMP, Noida.
- 9. Dr. R.R. B Singh, Senior Scientist, National Dairy Research Institute, Karnal.
- 10. Dr. Nandkishor Namdeorao Zade, Prof. & Head, Nagpur Veterinary College, Nagpur.

11. Dr. S.K. Khana, Retired Director Grade Scientist, Head Food Toxicology Division, Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow.

(VIII) Panel for Genetically Modified Organisms and Foods:

Members:

- Dr. P.L Gautam, Chairman, National Biodiversity Authority, Ministry of Environment and Forests, Chennai.
- 2. Dr. Ramesh V Bhat, Consultant, FAO, Hyderabad.
- 3. Dr. M, Padmavati, Assistant Professor, Indian Institute of Technology, Kharagpur.
- 4. Dr. P. Balasubramanian, Director, Centre for Plant Molecular Biology, Tamil Nadu Agricultural University Coimbatore.
- Dr. Lalitha Ramakrishna Gowda, Scientist 'F', Central Food Technological Research Institute (Council of Scientific and Industrial Research), Mysore.
- 6. Dr. J. Nagaraju, Scientist 'G', & Group Leader, Centre of DNA Finger Printing & Diagnostics, Hyderabad.
- 7. Dr.D. Yogeswara Rao, Scientist 'G' and Head Technology Networking and Business Development Division, CSIR, New Delhi.
- 8. Dr. A.B Dongre, Principal Scientist, central Institute of Cotton Research, ICAR, Nagpur.
- 9. Dr. S.R. Rao, Scientist 'G', Department of Bio-technology, Ministry of Science & Technology, Lodhi Road, New Delhi.
- 10. Dr. R.P. Singh, Professor, Department of Bio-technology, Indian Institute of Technology, Roorkee.
- 11. Dr. Satwinder Singh Marwaha, CEO, Punjab Bio-technology Incubator, SAS Nagar, Punjab.
- 12. Dr. ParmJit Singh Penashar, Assistant Professor, Department of Food and Engineering Technology, Sant Longowal Engineering and Technology, Longowal, Punjab.
- 13. Dr. Subash Chand, Professor, Indian Institute of Technology, Delhi.
- NB : Apex court observation taken into account to re-constitute the Scientific Panel and Committee.



3. Important Milestones:-

- (i) All provisions of FSS Act have been enabled and operationalized (Notification Issued)
- (ii) Draft FSS rules forwarded to Ministry of Health and Family Welfare, for notification.
- (iii) Section-47 (5) of the FSS Act has been invoked with respect to imported food.
- (iv) 8 Scientific Panels and oneScientific Committee have been re-constituted, and had regular meetings on different aspects of guidelines/draft regulations etc.
 - a. A draft framework for interim arrangement of GM, processed food was approved by the Authority, but the same is to be regulated under Biotechnology Regulatory Authority of India(BRAI) Bill 2010, moved by the Department of Biotechnology Government of India.
 - b. Draft regulations on Trans Fatty Acids (TFA) in Partially Hydrogenated Vegetable Oils (PHVO's) finalised and forwarded to Ministry of Health and Family Welfare. The Draft regulations on Food for special Nutritional or Dietary uses prepared and is under consideration of panel.
 - c. A pilot project called "Safe Food, Tasty Food" for upgrading safety and quality of food served in eating establishment across the country circulated to state/UT, for consultation.
 - d. Expert group constituted to handle-
 - AMAZE BRAIN FOOD
 - FATS AND OILS
 - CAFFEINATED DRINKS

(v) Central Advisory Committee meetings held during the year with full quorum.



Central Advisory Committee Meeting in Progress

- (vi) Accounts of FSSAI have been finalised u/s 83 of FSS Act.
- (vii) Draft Guidelines were framed on Conflict of interest, Disclosures, Confidentiality protocols for members.
- (viii) Expression of Interest (EOI) invited for Development and Implementation of scheme for undertaking-
 - Research and Development,
 - Establishment of Food safety Centers
 - Centers of Excellence.

For Centre of excellence In the 1st phase National Dairy Research Institute (NDRI), National Dairy Development Board (NDDB) and National Institute of Nutrition (NIN) have been identified for working with the authority in areas of Milk supply, Safety in Milk processing, and Nutritional issues. An action plan for milk safety has been drawn.





- (ix) Drafts drawn/and under discussions-
 - Safety standards of Alcohols
 - Water quality standards
- (x) Draft guidelines for accreditation and certification of Food Safety systems have been drawn up and shall be the basis for Food Safety Management System (FSMS) to be adopted, by the Authority as the standards for industry.

Prevention Of Food Adulteration Act, 1954

The Act was promulgated by Parliament in 1954 to make provision for the prevention of adulteration of food, along with the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 which was incorporated in 1955 as an extension to the Act. Broadly, the PFA Act covers food standards, general procedures for sampling, analysis of food, powers of authorized officers, nature of penalties and other parameters related to food. It deals with parameters relating to food additives, preservative, colouring matters, packing &labeling of foods, prohibition & regulations of sales etc. Like FPO, amendment in PFA rules are incorporated with the recommendation made by the Central Committee of Food Standards (CCFS) which has been setup by Central Government under the Ministry of Health and Family Welfare comprising members from different regions of the country. The provisions of PFA Act and Rules are implemented by State Government and local bodies as provided in the rules. Prevention of Food Adulteration Act, 1954 will be repealed from the date to be notified by the Central Government as per the Food Safety and Standards Act,2006. Till that date new standards are specified, the requirement and other provisions of the PFA Act, 1954 and Rules, 1955 shall continue to be in force as a transitory provision for food standards.

Fruit Product Order (FPO), 1955

Fruit Products Order -1955, promulgated under Section 3 of the Essential Commodities Act - 1955, with an objective to manufacture fruit & vegetable products maintaining sanitary and hygienic conditions in the premises and quality standards laid down in the Order. It is mandatory for all manufacturers of fruit and vegetable products including some non fruit prod-

ucts like non fruit vinegar, syrup and sweetened aerated water to obtain a license under this Order. Following minimum requirements are laid down in the Fruit Product Order for hygienic production and quality standards:

- (i) Location and surroundings of the factory
- (ii) Sanitary and hygienic conditions of premises
- (iii) Personnel hygiene
- (iv) Portability of water
- (v) Machinery & Equipment with installed capacity
- (vi) Quality control facility & Technical staff
- (vii) Product Standards
- (viii) Limits for preservatives & other additives

This order was earlier implemented by Ministry of Food Processing Industries (now by FSSAI) through the Directorate of Fruit & Vegetable Preservation, Headquarter at New Delhi. The Directorate has five regional offices with headquarter located at Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai and Guwahati as well as a sub-office at Lucknow under Northern Region. The field officers of the Regional Offices undertake periodic inspections of the manufacturing units to ensure maintenance of hygienic conditions in the factory and draw random samples of products from the factories as well as from markets which are analyzed in the laboratories to test their conformity according to the specifications laid under FPO.

The Central Fruit Product Advisory Committee comprising of the officials of concerned Government Departments, Technical experts, representatives of Central Food Technology Research Institute, Bureau of Indian Standards, Fruits and Vegetable Processing Industry and Consumer Organization for recommending amendments in the Fruit Product Order.

Meat Food Products Order (MFPO) 1973

 Consumption of meat & meat products and consumers preference to these products is gradually increasing. In Meat & Meat Processing sector, poultry meat is the fastest



growing animal protein in India. Per capita consumption of meat products has grown from 870 grams in 2000 to about 1.68 kg in 2005. This is expected to grow further in coming years.

- Indian consumers prefer to buy fresh meat from the wet market, rather than processed or frozen meats. A small percentage of production (about 100,000 MT) of poultry meat is sold in processed form. Of this only about 1-2 % undergoes processing into value added products (Ready-to-eat/ Ready-to-cook). Processing of large animals is largely for the purpose of Exports.
- Meat & Meat Products are highly perishable in nature and can transmit diseases from animals to human-beings. Processing of meat products is licensed under Meat Food Products Order, (MFPO) 1973 which was hitherto being implemented by Ministry of food Processing industries w.e.f. 19.03.2004 on being transferred from the Directorate of Marketing Inspection, Ministry of Agriculture.
- The main objectives of the MFPO, 1973 are to regulate production and sale of meat
 food products through licensing of manufacturers, enforce sanitary and hygienic
 conditions prescribed for production of wholesome meat food products, exercise
 strict quality control at all stages of production of meat food products, fish products
 including chilled poultry etc.
- Under the provision of MFPO all manufacturers of meat food products engaged in the business of manufacturing, packing, repacking, relabeling meat food products meant for sale are licensed but excluding those manufacturers who manufactures such products for consumption on the spot like a restaurant, hotel, boarding house, snack bar, eating house or any other similar establishment.
- Depending on the source of meat the manufacturers are licensed under category A,
 B & C. Presently, 279 units are licensed under MFPO as on 31.03.2011. Region-wise details are given below: -

Region	Category A	Category B	Category C	Total
Western Region	15	44	48	107
Southern Region	20	38	40	98
Northern Region	16	42	43	101
Eastern Region	7	8	18	33
TOTAL	58	132	149	339

- Production of meat is governed under local by-laws as slaughtering is a state subject and Slaughterhouses are controlled by local health Authorities. The current meat production is estimated at 1.9 million MT; out of which about 21% is exported.
- India exports more than 500,000 MT of meat of which major share is buffalo meat. Indian
 buffalo meat is witnessing strong demand in international markets due to its lean character and it's near organic nature. India is the 5th largest exporter of bovine meat in the
 world. Indian buffalo meat exports have the potential to grow significantly.
- Due to emerging health threats of the diseases communicable to Human through meat, the
 meat consumers are more vigilant towards the wholesomeness of the meat and demanding meat and poultry products processed in clean and sanitary environment In metros and
 urban areas there are upcoming demands for "convenience items" such as semi cooked,
 ready-to-eat, ready-to-cooked meat food products.

Milk & Milk Product Amendment Regulations - 2009 (MMPR-09)

Consequent upon de-licensing of Dairy Sector in 1991 under Industrial Development & Regulation Act, the Department of AH, Dairying& Fisheries had promulgated the Milk and Milk Product Order (MMPO) 1992, under section 3 of the Essential Commodities Act 1955. The objective of the order is to maintain and increase the supply of liquid milk of desired quality in the interest of the general public and also for regulating the production, processing and distribution of milk and milk products. As per the provisions of this order, any person/dairy



plant handling more than 10,000 liters per day of milk or 500 MT of milk solids per annum needs to be registered with the Registering Authority appointed by the Central Government.

There is no restriction on setting up of new dairy units and expansion in the milk processing capacity, while noting the requirement of registration is for enforcing the prescribed Sanitary and Hygienic Conditions, Quality and Food Safety Measures as specified in Vth Schedule of MMPO-1992. To comply with the provisions of Para 5 (5) (B) of MMPO-92, two inspection agencies i.e. National Productivity Council (NPC) and Export Inspection Council (EIC) of India have been notified for annual inspection of registered dairy units, on rotation basis.

Where the entire activity of procurement, processing and marketing of the dairy units lies within the State or Union Territory, the Registering Authority shall be an officer of the concerned State Govt. or U.T. and the dairy unit handling more than 200.0 TLPD of milk or 10,000 MT of milk solids per annum shall be registered by the Central Registering Authority. Accordingly Registering Authority shall deal with applications of registration and issue Registration Certificate under this order and perform within its jurisdiction.

Since inception the Central and the State Registering Authorities have registered 984 dairy units with combined milk processing capacity 1163.28 lakh litres per day in Cooperative, Private and Government Sector upto 31.03.2011. Further the Central Registering Authority (CRA) has granted 21 new registration units which enhanced the milk processing capacity of 14 dairy units and cancelled the registration of 7-dairy unit during 2010-11. The number of dairy unit inspected by notified inspection agencies i.e. NPC & EICI are 316 units.

4. CODEX Matters:-

FSSAI was declared as National Codex Control Point (NCCP) of India for making liaison with Codex Alimentarius Commission and coordinating codex activities within India. Guidelines for participation of Codex meetings, preparation of response to Codex matters were prepared and subsequently notified.



(A training program on Codex under progress at Head office, Delhi)

The Shadow Committees of the Codex have been set up in various ministries related to specific areas, The NCCP coordinates the work of shadow committees.

From time to time India is represented in the Codex meetings held at various international locations. Among the issues taken up by Indian delegation are Standards relating to Apple, Standard for Chilli Sauce Procedure for cross border inspections and draft standards for infant foods Sh. Sanjay Dave, Director, APEDA (Agricultural & Processed Food Products Export Development Agency) has been proposed recently as Chairperson of International Codex committee, by Government of India.

FSSAI participated in various Codex meetings - 26th Session of Codex Committee on General Principal (CCGP) held in Paris, (April 2010), 34th Session of Codex Alimentarius Commission (CAC)held in Geneva, (July2010), 17th Session of Coordinating Committee for Asia (CCASIA) held in Indonesia (Nov 2010).



5. Laboratories:-

A Gap analysis was conducted by Quality Council of India (QCI) for 50 Food Laboratories across the country.



(A visit to FRSL, Gaziabad, by CEO, FSSAI)

The report of Gap analysis so received from QCI has been submitted to the States and Union Territories for taking necessary action which includes, up gradation of laboratories in terms of infrastructure, procurement of testing equipments, identification of manpower and training thereof and get NABL (National Acoredition Board for Laboratories) accreditation.

Public Analyst examination has been conducted on All India basis.

Food Research & Standardization Laboratory, Ghaziabad

Food Research and Stadardisation Laboratory, Ghaziabad was established in 1971 under Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, to check adulteration and to undertake analysis of food samples from market for the purpose of determining their quality and purity.

Food Research and Standardisation Laboratory is an Appellate Laboratory (Central Food Laboratory) under Prevention of Food Adulteration Act, 1954 to check the adulteration of food samples.

Apart from Laboratory, there are other Central Food Laboratories situated in Kolkata, Mumbai, Sonauli, Raxual (Sonauli and Raxaulla boratories are located on Indo-Nepal Border).

Central Food Laboratory, Kolkata

Central Food Laboratory, Kolkata was established in 1955 under Directorate General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi to undertake analysis of food samples from all over the country and from market to determine the quality and purity of the food and to lay down standards for food Articles. Initially the Central Food Laboratory was established in the premises of All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkatta, afterwards it was shifted to its own building situated at 3, KYD Street, Kolkata-700016.

Prevention of Food Adulteration Act, strives to ensure quality and safety of food, both domestic and imported. There has been constant effort to make the laboratory a Centre of Excellence. The Laboratory is in the process of Accreditation from National Accreditation Board for Laboratories (NABL).

Details of Number of Samples Analysed and Found Adulterated at the Four Central Food Laboratories during the year 2010-11

Name of the Central Food Lab	From tria under Se (2A) 13 (2) PFA	ction 12 B) of the	From Custom Health Office ernment Dep & Specials S not connecte PFA Ac	rs, Gov- artment amples ed with	Investigati ples and th laborativ	ose of Col-	Т	otal
	Analysed	Adul- terated	Analysed	Adul- terated		Adulter- ated	Analysed	Adulter- ated
CFL, Pune			Y H		48		1086	554
CFL, Kolkata					86		1072	49
FRSL, Ghaziabad						575	406	
CFTRI, Mysore					100	-	3994	821

^{*} Blank Columns/Rows indicate data under compilation.



6. Training and Capacity Building:-



(Training program being conducted at Head Office, Delhi)

Draft Training policy statementdrawn by the Authority is under consultation with stakeholders. The document outlines the strategy for capacity building and Human resources Development in Food Safety Sector which shall be carried forward by the stakeholders and other partners.

Major Initiatives:

- OrientationTraining programme for Food Safety Commissioners (FSC), at FSSAI head office at New Delhi.
- Training of Trainers (ToT) programs for Food Safety Officers were conducted at various places in the country. The downline program by trainers have also been conducted ata few states.
- 5 day programme for Designated Officersatvarious locations in the country
- RegionalWorkshop- For understanding preparedness- of States /Union Territories for Implementation of FSS Act and Rules.

International Programmes

International Conference on Best Practice in Food Safety Implementation organized

in collaboration with Tata Energy Research Institute and Michigan State University (MSU) from 9th-11thNovember, 2010 at New Delhi.

• FSSAI officials nominated for overseas trainings on laboratory, fellowships

Workshops

Workshops and other similar programmes were arranged throughout the year on Food Safety stakeholders including Customs, Airport Authority, Ministry of Shipping, Custom House Agents& Import & Export associations etc.

In addition the following programms were organised on:

- Sevottam- Citizen charter
- Quality- ISO Systems ISO 2000,17025 other Quality systems
- Empowering of Mission Food Safety
- Stake holder's Consultation-Imports, Framing of Regulations
- Food Safety Lecture Series
- Codex Trainings
- Training for FSSAI Authorised Officers.

Linkage With Professional Institutions

- Indira Gandhi National Open University (IGNOU), for developing syllabus in imparting skills to housewives, young girls.
- b. Indian Institute of Public Health (IIPH), Hyderabad for capacity building i.e.designing



course contents for state regulatory staff Food Safety Officer, Designated Officer, Adjudicating Officer and Food Handlers.

- National Institute of Nutrition, (NIN) Hyderabad–for Dietary Supplements
- Institute of Management (IIM) Bangalore- for Food Safety Plan.
- National Dairy Research Institute, Karnal Centre for excellence
- National Dairy Development Board, Anand -Centre for excellence
- Export Inspection Council Testing of Import Food Samples.
- Quality Council of India (QCI) Gap studies for Laboratories.
- CFTRI Mysore Nodal Laboratory in Mysore for Meat issues.
- Agricultural & Processed Food Products Export Development Agency (APEDA) exchange of information with reference to SPS measures to harmonize the standards.
- Indian Veterinary Research Institute (IVRI) Meat related issues.

Administration and Human Resources:-

New structure of FSSAI was approved and 355 posts sanctioned as per details attached. Posts of all the Directors have been filled up at headquarters and at laboratories. Efforts were made during the year for filling up the posts as per the advertisements. The deemed deputation for employees u/s 90 Act will be regularized during the next year i.e. during 2011-12. The total strength of the employees of Authority on 31st March 2011is 189.

Offices

Offices at Ports including Airports have been established in the premises offered by Port authorities for Authorized Officer to handle Imported Food. Regional office premises also finalized at Mumbai and NBCC place, at Delhi.

Honbl. Health Minister has accorded in principle approval for construction of a FSSAI Head Office, in allocated space, near FDA Bhawan, New Delhi

The services of Logistics, Housekeeping, Security, Fire and safety, Air-conditioning

Horticulture, Plasma TV in committee room and conference hall are fully functional. Approval is accorded at Headquarters for similar services at hired premises at various locations for ensuring safe and good quality of working.

As the regular recruitment process for the postssanctioned by the ministry, takes time, certain technical services are outsourced through a local reputed HR agency.

Regional Offices of FSSAI

- A. Northern Region-(FSSAI, East Tower, 1st Floor, NBCC Place PragatiVihar, BhishamPitamahMarg, New Delhi-110003) Ph-(011-24360936)
 - Sub Region Office FSSAI Hall No.3, 9th Floor, KendriyaBhawan, Sector H, AliganjLucknow -226024 Ph:0522-2381899
 - Sub Region OfficeFSSAI C/o Directorate of Marketing & Inspection,2nd Floor, KendriyaSadan, Sector – 9A, Chandigarh – 110017
- Southern Region-FSSAI ,Southern Region, C-10 D, Rajaji Bhavan, Besant Nagar, Chennai-90Ph: 044-24912421Fax: 044-2443569

Annual Report 2010-11



(Authorised Officer (Chennai Dock)- FSSAI C/o Directorate ofMarketing & Inspection ,ShastriBhawan , 4th Floor 6th Block,26,Haddows Road Chennai – 600006 Ph: 044-28278065, Fax: 044-28271738, Mobile: 0944201926

C. Eastern Region- FSSAI, Eastern Region, MayukhBhawa, Top Floor, Salt Lake, Kolkata,Ph: (033-235580391) Fax: 033-235845625

Authorised Officer (Kolkata Dock)

FSSAI C/o Directorate of Marketing & Inspection, CGO Complex, 4th Floor, A- Wing, DF- Block, Sector – 1, Salt Lake, Kolkata- 700064

D. North Eastern Region-FSSAI, North Eastern Region, 6th Mile, Panjabari Road, PO Paryabari, Guhawati 761037, Telefax: 0361-2332446

Shri. Pancham, Senior Inspecting Officer

- E. Western Region-FSSAI, Western Region, Old CGO Building, 101, M.K. Marg Mumbai, PH: 022-22071474, Fax: 022-2205206, e-
- Shri Ais Kumar, Senior Inspecting Officer
 Authorised Officer JNPT, Mumbai
- Dr. S.K. Haldar, Senior Marketing Officer Authorised Officer- Haldia Dock, FSSAI C/o Directorate ofMarketing & Inspection,New CGO Building, New Marine Lines, Mumbai 400020Ph: 022-22091103

Annual Reports from Milk units, Meat offices, Fruits & Vegetables Products departments and test reports from Laboratories were collected and compiled from time to time.

Inter-ministerial Coordination: FSSAI coordinated with various ministries departments States/UT Governments and other government agencies on various Food safety issues..

Welfare and Grievances: A Committee for handling sexual harassment in work place has been constituted.

Committee constituted to examine and dispose cases under Assured Career Progressionand Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS)

Official Language: All orders/ Circulars related to Rajbhasha as issued from the Department of Official language were circulated and implemented.

The name plates, stamps, letter heads, file covers similar stationary were got printed in bilingual format as circulated. FSSAI is following the directions issued by Rajbhasha samiti for implementation of Official language and taking action further.

Statement Indicating Posts in FSSAI (Hq)/Zonal/Sub-Zonal Office/Laboratories

Designation	Pre-revised Pay Scale	Revised pay band (Rs.)	Grade pay (Rs.)	Posts retained	Posts sanc- tioned by MOF	Total Posts
Chairperson, FSSAI	26000 (Fixed)	80000 (Fixed)	Nil	1		1
Chief Executive Officer	22400-24500	37400-67000 [PB-4]	12000	1		1
Dy. CEO (Sanctioned Separately)	18400-22400	37400-67000 [PB-4]	10000	0	1	1
Chief Scientific Advisor	22400-24500	67000-(A1@3%-7		0	1	1
Scientist Group IV(5)	16400-20000	37400-67000 [PB-4]	8900	0	2	2
Scientist Group IV(4)	14300-18300	37400-67000 [PB-4]	8700	0	4	4
Scientist Group IV (3)	12000-16500	15600-39100 [PB-3]	7600	0	6	6
Scientist Group IV (2)	10000-15200	15600-39100 [PB-3]	6600	- 0	6	6
Scientist Group IV (1)	8000-13500	15600-39100 [PB-3]	5400	0	12	12
Chief PAQA Officer	18400-22400	37400-67000 [PB-4]	10000	0	1	1
Chief Enforcement Officer	18400-22400	37400-67000 [PB-4]	10000	0	1	1
Chief Management Services Officer	18400-22400	37400-67000 [PB-4]	10000	0	1	1
	Sub Total			2	35	37
DIRECTORS						
Director (PAQA)	14300-18300	37400-67000 [PB-4]	8700	0	1	1
Director (Surveillance)	14300-18300	37400-67000 [PB-4]	8700	1		1
Director (Enforcement)	14300-18300	37400-67000 [PB-4]	8700	1		1
Director (Management Services)	14300-18300	37400-67000 [PB-4]	8700	1		1
Director (Codex Divison)	14300-18300	37400-67000 [PB-4]	8700	0	1	1
Zonal Director (04 Zones)	14300-400-18300	37400-67000 [PB-4]	8700	0	2	2
Zonal Director (New Delhi Zone)	14300-400-18300	37400-67000 [PB-4]	8700	1		1
	Sub Total			4	4	8
FINANCIAL ADVISOR						
Financial Advisor	14300-18300	37400-67000 [PB-4]	8700	0	1	1
	Sub Total			0	1	1
JOINT DIRECTORS						0
Joint Director (PAQA)	12000-16500	15600-39100 [PB-3]	7600	0		0
Joint Director (Enforcement)	12000-16500	15600-39100 [PB-3]	7600	0	1	1
Joint Director (Management)	12000-16500	15600-39100 [PB-3]	7600	0	2	2
Joint Director (F&A)	12000-16500	15600-39100 [PB-3]	7600	0	1	1



	Sub Total			0	1	1
Sr. Finance & Accounts Officer	10000-15200	15600-39100 [PB-2]	5400	0	1	1
SR. FINANCE & AC- COUNTS OFFICER						
	Sub Total			0	2	2
LAW OFFICER	8000-13500	15600-39100 [PB-3]	5400	0	2	2
	Sub Total		2	11	15	26
Assistant Director (New Delhi Zone)	8000-275-13500	15600-39100 [PB-3]	5400	1	2	3
Assistant Director(04 Zonal)	8000-275-13500	15600-39100 [PB-3]	5400	4	2	6
Assistant Director (Hindi)	8000-13500	15600-39100 [PB-3]	5400	0	1	1
Assistant Director (Codex)	8000-13500	15600-39100 [PB-3]	5400	1	1	2
Assistant Director (Vig.)	8000-13500	15600-39100 [PB-3]	5400	1	1	2
Assistant Director (Management)	8000-13500	15600-39100 [PB-3]	5400	2	4	6
Assistant Director (Enforcement)	8000-13500	15600-39100 [PB-3]	5400	1	1	2
Assistant Director (Surveillance)	8000-13500	15600-39100 [PB-3]	5400	1	1	2
Assistant Director (PAQA)	8000-13500	15600-39100 [PB-3]	5400	0	2	2
ASSISTANT DIRECTORs	Jul Iour					
Deputy Director (New Delhi Zone)	10000-325-15200 Sub Total	15600-39100 [PB-3]	6600	2 12	14	6 26
Deputy Director (04 zones)	10000-325-15200	13000-33100 [1-0-3]	0000	7	1	- 0
Deputy Director (Codex Divison)	10000-15200	15600-39100 [PB-3] 15600-39100 [PB-3]	6600	1 4	1 4	2
Deputy Director (Management)	10000-15200	15600-39100 [PB-3]	6600	2	2	4
Deputy Director (Enforcement)	10000-15200	15600-39100 [PB-3]	6600	1	1	2
Deputy Director (Surveillance)	10000-15200	15600-39100 [PB-3]	6600	1	1	2
Deputy Director (PAQA)	10000-15200	15600-39100 [PB-3]	6600	1	1	2
DEPUTY DIRECTOR						
zone)	12000-375-16500 Sub Total	15600-39100 [PB-3]	7600	1 1	8	9
Joint Director (04 Zonel of- fices) Joint Director (New Delhi	12000-375-16500	15600-39100 [PB-3]	7600	0	2	2
Joint Director (Vig.)	12000-16500	15600-39100 [PB-3]	7600	0	1	1

FINANCE & ACCOUNTS OFFICER						
Finance & Accounts Officer	8000-13500	15600-39100 [PB-2]	4800	0	3	3
Thurse division	Sub Total			0	3	3
SR. PRIVATE SECRETARY		±				
Sr. Private Secretary	8000-13500	15600-39100 [PB-2]	4800	2	1	3
	Sub Total			2	1	3

	Sub Total					
TO THE OF OPETA BY (BC)						0
PRIVATE SECRETARY (PS)						17 - 1
Private Secretary (PS)-FSSAI H.Q.	6500-10500	9300-34800 [PB-2]	4200	4	8	12
Private Secretary (PS)- 04 Zones	6500-10500	9300-34800 [PB-2]	4200	1	2	3
Zones	Sub Total			5	10	15
PERSONAL ASSISTANT						TE Y
Personal Assistant , FSSAI, H.Q.	5500-9000	9300-34800 [PB-2]	4200	0	15	15
	Sub Total			0	15	15
TECHNICAL OFFICER						
Technical Officer (FSSAI,H.Q.)	6500-10500	9300-34800 [PB-2]	4200	5		. 5
Technical Officer(04 Zones)	6500-10500	9300-34800 [PB-2]	4200		10	10
Technical Officer(New Delhi Zone)	6500-10500	9300-34800 [PB-2]	4200		5	5
	Sub Total			5	15	20
ADMN & ACCT. OFFICER						
Admin and Account Officer(04 Zones)	8000-275-13500	15600-39100 [PB-2]	4800	0	3	3
Admin and Account Officer (New Delhi Zone)	8000-275-13500	15600-39100 [PB-2]	4800	0	1	1
	Sub Total		4	0	4	4
ASSISTANTS						
Assistants -FSSAI,H.Q.	6500-10500	9300-34800 [PB-2]	4200	0	5	5
	Sub Total			0	5	5
PROJECT ASSOCIATES				7	. (1	10.0
Project Associates- FSSAI,H.Q.	To be taken on co Affairs	ontract basis as per int	ern scheme (of Departmer	it of Econ	omic
LIBRARIAN		Control of the Contro	7000		a	99
Librarian- FSSAI, H.Q.	6500-10500	9300-34800 [PB-2]	4200	0	1	7 -



	Sub Total			0	1	1
PEON(*)						
Peons, FSSAI, H.Q.	2650-4000	4440-7440 [-1S]	1650			
Peons (04 Zones)	2650-4000	4440-7440 [-1S]	1650			
Peons (New Delhi Zone)	2650-4000	4440-7440 [-1S]	1650	22		22
	Sub Total			22		22
(*) : alara - Cara - Cala - 1 : 1					Sub total	
(*) inclues Sweeper,Chowkid LABORATORY STAFF	ar, Grading Atten	dant, Peon, Darban			(A)	198
The Central Food Laboratory,	V-II					
Director		T .====================================				
	14300-18300	37400-67000 [PB-4]	8700	1		1
Jt. Director	12000-16500	15600-39100 [PB-3]	7600		1	1
Microbiologist	10000-15200	15600-39100 [PB-3]	6600	1		1
Chief Technical Officer	10000-15200	15600-39100 [PB-3]	6600	1	1	2
Dy. Director(Admn. & Fin)	10000-15200	15600-39100 [PB-3]	6600		1	1
Senior Account Officer	8000-13500	15600-39100 [PB-2]	5400		1	1
Senior Analyst	8000-13500	15600-39100 [PB-3]	5400	2	1	3
Pvt. Secretary	6500-12000	9300-34800[PB-2]	4200		1	1
Technical Officer/lecturer						
Junior Analyst (4) + Junior Analyst (Mircrobiologist) [1]	6500-10500	9300-34800 [PB-2]	4200	6	9	15
Account Assistant	6500-10500	9300-34800 [PB-2]	4200		1	1
Assistant	6500-10500	9300-34800 [PB-2]	4200		2	2
Senior Laboratory Assistant	4500-7000	5200-20200 [PB-1]	2800	4	1	5
Laboratory Assistant	3200-4900	5200-20200 [PB-1]	2000	8	2	10
LDC	3050-4590	5200-20200 [PB-1]	1900	1		
Store Keeper/LDC	3050-4590	5200-20200 [PB-1]	1900	1		1
Hindi Typist/LDC	3050-4590	5200-20200 [PB-1]	1900	1		1
			2700			1
Store Clerk	3050-4590	5200-20200 [PB-1]	1900	1		
Laboratory Attendant	2650-4000	4440-7440 [S-1]	1650	1		1
Peon	2550-3200	4440-7440 [S-1]		13		13
Durwan	2550-3200		1300	3		3
Watchman		4440-7440 [S-1]	1300	1		1
Sweeper	2550-3200	4440-7440 [S-1]	1300	2		2
Sweeper	2550-3200	4440-7440 [S-1]	1300	2		2
FRSL, Ghaziabad	Sub Total	* *		48	21	69
Director	14200 40200	D7400 (775)				
Succioi	14300-18300	37400-67000 [PB-4]	8700	1		1

Jt. Director	12000-16500	15600-39100 [PB-3]	7600			1	1
Chief Technical Officer	10000-15200	15600-39100 [PB-3]	6600	1			1
Microbiologist	10000-15200	15600-39100 [PB-3]	6600	1			1
Dy. Director(Admn. & Fin)	10000-15200	15600-39100 [PB-3]	6600			1	1
Senior Account Officer	8000-13500	15600-39100 [PB-2]	5400			1	1
Senior Analyst	8000-13500	15600-39100 [PB-3]	5400	2			2
Pvt. Secretary	6500-12000	9300-34800[PB-2]	4200		_	1	1
Junior Analyst/TO	6500-10500	9300-34800 [PB-2]	4200	4		11	15
Account Assistant	6500-10500	9300-34800 [PB-2]	4200			1	1
Assistant	6500-10500	9300-34800 [PB-2]	4200			2	2
Senior Laboratory Assistant	4500-7000	5200-20200 [PB-1]	2800	1		2	3
Laboratory Assistant	3200-4900	5200-20200 [PB-1]	2000	3			3
Lower Division Clerk	3050-4590	5200-20200 [PB-1]	1900	2			2
Driver	3050-4590	5200-20200 [PB-1]	1900	1			1
Laboratory Attendant	2650-4000	4440-7440 [S-1]	1650	6			6
Peon	2550-3200	4440-7440 [S-1]	1300	1			1
	Sub Total			23		20	43
Raxaul & Sonauli Laboratorie	es						
Senior Analyst	8000-13500	15600-39100 [PB-3]	5400	2			2
Junior Analyst	6500-10500	9300-34800 [PB-2]	4200	2			2
Lab Assistant	3200-4900	5200-20200 [PB-1]	2000	2	2		4
Assistant	6500-10500	9300-34800 [PB-2]	4200		2		2
Peon	2650-3200	4440-7440 [S-1]	1650				0
	Sub Total			6	4		10
Central Food Laboratory, Mu	mbai						0
Director	14300-18300	37400-67000 [PB-4]	8700	1			1
Jt. Director	12000-16500	15600-39100 [PB-3]	7600		1		1
Microbiologist/CTO	10000-15200	15600-39100 [PB-3]	6600	1	2		3
Dy. Director(Admn. & Fin)	10000-15200	15600-39100 [PB-3]	6600		1		1
Senior Analyst (GM Foods)	8000-13500	15600-39100 [PB-3]	5400	1	3		4
Senior Analyst	8000-13500	15600-39100 [PB-3]	5400	1		- 3	1
Sr. Account Officer	8000-13500	15600-39100 [PB-2]	5400		1		1
Pvt. Secretary	6500-12000	9300-34800[PB-2]	4200		1		1
Account Assistant	6500-10500	9300-34800 [PB-2]	4200		1		1



	G. Total (A)+ (B)				355
	TOTAL (B)					157
	Sub Total			10	25	35
Lab Assistant	3200-4900	5200-20200 [PB-1]	2000	4	2	6
Sr. Lab Assistant	4500-7000	5200-20200(PB-1)	2800		4	4
Junior Analyst (GM Foods)	6500-10500	9300-34800 [PB-2]	4200	1		1
Junior Analyst	6500-10500	9300-34800 [PB-2]	4200	1	8	9
Assistant	6500-10500	9300-34800 [PB-2]	4200		1	1

Parliament Matters, RTI Request, Court Cases

The parliament questions raised during the session of parliament were on adulteration, pesticide residues, FSS Rules, Laboratory Standards, Constitution of scientific panels etc. The replies were compiled and forwarded to ministry of Health.

Right to Information requests were compiled and replies submitted in a time bound manners by CPIO.CEO FSSAI is appellate authority at FSSAI for RTI matters.

Notices and replies to various court notices were handled throughGovernment counsel at various High courts



8. SAFETY OF IMPORTED FOOD



National Institute for Smart Government (NISG)Hyderabadwasengaged by FSSAI for conceptualization, design and implementation of an Food Import Clearance system(FICS.)to ensure that food imported into India, is safe.

NISG also helped FSSAI to operationalize Imported Food Clearance process at the following Sea and Air Ports.

- Chennai Sea and Air Port
- Mumbai Sea and Air Port Trust, Mumbai
- Jawaharlal Nehru Port Trust, NhavaSheva, Mumbai
- Kolkata Sea and Air Port Trust, Kolkata and
- Haldia Dock Complex, Purba, Mednipur, West Bengal
- New Delhi Air Port
- Tuglakabad Inland Container Depots(ICD), Dadri ICD-Delhi NCR

Annual Report 2010-11



FSSAI notified Authorized Officers u/s 47 (5), for Imported Food Clearance, A meeting at each location was held with the involvement of all stakeholders during the year.

The Import Food Safety process includes the following steps:

- 1. Sampling request from Custom House Agents
- 2. Sampling of food item according to its hazard
- 3. Submission of sample to laboratory for testing
- 4. Receipt of laboratory report
- Submission of No Objection Certificate (NOC) to customs for clearance of food import.

9. Information Education Communication (IEC)

(i) Awareness & Communication:-

Advertisements on Food Safety- PAN India

A more nuanced Strategy of Communication wasadapted after detailed discussions with other stakeholders,. FSSAI through its empanelled agencies could finalize and release of Print Media advertisement in multilingual mode across all the country. Pamphlets, Brochures on FSSAI, and similar literature were designed and distributed.

MOU signed with DAVP for design, produce and release of TV spots at various TV channels on issues related to Food Safety and General Hygiene.

Radio jingles on A.I.R. (PanIndia)

The Radio Jingles so finalized were broadcast on FM Gold and other channels of All India Radiowhich made significant impact during the ICC World Cup Cricket 2011.

Feature Programme on Doordarshan-"Kalyani" I

MOU signed with Doordarshan for 6 episodes of 30 minutes "Kalyani Program" on Food Safety to be telecasted through 8 regional Doordarshanstations, Lucknow, Bhopal, Jaipur, Raipur, Ranchi, Guwahati, Bhubneshwar Patna.

Awareness generation amongst cross—section of population and identification of target audience for Food Safety issues has been focal point of Communication strategy. However a more issue based awareness campaign is under preparation which shall incorporate awareness about the new Food Rules and Regulations, the aspects of Enforcement processes, Standards, Labelling, Surveillance, Food Recall. Improvement notices for general awareness about the new Food Laws and their regulations. The awareness campaign will beon multilingual and multimedia format byinvolvement of NGO, media resource person's trade bodies and industry association etc.



(ii) Information Technology and Library Services:-

All works of Authority are now on electronic modes. Digitization of old records related to FPO,PFA, hoisting of FSSAI website on NIC Data centre. Servers maintained at NIC centre. FS-SAI Data Recovery Centre at NIC premises, is under finalization. Security audit and e- office training and implementation by NIC team.

Software support for Imported Food clearance by NISG through in house agency M/s Logic-soft. The central licensing software design and development is under consideration and if found workable, could be integrated with inputs from states.

All FSSAI offices including at Ports including sea ports, laboratory are 100% IT enabled with modern computers and printing/reprographic devises. Once fully operational and trained, all employee will have access to e-office.

Food Safety Commissioner reporting system has been designed inhouse.

Library Services- Peridical and relevant journals on Food Technology, Food safety, etc are available at the library. All important volumes of publications are available at FDA Bhawan library, Delhi.

FSSAI has taken Institutional membership with American Centre, and British council Library Membership of DELNET (Delhi Library Net work) for reference and issue of books, journal for employees. Minutes of meeting, copies of rules regulations, notifications, career advertisements, newsletters, reports of panels and scientific committee, RFD, Training modules, and media related documents are also kept at the library for reference.



10. Result Framework Document (RFD-2010-11):-

RFD for 2011-11 identified action points, deliverable and milestones. It included standards of service delivery.

SEVOTTAM Project:

The Vision, Mission document and other service delivery document of the authority were discussed and draft was circulated for consultation. Upon finalization it shall be the Citizen Charter of the Authority.

Vision:

A Food Safety System of India which ensures full participation of the government, private & public institutions and organizations, food business operators, consumers and other stakeholders in the process of building and maintaining the confidence that the food available to the consumers is safe, wholesome and adheres to the highest international standards.

Mission:

The Authority will work with stakeholders to build and maintain at acceptable levels of reliability, an effective food regulatory and monitoring system using modern science & technology and provide science-based information to the stakeholders to make choices relating to food and to lead a healthy and productive lives.

Objectives:

- Transition from PFA and other orders to FSS Act
- Strengthening food safety regulation in the States
- Strengthening of Food Testing Laboratories facilities
- Review of existing food standards and developing new standards
- Food Safety Surveillance
- Training and capacity building for regulatory staff/ stakeholders



- Establishing the structure of the Authority
- Communication campaign on food safety
- Research and Development

Functions laid down under the Act:

- Framing of Regulations, Standards and guidelines in relation to articles of food
- Guidelines for accreditation of certification bodies / Laboratories
- Scientific advice and technical support to the Central Government and State Governments in matters of framing the policy and rules in areas related to food safety and nutrition
- Collect and collate data on food consumption, Incidence and Prevalence of biological risk,
 Contaminants in food, Residues of contaminants in food and introduction of rapid alert
 system
- Procedure and guidelines for Risk Analysis methodologies
- Creating Information Dissemination Network across the country about food safety
- Capacity Building for various stakeholders
- Contribute to development of International Technical Standards for food and harmonize national standards to the extent possible.
- Promote general awareness about Food Safety and Food Standards

Inter-se Priorities among key objectives and Success Indicators

S r.	Objective	Weight		Actions	Success Indicators	Unit	Weight		Targe	Target/Criteria Value	lue	
No.								Excellent	Very Good	Good	Fair	Poor
								100%	%06	%08	%02	%09
1:	Transition from PFA	16.00	a)	Notification of FSS Rules and Regulations	Send draft Rules to Ministry for notification	Date	4.00	30.10.2010	30.11.2010	31.12.2010	31.01.2011	28.02.2011
	and other				Notification of Regula- tions	Date	4.00	31.01.2011	14.02.2011	28.02.2011	15.03.2011	31.03.2011
	FSS Act		9	Initiate transition to the new system of licensing	Finalize framework and guidelines	Date	5.00	31.01.2011	14.02.2011	28.02.2011	15.03.2011	31.03.2011
			ত	Notification of the remaining sections of the Act to enable FSSAI to take up various functions	Notification of sections	Date	3.00	31.12.2010	17.01.2011	31.01.2011	14.02.2011	28.02.2011
2	Strength- ening food safety reg- ulation in	14.00	a)	Developing framework of the scheme for strengthening food safety regulations in states	Finalize scheme after review of existing schemes and consultation with states	Date	4.00	05.03.2011	12.03.2011	19.03.2011	26.03.2011	31.03.2011
	the States		p)	Food Safety Management System (FSMS) and compliance arrange-	Prepare drafts/ Start Consultation on Drafts	Date	3.00	31.12.2010	17.01.2011	31.01.2011	14.02.2011	28.02.2011
					Finalize documents on FSMS	Date	2.00	05.03.2011	12.03.2011	19.03.2011	26.03.2011	31.03.2011
			ତ	INDIA-HACCP/ accreditation arrangements	Prepare draft / Start Consultation on Draft	Date	3.00	31.12.2010	17.01.2011	31.01.2011	14.02.2011	28.02.2011
					Finalize INDIA-HACCP	Date	2.00	05.03.2011	12.03.2011	19.03.2011	26.03.2011	31.03.2011
6.	Strength- ening Food	13.00	a	Identification of Public food Labs	Identification of public labs	Date	2.00	31.12.2010	17.01.2011	31.01.2011	14.02.2011	28.02.2011
	Testing Laborato- ries facili- ties		Q	Notify food labs /finalise standard and initiate up-gradation of identified laboratories in the States over a period of two years.	Finalize MOU to be signed with States	Date	4.00	05.03.2011	12.03.2011	19.03.2011	26.03.2011	31.03.2011
			ਹ	Notification of food testing laboratories under section 43 of the Act	Finalize draft notification	Date	3.00	05.03.2011	12.03.2011	19.03.2011	26.03.2011	31.03.2011
			ਓ	Notify procedure for referral laboratories and arrangements for audit/certification	Notify referral labs/ & Finalize Auditing/ Certification arrangements for notification	Date	2.00	05.03.2011	12.03.2011	19.03.2011	26.03.2011	31.03.2011
			©	Notify food testing laboratories for testing food imports	Notify laboratories and jurisdiction	Date	2.00	05.03.2011	12.03.2011	19.03.2011	26.03.2011	31.03.2011



							, 1										_	
28.02.2011	31.12.2010	29.01.2011	31.03.2011	28.02.2011	28.02.2011	31.03.2011	31.03.2011	29.01.2011	31.03.2011	31.03.2011	31.03.2011	31.03.2011	31.03.2011	28.02.2011	31.03.2011	28.02.2011	28.02.2011	31.03.2011
14.02.2011	15.12.2010	22.01.2011	26.03.2011	14.02.2011	21.02.2011	26.03.2011	26.03.2011	22.01.2011	26.03.2011	15.03.2011	15.03.2011	26.03.2011	26.03.2011	14.02.2011	26.03.2011	14.02.2011	14.02.2011	26.03.2011
31.01.2011	30.11.2010	15.01.2011	19.03.2011	31.01.2011	14.02.2011	19.03.2011	19,03.2011	15.01.2011	19.03.2011	28.02.2011	28.02.2011	19.03.2011	19.03.2011	31.01.2011	19.03.2011	31.01.2011	31.01.2011	19.03.2011
17.01.2011	15.11.2010	08.01.2011	12.03.2011	17.01.2011	07.02.2011	12.03.2011	12.03.2011	08.01.2011	12.03.2011	14.02.2011	14.02.2011	12.03.2011	12.03.2011	17.01.2011	12.03.2011	17.01.2011	17.01.2011	12.03.2011
31.12.2010	30.10.2010	01.01.2011	05.03.2011	31.12.2010	01.02.2011	05.03.2011	05.03.2011	31.12.2010	05.03.2011	31.01.2011	31.01.2011	05.03.2011	05.03.2011	31.12.2010	05.03.2011	31.12.2010	31.12.2010	05.03.2011
1.00	1.00	1.00	1.00	0.40	0.40	0.20	1.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	3.00.	1.00	1.00
Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date
Finalize procedure for standards revision	Preparation of final draft regulations	Scientific Opinion from Scientific Panel/ Commit- tee and approval of Food Authority	Finalize Regulations by FSSAI	Preparation of final draft regulations	Scientific Opinion from Scientific Panel/ Commit- tee and approval of Food Authority	Finalize Regulations	Draft guidelines - Consultation - Final guidelines	Draft standards / Start consultation on draft	Finalize recommenda- tions	Finalize recommenda- tions	Draft Regulations	Start Consultation	Draft-Consultation-Guidelines	Identify committees and relevant issues – prepare country positions - on going process-	Identify institutions – Surveillance framework	Take up surveillance at five main ports of entry	Draft guidelines & Action Plan	MOU with identified Centres of Excellence
Develop procedures for revision of standards	Developing new regulations for functional foods, dietary supplements etc.			Review of the current structure of food additives			Building capacity for safety evaluation/regulation of GM food	Developing standards for potable water, revision of standards for bottled	water	Recommending standards for trans fatty acids to the Government	Labelling and Claims regulations	0	Guidelines for safety of food served in schools	Participation in Codex Alimentarius Commission meetings	Creating a network of institutions/ Food Safety Centres to carry out food surveillance	Putting in place food safety groups at five major ports	Milk safety action plan in collaboration with the States/ Centre of Excellence in Milk	
a)	(q			0		Ī	ਉ	(e)		(J	(8	ò	त्	Û	a a	p)	ত	
12.00															00.6			
Review of 1 existing	food stan- dards and	aevelop- ing new standards						*							Food Safe- ty Surveil- lance			
4,															rç,			
							1//											

CT.	ing and capacity building for regula-	stakehold- ers					Establish-	ing the	of the Au-	Commu- nication	campaign on food	()		Research and Devel-	opment
8.00					00.9			5.00				4.00			
a)	9	ত	ਚੌ	ê	(j		a)		P)	a)	(q	ত	ਓ	a)	P P
Finalize training policy for FSSAI	Orientation programme for Food Safety Commissioners/Food Safety Officers	Orientation Programme for Designated Officers & Adjudicating Officers	Collaboration with the IGNOU in finalizing training module for house-wives and school children	Work with the Indian Institute of Public Health to develop training material for regulatory staff and food handlers.	Conduct exam for Food Analysts and	review existing curriculum	Creation of posts and start the process	of recruitment	Establish the regional offices	Draw up a communication strategy	Launch a communication campaign to disseminate food safety messages	Evolve a scheme to associate NGOs and other citizen organisations in food safety	Develop industry interface for dissemination and capacity building	Launch the first tranche of R&D projects to be awarded competitively.	Identify Centres of Excellence to assist FSSAI in critical areas, carryout R&D and technical inputs in standard formulation.
Training Policy	Develop background training material & Complete training programmes for FSOs	Develop training material & conduct training programme in association with States where DOs and AOs have been appoint ed.	Finalise project	Conclude MoU with IIPH	Conduct Exam	Review curriculum for food analysts	Post creation	Finalize recruitment rules	Establish offices at identified locations	Finalize Communication Strategy	Design campaign – Launch	Finalize the scheme	Finalise interface arrangements	Finalise programme – Identify projects	Identify centres – Finalize format for the agreement
Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date
1.00	1.00	1.00	1.50	1.50	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00
31.12.2010	30.09.2010	05.03.2011	31.12.2010	30.10.2010	31.12.2010	05.03.2011	30.10.2010	05.03.2011	30.10.2010	31.12.2010	31.12.2010	31.12.2010	05.03.2011	05.03.2011	05.03.2011
17.01.2011	30.10.2010	12.03.2011	17.01.2011	30.11.2010	17.01.2011	12.03.2011	15.11.2010	12.03.2011	30.11.2010	17.01.2011	17.01.2011	17.01.2011	12.03.2011	12.03.2011	12.03.2011
31.01.2011	30.11.2010	19.03.2011	31.01.2011	31.12.2011	31.01.2011	19.03.2011	30.11.2010	19.03.2011	31.12.2011	31.01.2011	31.01.2011	31.01.2011	19.03.2011	19.03.2011	19.03.2011
14.02.2011	31.11.2010	26.03.2011	14.02.2011	31.01.2011	14.02.2011	26.03.2011	15.12.2010	26.03.2011	31.01.2011	14.02.2011	14.02.2011	14.02.2011	26.03.2011	26.03.2011	26.03.2011
28.02.2011	31.12.2010	31.03.2011	28.02.2011	28.02.2011	28.02.2011	31.03.2011	31.12.2010	31.03.2011	28.02.2011	28.02.2011	28.02.2011	28.02.2011	31.03.2011	31.03.2011	31.03.2011



	1											
11 3 2010		6.5.2011	31.12.2010	80	25.01.2011	25.01.2011	80	08	09	09	09	09
1032010		5.5.2011	24.12.2010	82	20.01.2011	20.01.2011	85	85	70	70	70	02
010000	2.3.2010	4.5. 2011	20.12.2010	06	14.01.2011	14.01.2011	96	06	08	08	08	08
0,0000	0.3.2010	3.5.2011	15.12.2010	95	10.01.2011	10.01.2011	95	92	06	06	06	06
0 70 0	5.3.2010	2.5.2011	10.12.2010	100	30.12.2010	30.12.2010	100	100	100	100	100	100
0	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50
	Date	Date	Date	%	Date	Date	%	%	%	%	%	%
T	On time submission	On time submission	Finalize strategic plan for next 5 years	Percentage of Offices covered	Sevottam com- stem to imple- nonitor and re-	Create a Sevottam compliant system to redress and monitor public grievances	Independent Audit of Implementation of citi- zen's charter	Independent Audit of implementation of pub- lic grievance redressal system	Percentage of ATNs submitted within due date (4 months) from date of presentation of Report to Parliament by CAG during the year.	Percentage of ATRs submitted within due date (6 months) from date of presentation of Reports to Parliament by PAC during the year.	Percentage of outstanding ATNs disposed off during the year.	Percentage of outstanding ATRs disposed off during the year.
-	Timely submission of draft for approval	of re-	Finalize a strategic plan	Develop RFDs for all sub- ordinate Offices	Implementation of Sevot-				Timely submission of AINS on Audit Paras of C&AG	Timely submission of ATRs to the PAC Sectt. On PAC Reports	Early disposal of pending ATNs on Audit Paras of C&AG Reports presented to Parliament before 31.03.2010	Early disposal of pending ATRs on PAC Reports presented to Parliament before 31.03.2010
	5.00			00.9					2.00			
	Efficient functioning of RFD system			Improving internal	9 5		× 5		Ensuring compliance to the Financial Accountability			
2.	v-	*		*	R 29 10			71 1	*			k -

* Mandatory Objective (s)

Annual Report 2010-11

Trend Values of the Success Indicators

Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) was established in 2008 and still is in the process of developing regulatory framework for food sector. From the section 2 above, it may be seen that most of the objectives and corresponding actions requires development of rules, regulations and guidelines. As such, indicating the trend values for the success indicators in terms of activities of FSSAI at this stage may not be practically possible. The FSSAI proposes to benchmark current levels of food safety and regulation at central, state and lower levels through a series of surveys, studies etc. This will enable us to determine the base level of food safety regulations and outline the separate targets in each area.

The communication of RFD framework was received from government on 25.06.2010. The finalisation of the RFD document was completed by 11.08.2010. Activities which spill over until next year have been indicated separately with the likely completion rate by March 2011.

Description and Definition of Success Indicators and Proposed Measurement Methodology

- Food Safety and Standards Authority was constituted in September 2008 and the first meeting of the Authority was held in December, 2008. 8 Scientific Panels and Scientific Committee were constituted in May 2009. Central Advisory Committee of 45 Members was set up in October 2009.
- Staff belonging to various food related orders has been integrated and the current licensing
 procedures have been brought under the purview of FSSAI. The regional offices have also
 been transferred to the new Authority. The Scientific Panels and Scientific Committee have
 also started operations.
- 3. The Rules and Regulations for transition from PFA to FSSA have been finalised after extensive consultations and forwarded to the Ministry for notification. It is expected that these will be rolled out in the States from September 2010 onwards. Meetings have been held with States to take stock of the readiness of the implementation of Act and the supporting measures required.
- It will be seen that in the first year Authority has been engaged in integrating the personnel from various ministries and setting up of various organs of the Authority. Systems and procedures have also been finalised for functioning of the Authority and these have received the approval of the Government. The additional scientific staff required for functioning of the Authority will be recruited as soon as the requisite number of posts are sanctioned by



the Government. Proposals in this regard have already been finalised and are being considered by the Ministry of Finance.

5. At present Authority is accessing scientific skills from a large number of agencies outside the Authority and the stakeholders. One of the main difficulties in laying down specific performance parameters for the Authority is the severe lack of information relating to critical para-meters such as, food borne diseases, specific levels of contamination in various foods, awareness of food safety among the stakeholders and the absence of surveys and studies, bench marking impact of the current levels of food safety regulations. The Food Authority proposes to draw up a detailed set of surveys to profile and bench mark the current levels of food safety regulations and implementation of laws, contamination of various food items, food safety surveillance and impact of various regulatory measures. Till these data emerge in the next few years, it may not be possible to lay down any specific target in respect of success parameters.

The first 2-3 years of the Authority would be spent in establishing its regulatory presence by drawing up the various food safety regulations, revision of the current standards, initiating studies and surveys to access the current levels of effectiveness of various food laws and levels of contamination. These are expected to be initiated during the current year. As soon as reliable and adequately disaggregated data emerge related to food safety regulations, food contamination and regulatory impact, these will be incorporated in the performance management documents of the Authority.

Glossary of Terms

Food Safety Plan- refers to scheme, program or methods identifying action areas and responsibilities worked out for the accomplishment of objective of food safety in a particular locality viz. panchayat, taluka, municipality or district. This is expected to involve the village/town community, local bodies, panchayats and other stakeholders in the food safety programme.

Food Safety Management System (FSMS) - means the adoption of Good Manufacturing Practices (GMP), Good Hygienic Practices (GHP), Hazard Analysis and Critical Control Point and such other practices as may be specified by regulation, for the food business. FSSAI will develop a reference Food Safety Management System which can prescribe levels of safety and provide guidance and which can at the same time, be evaluated. Such a standard should be widely available to the food business operators who can adopt them with whatever resources available and gradually achieve acceptable levels of safety. This will encourage self compliance and reduces the

need for detailed inspections.

INDIA-HACCP- Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) - The Codex has defined HACCP guidelines which was the first published food safety management system. However, there are no freely available domestic HACCP standards. FSSAI proposes to develop its own FSSAI-India-HACCP standard which can be offered to units catering to the domestic market and a voluntary HACCP certification system against this standard. This can be used by food businesses to demonstrate compliance with safety regulations.

Functional Foods- are those foods that encompass potentially healthful products including any modified food or ingredient that may provide a health benefit beyond the traditional nutrients it contains. FSSAI is working on developing regulations for functional foods. Currently there are no regulations for functional foods.

Food Additives- mean any substance used as a typical ingredient of the food and intentionally added to food for a technological purpose in the manufacture, processing, preparation, treatment, packing, packaging, transport etc. FSSAI will review the existing standards for food additives under PFA Act to harmonise with codex standards and best practice.

Capacity Building for safety assessment of GM foods- Food Authority has to regulate all genetically modified foods in terms of FSS Act. As an interim arrangement till final regulatory framework is ready for GM foods, FSSAI proposes to create capabilities to undertake safety assessment of GM foods as and when the relevant sections are notified by government.

Trans fatty acids- Trans fatty acids (TFAs) are primarily associated with Vanaspati during the process of partial hydrogenation that affects is a significant component of Indian diet. TFAs links with diabetes and Cardiovascular Diseases (CVDs) is well established. Keeping in view the risks involved, FSSAI proposes to come out with regulatory standards for TFAs.

Centres of Excellence- A centre of excellence is an existing institute where research and technological development is performed of a high standard, in terms of measurable scientific output (including training) and/or technological innovation. FSSAI proposes to have a framework agreement with Centres of Excellence in the country on various aspects related to food science to assist FSSAI in critical areas, carryout R&D and provide technical inputs in developing science based standards.

Network of Institutions for Surveillance- FSSAI proposes to have a framework for food safety surveillance, initially capturing the existing databases, coordination & networking among various institutions involved. This may include existing food science colleges, universities and other



institutions. FSSAI is developing an appropriate structure of food safety surveillance so as to advise government on the appropriate responses required and provide inputs on communicating market conditions and safety levels.

Food Safety Groups for Import- FSSAI will be posting Authorized Officers at all the major ports of the country in a phased manner to ensure the safety of imported food coming into India and developing a risk analysis framework for food import clearance process.

Codex Alimentarious Commission- The Codex Alimentarius Commission was created in 1963 by FAO and WHO to develop food standards, guidelines and related texts such as codes of practice with the objective of protecting health of the consumers and ensuring fair trade practices in the food trade, and promoting coordination of all food standards work undertaken by international governmental and non-governmental organizations. National Codex Contact Point (NCCP) is now in FSSAI. The FSSAI is strengthening codex cell in terms of infrastructure, manpower, sufficient budgetary provision so as to ensure effective participation in codex issues.

IGNOU- Indira Gandhi National Open University (IGNOU) is an Apex Body which co-ordinates and monitors distance education system throughout the country. It develops and produces courses for delivery through open learning and distance education mode and actively involved in research, training and extension education activities. FSSAI proposes to take help of IGNOU's expertise in launching distance training programmes to disseminate the concept of food safety upto grass root level.

Indian Institute of Public Health- IIPH - Hyderabad is the premier institute involved in building capacity in public health using the pool of highly qualified and diverse faculty of nationally and internationally trained public health professionals. FSSAI proposes to work with IIPH in its capacity building programme of food safety regulators and food handlers.

Accreditation – is the third party attestation related to a conformity assessment body conveying formal demonstration of its competence to carry out specific conformity assessment tasks. In India, Quality Council of India (QCI) is the main Accreditation Body for accrediting agencies for certification schemes for food safety and National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) for food laboratories.

Communication Campaign- The food safety message needs to be effectively conveyed to various stakeholders such as panchayats, school children, households and industry. This is essential to build the demand for safe food and encourage steps by all concerned to take the required steps. Food safety is a multi-stakeholder activity which requires effective and focussed communication.

NGOs- Consumer is the main stakeholder in food safety and the activities of FSSAI have to be evaluated with reference to the effectiveness in assuring safety of food available to the consumer, effective association of consumers in standard development, capacity building, surveillance and informed choice.

Industry Interface- the FSS Act specifies that the primary responsibility for safety is on the food business operators. Keeping in view this FSSAI proposes to develop Industry Interface framework for dissemination of concept of food safety and capacity building to achieve the food safety.

R&D- Research & Development: with the mandate of laying down science based standards for food, FSSAI proposes to support research projects and related innovative R&D proposals pertaining to food safety and quality control by extending financial assistance to various institutions/Universities and recognized R&D laboratories.

Procedure for revision of standards: Under the law FSSAI is expected to undertake risk assessment and public consultation before it forwards its recommendation to government. Draft proposals and the risk assessment reports have to be approved by the concerned Scientific Panel and Scientific Committee before they are approved by the Authority. Since in most cases trade is involved, notification under WTO is mandatory with a period of public consultation. The drafts once finalized, are sent to Ministry of Health & Family Welfare for notification. The Ministry notifies the draft again for public comments and thereafter, sends it for notification in the gazette.

Specific Requirements from other Departments and Ministries

Notification of the remaining Articles of the Act

1. The various sections of the Food Safety and Standards Act are required to be notified by the Ministry of Health & Family Welfare before appropriate rules and regulations are drawn up. The rules and regulations with respect to transition from PFA and other food related orders to FSSA have been sent to the Ministry in May 2010. This includes regulations relating to licensing which integrate the existing licensing provisions under the various orders into a single format. These rules and regulations have been drafted after extensive consultations with the stakeholders and making available the draft on the portal. Enabling notifications are required before the relevant rules and regulations are taken up.

Sanctioning of posts

A total of 250 posts have been brought within the purview of Food Authority from staff administering the various food related orders in the Ministry of Food Processing Industries,



Ministry of Health & F.W., Department of Animal Husbandry and, Department of Food and Public Distribution. These are the staff which have been administering the various orders and come from technical background of various disciplines. Under the Food Safety and Standards Act, the Food Authority is required to perform a number of new functions, such as, food safety surveillance, risk assessment, regulation of genetically modified food, preparation of food safety plans, food testing in laboratories, harmonisation of food standards with the international norms etc. These additional functions require expertise in a range of disciplines which are not presently available with the Authority. On the basis of experience of other Food Authorities and a review of the scientific skills required, Food Authority has drawn up a minimum requirement of posts and submitted to the Ministry. These are now under consideration of the Ministry of Finance. Approval for the required number of 150 posts is essential to enable the Authority to take up the full range of its functions as expected in the Act.

Adequate budget allocation

3. The budget allocation for the year 2009-10 was in the range of Rs.10 crores. For the year 2010-11, Authority had projected Rs.60 crores. This is likely to go up substantially in the coming years. Provision of adequate budgetary support by the Ministry would be essential for the performance of the functions by the Authority.

Working with the State Governments to ensure effective implementation of food safety laws

Food related laws are implemented by the Central Government, State Governments and the local bodies. While standards are determined by the Food Authority, implementation essentially rests with the State Governments. Under the new licensing provisions, sub sectors with the high risk potential or those with interstate ramifications will continue to be licensed and regulated by the Food Authority. However, the major part of food regulation will be within the purview of municipalities, panchayats and the State Governments. State Governments are required to notify the staff required for the implementation of the Food Safety and Standards Act. They will have to fill up the existing vacancies and also enable the food testing laboratories to upgrade themselves to take up food testing more reliably. Activities such as, food surveillance, sampling, prosecution cases etc. are also required to be performed by the State Governments. The existing levels of implementation of food laws vary from State to State, depending on the priorities attached to them, the resources made available and the leadership provided. The contribution of the State Governments and the local bodies will be critical to the effective implementation of the food laws in the country.

11. Advisories Issued

Advisories Issued (including issued to States under PFA rules)

The existing Actsand Centralorders on Food are being implemented at States and union territories.

The various ministries and departments which have data on scientific research also provided help to FSSAI in overall management of the Food Laws during the year. The PFA Wing in Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi was earlier issuing advisories to states and Union territories about adulteration, contaminations etc related to Food and the same were also reviewed from time to time.

Advisories were also issued by FSSAI, during the year as a special effort about various on going issues, including the radiation in Food after the Tsunami and radiation leak in Japan as well as contaminants of milk and milk products imported from china.

The advisories were based on inputs from panel as well as research on the subject..

- (i) Antibiotics in Honey.
- (ii) Prohibition of use of Carbide Gas for ripening of food.
- (iii) Quality Control of packaged drinking water under PFA rules.
- (iv) Misleading claims for food and beverages on T.V. and other media.
- (v) Sale of vegetable injected with hazardous chemicals & colouring of vegetables.
- (vi) Products containing in Steroid/like substances marketed as dietary supplement.
- (vii) Adulteration of Imported edible oil at ports.
- (viii) Monitoring on pesticides residues in foods.
- (ix) Analysis of Cinnamon and Cassia samples.



ACCOUNTS

FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA BALANCE SHEET FOR THE YEAR ENDED 31.03.11

	Schedules	2010-11	2009-10
		₹	₹
Corpus/Capital Fund & Liabilities	_ = = = =		
Corpus/Capital Fund	1	5,93,02,240	7,71,70,934
Reserves & Surplus	2	- 1	-
Earmarked/Endowment Fund	3		=
Secured Loans & Borrowings	4	-	-
Unsecured Loans & Borrowings	5	:-	
Deffered Credit Liabilities	6	-	Tage 12 Tag
Current Liabilities & Provisions	7	1,10,46,809	1,52,56,504
Total		7,03,49,049	9,24,27,438
		u* *	
Assets			
Fixed Assets	8	1,45,20,205	1,11,47,456
Investment- from earmarked /endowment fund	9		
Investment- Others	10		
Current Assets, Loans & Advances etc.	11	5,58,28,844	8,12,79,982
Misc. Expenditures		-	
(Excess of Expenditure Over Income)			
Total		7,03,49,049	9,24,27,438

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 24
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNT 25

FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA Income & Expenditure Account for the year ended 31.03.2011

Incomes	Schedules	2010-11	2009-10
		₹	₹
Income from Sale & Services	12		
Grants/ Subsidy	13	32,37,00,000	21,00,00,000
Fees/ Subscriptions	14	-	-
Income From Investments	15		-
Income From Royalty, Publications	16		-
Interest Earned	17	9,90,147	9,00,022
Other Incomes	18	55,11,901	40,57,497
Increase/Decrease in Stock	19		
Total Income Before Prior Period Income		33,02,02,048	21,49,57,519
Prior period Income		6,94,201	26,070
Total Income After Prior Period Income		33,08,96,249	21,49,83,589
Expenditures			
Establishment Expenses	20	8,36,77,855	6,21,80,898
Other Administrative Expenses	21	25,21,81,242	10,39,82,613
Expenditure on Grants, Subscriptions etc	22	90,00,000	1,15,00,000
Interest	23	15,633	10,262
Depreciation		35,90,998	35,74,366
Total Expenditure Before Prior Period Expense		34,84,65,728	18,12,48,139
Prior Period Expense		2,99,215	45,88,465
Total Expenditure After Prior Period Expense		34,87,64,943	18,58,36,604
Income over Expenditure/(Expenditure Over Income)		(1,78,68,694)	3,37,09,380
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNT	25		



FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA Schedules forming part of Balance Sheet as at 31.03.2011

	2010-11	2009-10
Schedule 1:- Corpus/Capital Fund:	₹	₹
Balance at the beginning of year	7,71,70,934	4,80,23,949
Add: Contribution towards corpus/capital fund	0	
Add (Deduct): Balance of net income/(expenditure)	(1,78,68,694.04)	2,91,46,985
transferred from Income & Expenditure A/c		
Balance as at year end:-	5,93,02,240	7,71,70,934
Schedule 2:- Reserves & Surplus:	Current Year	Previous Year
otherwise 2. Reserves de Surpans.		
1. Capital Reserves:		
As per last Account	0	
Add: Addition during the year	0	
Less: Deduction during the year	0	-
Less. Deduction during the year		
2. Revaluation Reserves:		
As per last Accout	0	
Add: Addition during the year	0	
Less: Deduction during the year	0	-
3. Special Reserves		
As per last Accout	0	
Add: Addition during the year	0	
Less: Deduction during the year	0	
4. General Reserves*		
As per last Accout		+
Add: Addition during the year	7:	
Less: Deduction during the year		
Balance as at year end:		7
Schedule 3:- Earmarked/Endowment Fund:	Current Year	Previous Year
10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	-
a) Opening balance of the funds	0	1
b) Additions to the funds:	0	
i) Donations/grants	0	
ii) Income from investment made on account of funds	0	
iii) Other additions		1 - 1
Total (a+b)		
c) Utilisations/Expenditures towards objective of funds	0	-
i) Capital Expenditure	0	-
- Fixed Assets	0	-
- Others	0	
Total	0	
ii) Revenue Expenditures	0	
- Salaries, Wages & Allowances etc.	0	
- Rent	0	
- Other Administrative Expenses	0	1
Total		-
Total (c)	0	-

FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA Schedules forming part of Balance Sheet as at 31.03.2011

Schedule 4:- Secured Loans & Borrowings:	Current Year	Previous Year
1. Central Government	0	
2. State Government	0	
3. Financial Institutions:	0	
a) Terms Loans	0	-
b) Interest accrued thereon	0	
4. Banks:		
a) Terms Loans	0	
b) Interest accrued & due thereon	0	-
5. Other Institutions & Agencies	0	
6. Debentures & Bonds	0	
7. Others	0	
7. Otters		
Net Balance as at year end	0	
Schedule 5:- Unsecured Loans & Borrowings:	Current Year	Previous Year
1. Central Government	0	
2. State Government	0	
3. Financial Institutions:	0	100
4. Banks:		
a) Terms Loans	0	141-12
b) Others	0	
5. Other Institutions & Agencies	0	
6. Debentures & Bonds	0	
7. Fixed Deposits	0	
8. Others	0	
Net Balance as at year end	0	
Schedule 6:- Deffered Credit Liabilities	Current Year	Previous Yea
a) A secretary or consisted by hymothesection of conital	0	
a) Acceptance secured by hypothecation of capital	0	
equipments and other assets b) Others	0	
o) Onicia	0	
Net Balance as at year end	0	
iver barance as at year end	0	





FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA Schedules forming part of Balance Sheet as at 31.03.2011

and the contract of the contra	Current Year	Previous Year
Schedule 7:- Current Liabilities & Provisions:		
A. Current Liabilities:	0	-
1. Acceptances		
2. Sundry Creditors	60,73,150	32,92,206
- For Goods/Services	15,55,235	95,93,700
- Expenses Payable	5,90,000	35,000
3. Advance Received	5/,5/55	
4. Interest accrued but not due on:	0	
- Secured Loans/Borrowings	0	
- Unsecured Loans/Borrowings		
5. Statutory liabilities:	0	
a) Overdue	13,61,770	20,76,265
b) TDS Payable	5,25,703	2,58,183
c) CPF Payable	0	1,150
d) professional tax	9,40,951	-
e) Stale Cheques		
	1,10,46,809	1,52,56,504
Total (A)	2/2-1/	
B. Provisions:	0	
1. For taxations	0	
2. Gratuity	0	
3. Superannuation/ Pension	0	
4. Accumulated Leave Encashment	0	
5. Trade Warranties/Claims	0	
6. Others	0	-
Total (B) Net Balance as at year end (A+ B)	1,10,46,809	1,52,56,504

FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA Schedule Forming part of Balance Sheet as on 31.03,2011:-

Particulars				Gross Block										
Particulars		Balaince as on	Addition unto	Addition after			On Onening Ralanca				Depreciation		Net	Net Block
		01.04.2010	30.09.2010	30.09.2010	Sale	Total	Supra Sumado no	30.09 2010	an no anno	As on	During the Year	Total as on	As on 31,03,2011	As on 31.03.
Land:-										01.02:20.10		31.03.2011		22
a) Freehold		*			3									
b) Leasehold	,							*	8	•	,	3/6	3	
Building-		-									9		2	
a) On Freehold Land	•										**	•	•	
b) On Leasehold Land									1	v			24	
c) Ownership Flats/Premies		37.									5			
d) Superstructure on Land											20		***	
not belonging to entity.		,							*			,	*	
Plant, Machinery & Equipments											-		320	
Lab Equipments	15%		70 054			07.00					4 1			
Water Pipeline	761		H00167			4,93,169		11,858	31,059		42,917	42,917	4,50,251	
	44.70			12,35,000		12,35,000	3.00	(#E)	92,625	*	92,625	92,625	11,42,375	
Vohiclee, Ambaseador Car	45 000/	A 40 mm				•	1	,						
Tribute of The	6700.CI	2/1/59/1/75	-			5,63,772	53,271			2,08,633	53.271	2 61 904	3.01 868	2 6
Furnitures & Fixtures	10.00%	10,16,513	5,04,086	6,14,352	,,1	21,34,951	82,192	50,409	30.718		318 278	2 27 016	200,100	0000
		-			*						010'00'1	016/266	17,77,035	8,2
Office Equipments		0												
1) Electronic Attendance Machine	15.00%	56,019	24,589			80 608	2777	007 6		****				
2) photocopy Machine	15.00%	12,09,934	3.26.858	373318		0110751	01/1/	9996		4,201	11,461	15,662	64,946	51,
3) Refrigerator	15.00%	34 320				011'00'01	009,60,1	49,029		1,0	2,38,727	3,45,664	15,14,446	11,02
4) Scanning Machine	15,00%	1 56 750		67/10		1,16,095	4,376		6,133	5,148	10,509	15,657	1,00,438	25
5)Vaccum Cleaner	0/00/GT	06/96/1			9	1,56,750	21,749		2	11,756	21,749	33,505	1.23.245	1 44
System Cleaner	15.00%	7,790				2,790	666			1.169	003	691.6	OLY/ON'S	2/1
6) VGA Switcher	15.00%	19,800	19,800			39,600	2.747	2 970		1 405	2000	20102	270'C	6
7) Beetel Twin Phones	15.00%	7,228				7,228	814			1,000	717'6	7,202	32,398	18,
8) Mobile Phones	15,00%	83,799	12,900			009 90	10.004	1000		1,804	814	2,618	4,610	5,
9) Cordless Phones	15.00%	8.476				2570	#CU,UI			16,908	11,969	28,876	67,822	99
10) Fax Machines	15.00%	961 89 1		10.614		0/6/0	CIA			2,376	915	3,291	5,185	9
11) Gyser A/c	15.00%	16.042		10,01		2,14,810	21,652		3,496	23,852	25,148	49,000	1,65,810	1,44
12) Micro Wave	15.00%	13.350				16,042	1,732	,	*	4,496	1,732	6,228	9,814	11
13) Oil Field Radiator	15.00%	25.265				13,350	1,528	e		3,162	1,528	4,690	8,660	10
14) Voltage Stablizer	15,00%	25,202				25,365	2,986	ji.	2	5,457	2,986	8,443	16,922	19
15) Water Dispenser	15,00%	002/07	0004		-	25,950	3,121		7.4	5,144	3,121	8,265	17.685	06
16) Audio Conference System	15,00%	10 51 01	000%	000%		20,500	702	1,050	525	1,822	2,277	4,098	16,401	4
17) LCD Tv	15,00%	210,15,01	000 04 0	000 000		10,51,812	1,23,827			2,26,300	1,23,827	3,50,127	7.01.685	8.25
18) Plasma Tv	15,00%	25,097,209	2,36,900	28,000		16,86,109	1,70,653	38,835	4,350	2,31,520	2,13,838	4,45,358	12,40,751	11.37
19) Tata Sky & FPRS System	15,00%	20,00,00				25,68,875	2,97,198			5,87,555	2,97,198	8,84,753	16.84.122	1981
20) Siemen Hi Path 1150 Digital	15,00%	2 01 10 5				29,495	3,732	×		4,613	3,732	8,345	21.150	24.8
21) Speaker	15,00%	0,000,00				3,01,573	33,976		œ .	75,065	33,976	1,09,041	1.92.532	226
22) Divital Camera	15,00%	000 00			220	14,350	1,830			2,153	1,830	3,982	10.367	12.
23) office Appliances	12,000	22,000		49,250		83,050	3,979		3,694	7,272	7,673	14,945	68.105	36
24) Blue Ben Die Plens	15,007a	25,363				25,363	3,519			1,902	3,519	5.421	19 047	23
24) blue kay Disc Flayer	15.00%		000'66		5	000'66		14,850			14.850	14 950	04.150	(52)
25) LCD Projector	15.00%		1,62,000			1.62,000		24 300			24 200	000,41	061,460	
26) Cooler	15.00%			72,000		72 000		Occupation of the Control of the Con	007 0		UX,42	74,300	1,37,700	
27) Franking Machine	15.00%			3.44.940		2.44.040			004/6		5,400	5,400	009'99	6
27) Shredders	15.00%			77.78		0,44,940			25,871		25,871	25,871	3,19,069	
28) Visicooler & Deep Freezer	15.00%			2000 02		1/0'0			159		651	159	8,026	
29) Phone	15,00%			000,89		000'89			5,100		5,100	5,100	62,900	
30 DVD Welor	20000			3,600	•	3,600		3.	3,600		3,600	3.600		
40) TAT Slov	15.00%	•		4,239		4,239			4,239		4,239	4.239		
AND TATA MAN THE TANK	15.00%		3,099			3,099		3,099	•		3.099	3,000		
AN MERCANING	15.00%		1,500			1,500	*	1,500			1 500	1 500		
75) Well Clock	15.00%	E	•	181'1	*	1,181	100		1311		1 181	1 101		
											101101	1,101		
Computer Peripherals					2 1111					3				
1) Computer	%09	34,87,232	9,33,050	13,46,610		57,66,892	3,84,502	5.59.830	4 03 983	22 86 166	210 07 61			
2) UPS	15%	3,75,604	62,889	88,998	20	5 27 491	35,517	0.433	COC4000	3,00,004	C16,69,C1	37,34,481	15,72,181	6,40,8
3) Printer & Scanner	15%	17,00,957	1,02,096	46.303		18 49 356	140.314	2,750	C/9/9	1,38,821	51,626	1,90,447	3,37,044	2,36,78
4) Cisco 2821 Security Bundle	15%	1,71,306				200 12.1	41C,UF,L	15,514	3,473	7,65,531	1,59,101	9,24,632	9,24,724	9,35,42
5) Computer Software	%09	91,050	5.48 564	3 33 382		000 000	69/67			12,848	23,769	36,617	1,34,691	1,58,45
6) Library Software Sysyem	%09	2.28.800		cockodo		2000 00 0	33,309	3,29,138	1,00,016	35,535	4,62,463	4,97,998	4,75,001	55,5
7) Networking Equipment	15%	1.44.321		000 000 0		2,20,000	960,096			68,640	960'96	1,64,736	64,064	1,60,1
8) Web Cam	15%	18 900		Cherry Contra		0,52,570	19,292	-	15,619	15,704	34,911	50,616	3,01,955	1,28,6
						10,900	7,481		50	2,363	2,481	4,843	14,057	16,53
Library books	100%	2.68.775	1.11 383	5.07.703		00000					9		20	
			one transfer	continue.		198/7891	40,071	1,11,383	2,53,852	2,28,705	4,05,305	6,34,010	2,53,851	40,07
		•						-						
TOTAL OF CURRENT YEAR		1,47,37,454	32,56,768	58,63,309		2,44,21,303	17.96.098	12.28.622	10.26.505	22 00 230	2000 13 07			
PREVIOUS YEAR		1.16.60.930	10.05.488	43 30 007		1 (0 04 00F	and and an	14,40,044	10,26,506	53,89,639	40,51,228	94,40,864	1,45,20,205	94,51,35
Particulation of the control of the		andred byte	Abstractant	100,000,00°	17.20	1,69,71,525	23,74,562	4.02.781	7.97.023	22 75 503	35 74 366	070 07 04	100 000 000	



FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA Schedules forming part of Balance Sheet as at 31.03.2011

1 /F Journant Fund	Current Year	Previous Year
chedule 9:- Investments from Earmarked /Endowment Fund		
(CITCANA)	0	
. In Government Securities	0	
2. Other approved Securites	0	
3, Shares	0	
4. Debentures & Bonds	0	
5. Subsidiaries & Joint Ventures	0	
6. Others		
0. Ollos	0	
Net Balance as at year end		
	Current Year	Previous Year
Schedule 10:- Investments (Others)	7	
OCREW.	0	1.
1. In Government Securities	0	-
2. Other approved Securites	0	-
3. Shares	0	-
4. Debentures & Bonds	0	-
5. Subsidiaries & Joint Ventures	0	-
6. Others	0	

FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA Schedules forming part of Balance Sheet as at 31.03.2011

Schedule 11:- Current Assets, Loans & Advances etc.	Current Year	Previous Year
A Comment A I		
A. Current Assets		
1. Inventories:		
a) Stores & Spares	0	
b) Loose Tools	0	
c) Stock in trade		
Finished Goods	0	
Work in Progress	0	=
Raw Material	0	-
2. Sundry Debtors:		
a) Outstanding for a period exceeding 6 months	0	-
b) Others	0	-
3. Cash balances in hand	10,000	-
4. Bank balances:		
a) With Scheduled Bank		
- On Current Account	0	
- On Deposit Account	0	
- On Saving Account	2,55,99,749	6,28,91,646
b) With Non- Scheduled Bank		
- On Current Account	0	
- On Deposit Account	0	100
- On Saving Account	0	
5. Post Office-Saving Account	0	-
Total (A)	2,56,09,749	6,28,91,646
B. Loans & Advances:-		
1. Loans:		
a) Staff	17,06,473	8,01,279
b) Other Entities engaged in similar activities	0	-
c) Others	1,79,31,439	1,08,97,807
2. Advances recoverable in cash or kind or for		
value to be received:		
a) On Capital Account	0	_
b) Others(security deposit)	1,05,81,183	66,89,250
3. Interest accrued :-		
a) On Investments from earmarked/ endowment fund	0	_
b) On Bank Balances		
c) On Loans & Advances	0	
d) Others	0	-
4. Claims Receivable :-	0	7 <u>-</u>
Total (B)	3,02,19,095	1,83,88,336
Total	E 50 00 044	0.46 70.6
	5,58,28,844	8,12,79,982



FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
Schedule forming part of Income & Expenditure Account for the year ended 31.03.2011

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Previous year 21,00,00,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Current Year	Previous year 21,00,00,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Current Year	Previous year 21,00,00,000
0 0 0 0 0 0 0 0 Current Year 32,37,00,000 0 0	
0 0 0 0 0 0 0 Current Year 32,37,00,000 0 0	21,00,00,000
0 0 0 0 0 Current Year 32,37,00,000 0 0 0	21,00,00,000
0 0 0 0 0 Current Year 32,37,00,000 0 0 0	21,00,00,000
0 0 0 0 Current Year 32,37,00,000 0 0 0	21,00,00,000
0 0 0 Current Year 32,37,00,000 0 0 0	21,00,00,000
0 Current Year 32,37,00,000 0 0 0 0 0	21,00,00,000
0 Current Year 32,37,00,000 0 0 0 0 0	21,00,00,000
32,37,00,000 0 0 0 0 0	21,00,00,000
0 0 0 0	-
0 0 0 0	21,00,00,000
0 0 0 0	21,00,00,000
0 0 0	21,00,00,000
0	21,00,00,000
0	21,00,00,000
32,37,00,000	21,00,00,000
32,37,00,000	21,00,00,000
32,01,00,000	
Current Year	Previous year
Current	
0	-
0	•
0	-
0	
0	
	-
Current Year	Previous year
0	
(
	0 0 0 0

FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

Schedule forming part of Income & Expenditure Account for the year ended 31.03.2011

Schedule-16- Income From Royalty, Publications etc.	Current Year	Previous year
1 In some From Develor	0	
Income From Royalty Income From Publications	0	
	0	
3 Others	0	-
Total	0	-
Schedule-17- Interest Earned:	Current Year	Previous year
1. On Term Deposit:		
a) With Scheduled Bank	0	
b) With Non-Scheduled Bank	0	
c) With Institutions	0	-
d) Others	0	N=
2. On Saving Accouns:		
a) With Scheduled Bank	9,90,147	9,00,022
b) With Non-Scheduled Bank	0	
c) With Institutions	0	
d) Others	0	
3. On Loans		
a) Employees/ Staff	0	
b) Others	0	-4
4. Interest on Debtors & Other Receivables	0	_
Total	9,90,147	9,00,022
Schedule-18- Other Incomes:	Current Year	Previous year
Profit on Sale /Disposal of Assets		
a) Owned Assets	0	_
b) Assets acquired out of grants,or received free of cost	0	
2. Export Incentive Realized	0	
3. Fees for Misc. Services	54,19,065	40,31,972
4. Misc. Income	92,836	
Net Balance as at year end	55,11,901	40,57,497



FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

Schedule forming part of Income & Expenditure Account for the year ended 31.03.2011

Schedule-19- Increase/Decrease in Stock of Finished Stock, W.I.P &	Current Year		Previous year
a) Closing Stock			
- Finished Stock		0	
- Work in Progress		0	-
b) Less; Opening Stock			
- Finished Stock		0	
- Work in Progress		0	-
- WOLK HIT TOGICSS			
Net Increase/Decrese in Stock (a - b)		0	-
IVEL INCICASCI DECICES IN SCORN (11)			
Schedule-20- Establishment Expenses:	Current Year		Previous Year
otherwise as 25000			
a) Salaries & Wages	- Commence of	8,05,94,152	5,75,54,136
b) Allowances		24,90,772	33,91,232
c) Contribution to PF		0	12
d) Contribution to Other Fund		0	•
e) Staff Welfare Expenses		3,374	2,47,704
f) Expenses on Employee retirement & Benefits		0	-
g) Medical Expenses		5,89,557	9,87,826
g) Medical Expenses			
Total		8,36,77,855	6,21,80,898
Schedule-21- Other Administrative Expenses:_	Current Year		Previous Year
a) Purchase			-
b) Labour & Processing Charges(salary to contractual Employees)		92,03,823	56,12,540
c) Cartage & Carrige Inwards		0	28,348
d) Electricity & Powers		37,07,360	45,57,303
e) Water Charges		4,34,151	800
f) Insurances		0	8,552
g) Repairs & Maintenance		1,17,78,644	37,21,040
h) Excise Duty		0	-
i) Rent, Rates & Taxes		3,70,86,349	2,09,29,941
i) Vehicle Running & Maintenance		1,22,583	3,02,802
k) Postage & Telegram		2,98,594	88,848
1) Printing & Stationery		29,39,094	28,66,734
m) Travelling & Conveyance Expenses		1,01,97,780	The second and the se
n) Seminar, Meeting & Conference Expenses		37,54,765	
		2,75,251	
o) Subscriptions Expenses		0	
o) Subscriptions Expenses		2,23,981	66,000
p) Fees		2,23,901	
p) Fees q) Auditor's Remunerations		2,12,981	15,39,599
p) Fees q) Auditor's Remunerations r) House Keeping and Security Exp			
p) Fees q) Auditor's Remunerations r) House Keeping and Security Exp s) Professional Charges		2,12,981	3,74,26,680
p) Fees q) Auditor's Remunerations r) House Keeping and Security Exp		2,12,981 1,85,51,027	3,74,26,680 67,55,568

FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA Schedule forming part of Income & Expenditure Account for the year ended 31.03.2011

Schedule-22- Expenditure on Grants, Subsidies etc.	Current Year	Previous Year
a) Grants given to Institutions/ Organisations	90,00,000	1,15,00,000
b) Subsidies given to Insitutions/Organisations	0	1,15,00,000
Total	90,00,000	1,15,00,000
Schedule-23- Interest Paid	Current Year	Previous Year
a) On Fixed Loans		
b) On Other Loans	0	
c) Others	15,633	10,262
Total	15,633	10,262



FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA Grouping Forming Part of Schdules

Details of Expense payable	0	1,06,812
Advertisement	0	66,000
Audit Fees Payable	0	11,21,215
Conference Seminar Exp. Payable	10,88,790	10,262
Interest Payable	0	33,945
Annual Maintenance Charges Payable	0	8,470
Consulting Charges Pyable	0	41,065
Consumable Store Payable	0	60,000
courier exp. Payable	15,000	2,90,000
Digitisation Charges Payable	0	15,000
General Expense Payable guest house	11,700	7,855
Legal Charges Payable	0	3,59,184
Motor Taxi Hire Charges	0	8,283
News Paper & Subscription Charges	0	2,71,792
Office Maintenance Payable	0	18,594
Oil & diesel Charges Payable	0	76,888
Publication Expense Payable	0	6,61,861
Salary to contractual Employee Payable	0	91,499
Security Expense Payable	1,30,537	5,310
Office Exp. Payable	0	1,82,094
Training Expense Payable	1,82,094	
Rent Trade & Taxex Payable	0	24,44,248
salary payable	73,911	33,71,323
Telephone Exp. Payable	32,634	28,956
Interest Payable	20,569	2.12.044
Travel Exp. Payable	0	3,13,044
Total	15,55,235	95,93,700
Detail of Advances to Staff	W-	
Foreign Tour Advance	10,52,354	60,000
Deputy director Chennai	1,10,000	13,090
Deputy director Kolkatta	52,336	10,000
Deputy director Mumbai	10,000	2,65,317
LTC Advance	85,631	10,000
Senior AO DO FSSAI	0	1,08,340
Sh. S.B. Dongre	68,475	1,69,725
Shri Anil Mehta	0	3,300
Ashok Kumar Dass	0	3,000
P. Karthikeyan	0	49,525
R.Vijay	0	30,000
S.K. Haldar	10,000	9,750
S.K. Sharma	0	69,232
Leave Encashment in Advance	0	- 09,232
Deputy Director (F&VP) NBCC	95,000	
Deputy Director Guwahati	10,000	
J P Dongre	2,09,077	
R K Saxena	3,600	8,01,279
Total	17,06,473	8,01,279

Detail of Other Loans:-		
Authorised Officer JNPT NHAVA SHEVA	10,000	-
ABP Pvt. Ltd.	14,134	14,134
BAG Full	1,200	1,200
Central food lab calcutta	35,40,690	6,28,606
Deputy director Horticulture	8,510	8,510
FRSL Ghahjiabad	10,00,490	3,63,591
Prasar Bharti	0	56,180
H.S.C.C.	16,414	16,414
Food Drugs Authority of India. (Controller General Drug)	1,08,16,464	53,01,476
FICCI	3,48,000	3,54,960
Pharmasolve Specialists India Pvt. Ltd.	0	48,765
Span Communication	0	754
M/S Intelligent Security	0	1,755
Naresh Kumar Kaushik	0	4,675
Vimita Labs	16,011	16,011
C.P.W.D.	0	12,35,000
DAVP	0	3,000
National Information Centre	0	21,67,495
Quality council Of India	0	5,50,000
Balmer Lawrie co. Ltd.	0	400
British Concil	0	16,500
Hindustan petrolium	0	15,000
Total Liabrary solution India pvt. Ltd.	2,22,764	93,381
National Insttute of nutrition	19,26,582	
Authorised Officer Sea Port Chennai	10,000	
Rakesh jain & Mrs. Usha Jain	180	
Total	1,79,31,439	1,08,97,807



Detail of Misc. Incomes:-	The second second	
RTI Fees	820	835
Sale of Newspaper	9,616	10,340
Sale of Tender Form	3,000	14,350
Other Miscellaneous Income	79,400	r e
Total	92,836	25,525
Detail of Allowances Paid:-		
TA/DA Paid to Officers/Staff	24,62,632	33,59,654
Overtime Allowances	28,140	31,578
A second	24,90,772	33,91,232
Total	21,50,172	00,72,202
Detail of Staff Welfare Expenses:-		
Staff welfare Expenses	3,374	2,24,495
Refreshment Expenses	0	23,209
		2,47,704
Total	3,374	2,47,704
Detail of Other Administrative Expenses:-	3	
computer Expenses	7,641	10,675
Consumable Store	64,570	2,34,931
Generator Expenses	73,490	90,216
General Expenses	0	1,90,767
membership Fees	28,000	20,500
Other Administration Expenses	16,50,798	7,23,796
Publication expenses	28,96,556	2,79,179
Digitisation charges	2,03,959	2,90,000
Generator Hire Charges	0	22,000
Training Charges	8,00,027	6,23,294
Office Expenses	48,18,677	52,67,975
Courier Charges	2,64,017	6,74,356
Telephone & Mobile Expenses	7,27,001	5,99,798
Internet Charges	26,860	36,764
Total	1,15,61,596	90,64,251
Detail of Repair & Maintenance Expenses		
		area was
Maintenace of AC Plant	2,50,331	23,071
Office Maintenance Expneses	1,15,00,478	18,55,063
Repair Maintenance of Machine at CFRSL calcuta	0	13,20,501
Annual Maintenance Charges	27,835	5,22,405
Total	1,17,78,644	1,17,78,644 1,54,99,684

FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA Grouping Forming Part of Schdules

Detail of Travelling & Conveyance Expenses:-		
Tour & Travelling Expenses	50,88,602	36,67,1
Motor Taxi Hire Charges	50,83,535	32,76,4
Conveyance Expenses	25,643	41,0
Total	1,01,97,780	69,84,7
House Keeping and Security Exp		
House Keeping & Guest House Charges	77,794	3,32,10
Security Expenses	1,35,187	12,07,4
Total	2,12,981	15,39,5
Detail of vechile running & maintenance:-		
Vechile running	0	58,2
oil & Diesel	1,22,583	2,44,5
Total	1,22,583	3,02,8
Detail of Professional charges:-		
professional charges	1,83,54,292	3,65,54,9
Legal charges	1,14,560	2,62,93
consulting Charges	0	39,44
sample charges	82,175	5,69,34
Total	1,85,51,027	3,74,26,66
Detail of Subscription Charges:-		
Fees & Subscription	45,800	3,70
News Paper & Subscription Charges	2,29,451	2,64,76
Total	2,75,251	2,68,46
Detail of Sundry Creditors for Goods/ Services		
Oasis Telecommunications		3,40
Kendriya Bhandar	0	15,34,09
Satguru Management Consultants P Ltd	12,14,056	12,14,05
Track Infovision P Ltd	5,08,000	4,50,00
Varun Infotech India	0	88,35
Viduut Engineering	1,655	1,65
Manish Yadav	0	64



Bedi & Bedi	8,97,655	-
Beltek Canadian Water Ltd.	10,430	-
B.V.G India Ltd	9,37,695	
Central News Agency P Ltd.	32,243	-
Continental Caterers & confectioners	58,515	-
Crescent Stationers	14,680	-
Crown corporation P Ltd.	3,32,718	-
HCL Infosystems Ltd.	76,538	-
Impression Distributing Co.	1,03,000	
ISS Hicare P Ltd.	22,699	-
Karam Taxi Service	2,86,875	
National Cooperative Consumer Federation	1,89,840	-
Neo Post India	3,44,940	-
Ricoh India Ltd.	74,510	-
Swastik Company	23,435	-
Tanu Transport Travel	29,431	-
Vividh Landscape Consulting P Ltd	1,16,350	-
Web Craft India	180	
Central PWD	1,69,812	-
Balmer LawrieCo Ltd	5,00,000	-
Indra D Narayan & Co.	80,409	١-
Hindustan Petroleum	47,484	-
Total	60,73,150	32,92,206
Detail of Rent, Rates & Taxes		
Rent of NBCC	3,15,27,408	2,08,63,941
Office Rent (Guwahati)	66,823	66,000
MunicipalTaxes paid for FRSL Ghaziabad	54,92,118	
Total	3,70,86,349	2,09,29,941

FOOD SAFETY STANDARDS AUTHORITY OF INDIA Receipt & Payment Account for the year ended 31.03.2011

	Schedules	Current Year	Previous year	PAYMENTS	Schedules	Schedules Current Year	Previous year
OPENING BALANCES			-	Expenses			
a) cash In Hand		3		a) Establishment Expenses	O	8,27,63,249	5,88,98,640
b) Bank Balance		i d	9	b) Administration Expense	D	25,31,43,724	9,94,74,099
i) Current Deposit		Î	1				
ii) Deposit Account		1	ı	Payment made against funds for various Projects			
iii) Saving Deposit		6,28,91,646	3,87,70,044	Grant in Aid		000'00'06	1,15,00,000
				Security Deposit		39,48,933	67,08,000
Grant Received		32,37,00,000	21,00,00,000	Expenditure on Fixed assets	ш	68,51,285	35,34,941
Interest From bank		8,70,548	8,56,576	Advance to Employees	H	19,43,886	7,22,047
Licence Fees		54,19,465	40,31,972	Advances to Suppliers/Others	U	34,41,531	46,28,653
RTI fees		820	835	TDS on Contractors		11,81,059	2,23,134
Sale of Newspaper		9,616	10,340	TDS on Rent		38,65,726	21,26,874
Sale of Tender Form		3,000	14,350	TDS on Professional		9,34,100	1,66,002
Prior Period Income		5,92,364		TDS on salary		26,97,883	30,29,095
Misc. Income		17,565	1	Refund to P.I. Suvrathan		1	13,687
Amount Received							
From P.I. Suvrathan		1	2,00,000				
From S.K. Sharma		1	2,000				
From Anil Mehta		63,233					
From Ashok Kumar Dass		2,614	1				
From S B Dongre		39,865	1				
From R Vijay		21,291	1				
From SK Sharma		6,915	·				
From JP Dongre		64,558					
TDS Refund	A	1,11,674					
Cheque/cash refunded	В		5,701				
Earnest Money deposit		5,55,000	5,000				
security depopsit		000'09	20,000				
Stale Cheques		9,40,951	-				
				CLOSING BALANCES			
				a) cash In Hand		1	ī
				b) Bank Balance			í
				i) Current Deposit		1	1
				ii) Deposit Account		1	3
				iii) Saving Deposit		2,55,99,749	6,28,91,646
				and the same of th			



	FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA		
	Schedule Forming part of Receipt & Payment A/c		
Schedi	ıle A TDS Refund	Current Year	Previous Year
	Pharmasolve Specialist India P Ltd.	97,530	
	FICCI	6,960	
	Intelligent Security	1,755	
	Naresh Kaushik	4,675	
	Span Communication	754	-
	of many	1,11,674	=
		Current Year	Previous year
Sched	ule-B :Cheques refunded :-	- Current veni	3,406
	Oasis Telecommunications		1,655
	Vidyut Engineers		640
	manish yadav	-	0.20
	Total	-	5,701
Sched	ule-C :Establishment Expense :-	Current Year	Previous year
Jenea	a) Salaries & Wages	8,01,71,909	5,41,99,716
	TA/DA Paid to Officers/Staff	19,54,910	33,54,654
	Overtime Allowances	28,140	31,578
	Refreshment Expenses	-	23,209
	Professional tax	45,736	51,387
		3,374	2,30,312
	e) Staff Welfare Expenses	5,59,180	10,07,784
	g) Medical Expenses Total	8,27,63,249	5,88,98,640

Schedule-D:Administrative Expense:-	Current Year	Previous year
Advertisement Expenses	14,13,89,204	66,31,899
Auditor's Remunerations	1,92,876	35,737
Cartage & Carrige Inwards	-	28,348
Electricity & Powers	82,25,020	90,78,470
Fees & Subscription	-	3,706
Labour & Processing Charges(salary to contractual	al Employees) 87,70,715	52,24,566
Postage & Telegram	2,98,594	88,848
Printing & Stationery	28,21,710	27,70,880
Repair Maintenance of machine at CFRSL	-	13,20,501
Seminar, Meeting & Conference Expenses	36,66,226	25,64,833
Water Charges	3,12,304	800
Annual Maintenance Charges	2,24,847	6,93,294
computer Expenses	7,641	10,675
consulting Charges	7,011	30,976
Consumable Store	45,897	1,40,285
Conveyance Expenses	24,614	
Courier Charges	3,03,397	41,092
Participation Fees	3,03,371	6,34,941
General Expenses	1,29,109	70,000
Generator Expenses		1,75,761
Generator Hire Charges	72,020	90,005
House Keeping Charges	92.104	22,000
Insurance	82,104	10,08,381
Internet Charges	20.220	8,552
Legal charges	29,339	36,763
Maintenace of AC Plant	1,10,958	2,35,910
membership Fees	75,871	2,96,072
Motor Taxi Hire Charges	11,500	37,000
News Paper & Subscription Charges	47,35,463	31,30,728
Office Expenses	2,50,781	77,552
	45,59,776	52,62,665
Office Maintenance Expneses	93,57,595	24,14,262
Office Rent (Guwahati)	66,823	66,000
oil & Diesel	78,693	2,25,981
Other Administration Expenses	20,42,351	7,22,985
Prior Period expense	2,54,598	1,60,113
professional charges	1,68,33,111	3,37,52,033
Publication expenses	29,23,481	2,02,291
Rent Rates & Taxes (NBCC & others)	3,76,60,235	1,58,03,970
sample charges	79,085	5,67,854
Security Expenses	1,32,483	11,33,206
Telephone & Mobile Expenses	8,02,887	6,05,598
Training Charges	10,77,162	3,97,080
Travelling & Conveyance Expenses	50,01,412	36,13,259
Vechile running	52,280	58,227
Digitisation Charges	4,41,562	
Total	25,31,43,724	9,94,74,099




le-E, Purchase of Fixed Assets :-	Current Year	Previous year
CISCO 2821 Security Bundle		1,67,777
Voltage stablizer		6,750
Office Appliances		25,363
UPS	7,49,781	
LCD Tv	4,37,438	-
Furnitures & Fixtures	11,87,823	3,21,59
Electronic Attendance Machine	24,589	56,019
photocopy Machine	5,75,666	12,09,93
Scanning Machine		1,56,75
Vaccum Cleaner		7,79
Digital Camera	49,250	
VGA Switcher		19,80
Mobile Phones	12,900	20,00
Fax Machines	52,178	1,22,95
Tata Sky & EPRS System*	3,099	20,39
Computer	18,85,069	4,27,29
Printer & Scanner	31,813	24,1
Refrigator		34,3
Computer Software	2,83,864	1,15,1
Library Software Sysyem		2,28,8
Networking Equipment	2,08,249	1,37,5
Library books	6,19,086	4,32,6
Machinery Equipment	4,93,168	3
Wall clock	1,181	
Cooler	2,36,131	-
Total	68,51,285	35,34,9

schedi	ule-F :Advance to Staff :-	Current Year	Previous year
	Deputy director Chennai	50,000	50,000
	Deputy director Kolkatta	55,000	13,090
	Deputy director Mumbai (Imprest)	-	10,000
	Sh. S.B. Dongre	-	1,08,340
	LTC Advance	2,37,051	2,65,317
	Senior Ao(Imprest)	10,000	10,000
	Shri Anil Mehta	-	1,69,725
	Ashok Kumar Dass	-	3,300
	P. Karthikeyan		3,000
	R.Vijay		49,525
	S.K. Haldar	19,377	30,000
	Foreign Tour Advance	14,27,850	30,000
	S.K. Sharma	-	9,750
-	Deputy Director (F&VP)	95,000	7,750
	Deputy Director Guwahati	10,000	
	R K Saxena	9,608	
	Authorized Officer Chennai	10,000	
	Authorized Officer Sea Port	10,000	
	Authorized Officer JNPT NHAVA SHEVA	10,000	
	Total	19,43,886	7.00.045
chedu	le-G :Advance to Suppliers :-	Current Year	7,22,047
	ABP Pvt. Ltd.	Current rear	Previous year
-	Central food calcutta	28,56,450	14,134
	FRSL Ghahjiabad	4,55,698	6,02,932
	FICCI	4,55,698	3,45,825
	Total Library Solution Ltd.	1 20 202	3,48,000
	C.P.W.D.	1,29,383	93,381
	Deputy director Horticulture	-	12,35,000
	National Information Centre	-	8,510
	Quality council Of India	-	12,98,777
	Satguru Mgt. Consultants PVT. Ltd.		5,00,000
	Total		1,82,094
	Total	34,41,531	46,28,6



८१३ (८११०८ ८-४१) हम्ह क स्टब्रिक क व्यक्त विकास विकास



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय) इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली—110 002 Office of the Director General of Audit (Central Expenditure) Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

1 6 AUG 2011

प्रिय श्री संजय सिंह,,

मैं वर्ष 2010-2011 के लिए भारतीय खाद्य संरक्षण् एवं मानक प्राधिकरण्, नई दिल्ली के लेखाओं पर ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित कर रहा हूँ ।

आपसे आग्रह है कि आप इस पत्र के जारी करने के 14 दिन की अवधि के भीतर झ्रफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित तथ्यों एवं आंकडों की पुष्टि करके अपनी टिप्पणियाँ यदि कोई हों, दोहरी प्रति में भेज दें। यदि निर्धारित अविध के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि इस पर आपकी कोई टिप्पणी नहीं है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित तथ्य एवं आंकडें पुष्टिकृत समझ लिए जाएगें। यह भी अनुरोध किया जाता है कि कृपया झ्रप्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उत्तर ईमेल (Email id: aaoamg4@gmail.com) से भी अवश्य भेजे।

भवन्निष्ठ, ⁄⁄

श्री संजय सिंह, वित्त सलाहकार, भारतीय खाद्य संरक्षण् एवं मानक प्राधिकरण्, स्वास्थय एवं कल्याण् मंत्रालय, एफ् डी ए भवन, कोटला रोड, नुई दिल्ली

MAC



Draft Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the accounts of Food Safety & Standards Authority of India for the year ended 31st March 2011

We have audited the attached Balance Sheet of Food Safety & Standards Authority of India as at March 2011 and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Condition of Service) Act, 1971. These financial statements are the responsibility of the management of food safety & Standards Authority of India. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. this Separate Audit Report contains the comments of the controller & auditor General of India on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting Standards and disclosure norms etc. Audit observation on financial transaction with regards to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc, if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Report Separately.

We have conducted our audit in accordance with audition Standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are fee from material misstatements. An Audit includes examining on a test basis, evidences supporting the amount and disclosure in the financial statements, An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates. An audit also includes assessing the accounting principles the overall presentation of financial made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Based on our audit, we report that :-

- i) We have obtained all the information and explanations, which to the best our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- ii) The Balance Sheet and Income and Expenditure Account/Receipts and payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.
- iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the food Safety & Standards Authority of India, in so far as it appear from our examination of such books.
- iv) We further report that:
- A Balance Sheet
- A.1 Liabilities



Current Liabilities and Provisions

No provision liability for gratuity, superannuation/pension and leave encashment had been proved on actuarial basis in the books of accounts, resulting in under statement of liabilities.

B.1 Assets

B.1.1 Fixed assets

As per schedule-8, assets worth Rs. 91.20 lakh have been purchased during 2010-11. However, Receipts and Payments Accounts depicats that expenditure on fixed assets is Rs.68.51 lakh. The difference has not been reconciled.

C Income and Expenditure Account

C.1 Understatement of expenditure

Depiction of less depreciation of Rs. 4.60 lakh in the Income & Expenditure Account resulted into understatement of expenditure and overstatement of expenditure and overstatement of capital fund with the same amount.

C.2 Understatement of expenditure

In Income & Expenditure account the whole grant of Rs. 32.37 crore received has been depicated as revenu grant, whereas, as per Receipts & Payments Accounts during 2010-11, assets worth Rs. 68.51 lakh were purchased. Therefore non-deduction of capitalization grant of Rs. 68.51 lakh from Income & Expenditure has resulted into understatement of excess of expenditure over income by Rs. 68.51 lakh.

D General

- i Assets register has not been maintained in the prescribed form.
- ii Accession Register of the library books have not been maintained in the prescribed form. Price value of the books had not been mentioned in some cases. As such, total cost of books mentioned in annual accounts could not be vouched-safe.
- iii In schedule-22 Rs. 90.00 lakh has been depicted as "expenditure on grants" but details of entities object and released have not been enclosed.

D Grants in Aid

The Food Safet & Standards Authority of India received grant-in-aid of Rs. 32.37 crore under plan from M/O Health & Family welfare (The Authority received Rs. 11.37 crore in March 2011) during the year 2010-11. The Authority utilized Rs. 36.98 crore.

FOOD SAFETY & STANDARDS AUTHORITY OF INDIA NEW DELHI

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2011

SCHEDULE -24

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES.

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. FIXED ASSETS

Fixed assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition. Assets are capitalized on the basis of date for being available for use.

3. DEPPRECIATION

- 3.1 Depreciation is provided as per the rates specified in the Income Tax Act, 1961 on WDV basis.
- 3.2 In respect of additions to / deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered accordingly.
- 3.3 Assets costing Rs.5000 or less each are fully provided for.

4. GRANTS- IN -AID

- a) Grants –in- Aid are received during the year from the Ministry of Health and Family Welfare, GOI, as revenue grants.
- b) Grants –in- Aid being received from the government of India are accounted for on receipt basis.
- c) Earnings received as interest and other incomes being insignificant are adjusted against revenue expenses being incurred by the authority thereby resulting in reduced utilisation of Govt. grants-in-aid to that extent.

5. LICENCE FEES

Licence fees received from applicants are accounted for as income on receipt of the demand drafts in the accounts department at New Delhi.

SCHEDULE -25

Schedules 1 to 25 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31st March 2011 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.

FOR INDRA D. NARAYAN & CO.

CHARTERED ACCOUNTATINS

(MANORANJAN DAS)
PARTNER





Food Safety And Standards Authority Of India

IIIrd-IVth Floor, FDA Bhavan, Kotla Road, New Delhi-110002

Tel.: 011-23237496 Website: www.fssai.gov.in

Toll Free helpline No. 1800112100

